

सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे 2016-17



छत्तीसगढ़ शासन

विनियोग लेखे

2016-17

छत्तीसगढ़ शासन

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

प्रस्तावना	1	
विनियोग लेखे का सार	2-17	
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	19-21	
विनियोग लेखे		
अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	
	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा (भारत विनियोग)	23-25
	लोक ऋण (भारत विनियोग)	26-27
01	सामान्य प्रशासन	28-31
02	सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	32-33
03	पुलिस	34-38
04	गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	39-40
05	जेल	41
06	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	42-44
07	वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय	45-47
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	48-52
09	राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय	53-54
10	वन	55-59
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय	60-62
12	ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय	63-66
13	कृषि	67-72
14	पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय	73-76
15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	77-79
16	मछली पालन	80-81
17	सहकारिता	82-83

18	श्रम	84–86
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	87–92
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	93–97
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय	98–101
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय	102
23	जल संसाधन विभाग	103–110
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	111–116
25	खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय	117–118
26	संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय	119–120
27	स्कूल शिक्षा	121–128
28	राज्य विधान मंडल	129–130
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	131–135
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय	136–141
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय	142–143
32	जनसंपर्क विभाग से सम्बंधित व्यय	144–148
33	आदिम जाति कल्याण	149–152
34	समाज कल्याण	153–154
35	पुनर्वास	155
36	परिवहन	156–158
37	पर्यटन	159–160
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय	161–163
40	आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय	164–165
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	166–201
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	202–204
43	खेल और युवा कल्याण	205–206
44	उच्च शिक्षा	207–209

45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	210–212
46	विज्ञान और टेक्नालॉजी	213–214
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	215–219
49	अनुसूचित जाति कल्याण	220
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय	221
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	222
53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	223–224
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय	225–226
55	महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय	227–232
56	ग्रामोद्योग	233–234
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	235
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	236–241
60	जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय	242
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	243–265
65	विमानन विभाग	266–267
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	268–270
67	लोक निर्माण कार्य—भवन	271–283
68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	284–287
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	288–290
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	291–293
75	जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	294–295
76	लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	296
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय	297–302
80	त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	303–307
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	308–312
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	313–316
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	317–318

परिशिष्ट

परिशिष्ट	अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां	321-322
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

प्रस्तावना

वर्ष 2016-17 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे का संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखाओं में-

- मूल मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
पूरक पूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
पुनर्वि. सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।
प्रभारित विनियोग और व्यय को तिरछे अक्षरों में दर्शाया गया है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे में टिप्पणी हेतु संयुक्त मध्य प्रदेश विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित निम्न मापदण्डों को अपनाया गया है।

बचत

- (1) कुल प्रावधान का 2 % से अधिक बचत हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी (मूल एवं अनुपूरक)।
- (2) ₹ 10 करोड़ से कम अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों के लिए ₹ 5 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (3) ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के अनुदानों के बीच के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों के लिए ₹ 10 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (4) ₹ 30 करोड़ से अधिक अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्ष हेतु ₹ 20 लाख से अधिक बचतों हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

प्रभारित विनियोग:

सभी उपशीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

आधिक्य

सभी अधिक व्ययों का विधानसभा का नियमितिकरण की आवश्यकता होगी।

- (1) सभी प्रकरणों में जहां अनुदानों में पूर्ण आधिक्य है कुछ राशि प्रावधान पर आधिक्य व्यय का नियमितिकरण हेतु सामान्य टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (2) ₹ 10 करोड़ से कम अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों हेतु ₹ 5 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (3) ₹ 10 करोड़ तथा ₹ 30 करोड़ के मध्य अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों हेतु ₹ 10 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (4) ₹ 30 करोड़ से अधिक अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों के लिए ₹ 20 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

प्रभारित विनियोग:

सभी उपशीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)	
ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा (प्रभारित विनियोग)		
प्रभारित	2,87,65,620	00
लोक ऋण (प्रभारित विनियोग)		
प्रभारित	00	1,94,63,314
01 सामान्य प्रशासन		
दत्तमत	17,42,588	1,18,971
प्रभारित	2,67,917	00
02 सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय		
दत्तमत	2,27,974	00
03 पुलिस		
दत्तमत	3,32,19,088	3,58,876
प्रभारित	6,600	00
04 गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय		
दत्तमत	3,23,465	100
05 जेल		
दत्तमत	14,28,160	00
प्रभारित	10	00
06 वित्त विभाग से संबंधित अन्य व्यय		
दत्तमत	5,30,92,667	6,01,000
प्रभारित	5,050	00
07 वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	35,89,135	39,120
प्रभारित	6,03,026	00
08 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन		
दत्तमत	1,00,51,114	8,30,400
प्रभारित	1,526	00
09 राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	1,60,766	54,600
प्रभारित	10	00
10 वन		
दत्तमत	97,48,498	2,45,810
प्रभारित	2,31,310	00

का सार

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
2,88,68,345	00	00	00	1,02,725	00
				(10,27,24,726)	
00	1,15,26,339	00	79,36,975	00	00
14,35,767	52,369	3,06,821	66,602	00	00
2,18,213	00	49,704	00	00	00
1,50,347	00	77,627	00	00	00
2,73,39,088	2,87,189	58,80,000	71,687	00	00
2,195	00	4,405	00	00	00
1,57,194	96	1,66,271	4	00	00
12,34,340	00	1,93,820	00	00	00
00	00	10	00	00	00
3,56,52,786	6,04,379	1,74,39,881	00	00	3,379
					(33,78,750)
16,733	00	00	00	11,683	00
				(1,16,83,200)	
28,89,549	15,753	6,99,586	23,367	00	00
6,00,113	00	2,913	00	00	00
80,94,587	28,595	19,56,527	8,01,805	00	00
1,500	00	26	00	00	00
99,314	00	61,452	54,600	00	00
00	00	10	00	00	00
74,67,550	29,283	22,80,948	2,16,527	00	00
2,10,873	00	20,437	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)	
11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	19,97,052	13,54,214
प्रभारित	35	500
12 उर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	79,42,387	81,10,420
प्रभारित	25,77,500	00
13 कृषि		
दत्तमत	1,26,67,832	48,903
प्रभारित	950	00
14 पशु पालन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	41,93,431	1,32,920
प्रभारित	20	00
15 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	15,24,582	7,44,000
16 मछली पालन		
दत्तमत	5,46,430	10,000
प्रभारित	20	00
17 सहकारिता		
दत्तमत	22,80,737	4,06,501
प्रभारित	15	00
18 श्रम		
दत्तमत	13,18,647	10,000
प्रभारित	20	00
19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
दत्तमत	1,70,72,389	4,12,770
प्रभारित	1,780	00
20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी		
दत्तमत	35,94,306	23,73,420
प्रभारित	1,326	00
21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	17,70,695	65,72,100
22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय		
दत्तमत	2,89,705	00
प्रभारित	5	00

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
14,92,764	10,77,472	5,04,288	2,76,742	00	00
00	00	35	500	00	00
50,16,834	47,17,354	29,25,553	33,93,066	00	00
24,08,900	00	1,68,600	00	00	00
1,07,23,038	26,945	19,44,794	21,958	00	00
00	00	950	00	00	00
30,60,854	60,183	11,32,577	72,737	00	00
00	00	20	00	00	00
10,77,199	2,73,377	4,47,383	4,70,623	00	00
4,74,578	7,060	71,852	2,940	00	00
00	00	20	00	00	00
18,68,396	4,06,498	4,12,341	3	00	00
00	00	15	00	00	00
7,99,384	00	5,19,263	10,000	00	00
00	00	20	00	00	00
1,41,88,663	2,75,977	28,83,726	1,36,793	00	00
668	00	1,112	00	00	00
27,60,443	19,39,437	8,33,863	4,33,983	00	00
1,326	00	00	00	00	00
8,82,853	47,83,293	8,87,842	17,88,807	00	00
2,33,183	00	56,522	00	00	00
00	00	5	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)	
23 जल संसाधन विभाग		
दत्तमत	52,86,200	46,96,935
प्रभारित	110	2,500
24 लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल		
दत्तमत	93,16,787	1,72,06,677
प्रभारित	00	1,70,830
25 खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	20,48,802	54,25,098
प्रभारित	500	00
26 संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	3,95,521	65,000
27 स्कूल शिक्षा		
दत्तमत	4,53,72,753	22,90,530
प्रभारित	310	00
28 राज्य विधान मण्डल		
दत्तमत	5,69,025	00
प्रभारित	9,473	00
29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन		
दत्तमत	31,61,554	4,05,080
प्रभारित	5,33,608	00
30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	3,41,27,342	70,79,900
प्रभारित	200	00
31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	5,39,937	00
प्रभारित	40	00
32 जनसंपर्क विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	14,87,825	200
प्रभारित	10	00
33 आदिम जाति कल्याण		
दत्तमत	1,66,00,399	3,700
प्रभारित	500	00

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
41,31,928	38,91,629	11,54,272	8,05,306	00	00
00	1,402	110	1,098	00	00
57,68,802	91,57,137	35,47,985	80,49,540	00	00
00	1,53,414	00	17,416	00	00
19,27,594	47,57,459	1,21,208	6,67,639	00	00
00	00	500	00	00	00
3,35,613	00	59,908	65,000	00	00
3,53,95,461	15,84,013	99,77,292	7,06,517	00	00
00	00	310	00	00	00
3,44,930	00	2,24,095	00	00	00
2,316	00	7,157	00	00	00
21,37,370	6,855	10,24,184	3,98,225	00	00
3,81,021	00	1,52,587	00	00	00
2,74,35,742	54,96,787	66,91,600	15,83,113	00	00
00	00	200	00	00	00
2,25,111	00	3,14,826	00	00	00
00	00	40	00	00	00
14,16,353	199	71,472	1	00	00
00	00	10	00	00	00
1,58,63,851	2,428	37,36,548	1,272	00	00
199	00	301	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
34 समाज कल्याण		
दत्तमत	7,86,993	1,000
प्रभारित	40	00
35 पुनर्वास		
दत्तमत	56,710	00
36 परिवहन		
दत्तमत	6,24,599	3,32,500
प्रभारित	2,010	00
37 पर्यटन		
दत्तमत	4,02,302	4,84,88,239
39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	2,11,13,501	4,00,432
प्रभारित	50	00
40 आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	41,496	2,85,000
41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना		
दत्तमत	10,22,22,890	2,78,96,202
प्रभारित	10	1,500
42 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल		
दत्तमत	00	1,15,62,301
प्रभारित	00	92,000
43 खेल और युवा कल्याण		
दत्तमत	9,55,861	17,500
प्रभारित	25	00
44 उच्च शिक्षा		
दत्तमत	66,26,277	1,82,750
प्रभारित	70	00
45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य		
दत्तमत	7,57,662	51,13,000
46 विज्ञान और टेक्नालॉजी		
दत्तमत	1,54,500	49,000

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
5,68,761	996	2,18,232	4	00	00
00	00	40	00	00	00
50,291	00	6,419	00	00	00
3,49,486	00	2,75,113	3,32,500	00	00
00	00	2,010	00	00	00
2,28,543	2,66,132	1,73,759	2,18,750	00	00
1,65,45,993	2,20,571	45,67,508	1,79,861	00	00
00	00	50	00	00	00
32,975	1,75,859	8,521	1,09,141	00	00
7,41,47,122	2,21,38,584	2,80,75,768	57,57,618	00	00
00	00	10	1,500	00	00
00	58,18,667	00	57,43,634	00	00
00	55,535	00	36,465	00	00
2,16,324	17,337	7,39,537	163	00	00
00	00	25	00	00	00
43,97,619	60,171	22,28,658	1,22,579	00	00
00	00	70	00	00	00
6,86,206	41,67,077	71,456	9,45,923	00	00
1,22,213	2,969	32,287	46,031	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)	
47 तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग		
दत्तमत	51,48,777	10,08,151
प्रभारित	20	00
49 अनुसूचित जाति कल्याण		
दत्तमत	4,02,460	00
50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	18,664	00
51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व		
दत्तमत	1,11,060	30,000
53 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	3,33,499	3,41,940
54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	13,27,700	1,45,000
55 महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	96,43,159	6,25,157
प्रभारित	10	00
56 ग्रामोद्योग		
दत्तमत	9,09,058	30,311
प्रभारित	10	00
57 जल संसाधन विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
दत्तमत	00	10,000
58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय		
दत्तमत	88,56,212	2,000
60 जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	7,400	5,20,000
64 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
दत्तमत	3,50,66,874	1,32,45,827
प्रभारित	10	00

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
33,94,680	3,29,957	17,54,097	6,78,194	00	00
00	00	20	00	00	00
2,81,790	00	1,20,670	00	00	00
24,465	00	00	00	5,801 (5,800,654)	00
95,722	28,159	15,338	1,841	00	00
1,41,570	1,41,940	1,91,929	2,00,000	00	00
9,58,175	10,000	3,69,525	1,35,000	00	00
64,55,920	4,86,669	31,87,239	1,38,488	00	00
227	00	00	00	217 (2,17,075)	00
7,66,043	29,561	1,43,015	750	00	00
00	00	10	00	00	00
00	00	00	10,000	00	00
80,36,820	00	8,19,392	2,000	00	00
3,100	5,14,838	4,300	5,162	00	00
2,71,23,140	83,20,645	79,43,734	49,25,182	00	00
00	00	10	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)	
65 विमानन विभाग		
दत्तमत	3,04,657	4,60,000
प्रभारित	10	00
66 पिछड़ा वर्ग कल्याण		
दत्तमत	29,68,179	1,99,300
67 लोक निर्माण कार्य—भवन		
दत्तमत	66,33,648	64,37,126
प्रभारित	4,500	00
68 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन		
दत्तमत	00	23,96,535
69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण		
दत्तमत	1,14,68,300	00
71 सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव—प्रौद्योगिकी		
दत्तमत	10,70,550	73,600
75 जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
दत्तमत	00	39,96,100
76 लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
दत्तमत	00	1,10,00,000
79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	54,82,312	13,78,300
प्रभारित	420	00
80 त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	3,83,31,357	37,19,195
81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	1,80,75,845	39,74,700
प्रभारित	6,90,000	00

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
2,86,697	1,08,280	17,960	3,51,720	00	00
00	00	10	00	00	00
25,45,953	54,140	4,22,226	1,45,160	00	00
42,65,677	39,24,428	23,67,971	25,12,698	00	00
00	00	4,500	00	00	00
00	20,33,071	00	3,63,464	00	00
72,93,754	00	41,74,546	00	00	00
5,82,046	71,800	4,88,504	1,800	00	00
00	39,29,359	00	66,741	00	00
00	70,60,495	00	39,39,505	00	00
40,26,403	11,06,933	14,55,909	2,71,367	00	00
00	00	420	00	00	00
3,56,26,754	14,19,186	27,04,603	23,00,009	00	00
1,74,59,960	28,81,044	6,15,885	10,93,656	00	00
2,96,188	00	3,93,812	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)	
82 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता दत्तमत	1,90,26,817	23,56,000
83 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता दत्तमत	4,70,794	6,29,000
योग दत्तमत :	59,00,87,906	15,85,00,054
योग प्रभारित :	3,37,04,676	1,97,30,644
महायोग :	62,37,92,582	17,82,30,698

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
1,48,45,392	5,15,242	41,81,425	18,40,758	00	00
3,76,721	6,29,000	94,073	00	00	00
45,40,17,781	10,59,44,877	13,60,75,926	5,25,58,556	5,801	3,379
3,30,08,817	1,17,36,690	8,10,484	79,93,954	1,14,625	00
48,70,26,598	11,76,81,567	13,68,86,410	6,05,52,510	1,20,426	3,379

विनियोग लेखे का सार—जारी

निम्नलिखित प्रकरणों में दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग से अधिक व्यय हुआ। अधिक व्यय का विनियमन आवश्यक है :-

अनुदान संख्या और नाम—	अनुभाग	
दत्तमत—अनुदान		
06—वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	00	पूँजीगत
50—बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय	राजस्व	00
प्रभारित—विनियोग		
.. ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	पूँजीगत	00
06—वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	पूँजीगत	00
55—महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय	पूँजीगत	00

चूँकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशियों के लिए है जिनका व्यय करना अपेक्षित है, उनके प्रति दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2016-17 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दर्शाया गया है।

	राजस्व		पूँजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
	(₹ हजार में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	45,40,17,781	3,30,08,817	10,59,44,877	1,17,36,690
घटाइये—वसूलियों का जोड़	53,80,576	00	81,18,642	00
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11—में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	44,86,37,205	3,30,08,817	9,78,26,235	1,17,36,690

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक व्यय निम्नांकित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत हुआ :-

(क) दत्तमत अनुदान:-

राजस्व:- अनुदान संख्या-50 एवं 55

पूँजीगत:-अनुदान संख्या-06

(ख) प्रभारित विनियोग :-

पूँजीगत :- अनुदान संख्या-ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा एवं 06

प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक बचत निम्नांकित दत्तमत अनुदान तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत हुई:-

(क) दत्तमत अनुदान:-

(i) राजस्व :-अनुदान संख्या- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 79, 82 एवं 83.

(ii) पूँजीगत :-अनुदान संख्या -01, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 56, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 79, 80, 81 एवं 82.

(ख) प्रभारित विनियोग :-

(i) राजस्व :-अनुदान संख्या-01, 03, 05, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 43, 44, 47, 56, 64, 65, 67, 76, 79 एवं 80.

(ii) पूँजीगत:-अनुदान संख्या-लोक ऋण., 11, 23 एवं 42.

लोक लेखा समिति द्वारा उपशीर्ष स्तर पर आधिक्य/बचत पर टिप्पणी हेतु निम्नतम सीमा ₹ 5.00 लाख निर्धारित किये गए हैं ।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।


विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाऊचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ—साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन है जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम स्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले छत्तीसगढ़ सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

दिनांक : 21 मार्च 2018

स्थान : नई दिल्ली

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
(प्रभारित विनियोग)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष -			
2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन			
2049-ब्याज अदायगियां			
राजस्व:			
मूल	2,77,19,820		
पूरक	10,45,800	2,87,65,620	2,88,68,345
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			+1,02,725 00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) प्रभारित विनियोग से हुए ₹ 10,27,24,726 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) विनियोग में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-01-101-7804-8.53 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2026- पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 5,971.00	5,971.00	5,971.00	0.00
(2) 2049-01-101-7805-8.08 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2026- पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 3,636.00	3,636.00	3,636.00	0.00
(3) 2049-01-123-4854-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि पर ब्याज- मूल 54,000.00 पुनर्वि. 7,482.19	61,482.19	61,482.19	0.00
(4) 2049-01-305-2205-नए ऋणों का परिचालन संबंधी व्यय- मूल 50.00 पुनर्वि. 30.86	80.86	80.86	0.00
(5) 2049-01-305-2624-पुराने ऋणों का प्रबंध- मूल 150.00 पुनर्वि. 158.45	308.45	308.45	0.00
(6) 2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज- मूल 400.00 पुनर्वि. 4,446.84	4,846.84	4,846.84	0.00
(7) 2049-03-104-4487-सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज- मूल 28,000.00 पुनर्वि. 3,021.49	31,021.49	31,973.13	+951.64

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा- जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (7) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 5,971.00 लाख, ₹ 3,636.00 लाख, ₹ 7,482.19 लाख, ₹ 30.86 लाख, ₹ 158.45 लाख, ₹ 4,446.84 लाख एवं ₹ 3,021.49 लाख के आवर्धन के पर्याप्त कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 एवं क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 से 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2049-03-104-95-अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज	200.00	275.60	+75.60

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न बचत द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-01-101-2199-नया बाजार ऋण-			
मूल	15,000.00		
पुनर्वि.	(-)15,000.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 15,000.00 लाख का प्रत्याहरण नये बाजार ऋणों हेतु भिन्न शीर्षान्तर्गत प्रावधान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2005-06 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2049-01-101-7758-“उड़ान” के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान-			
मूल	10,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,569.18	7,430.82	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 2,569.18 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(3) 2049-01-200-3087-भारतीय जीवन बीमा निगम से लिए गए ऋणों पर ब्याज-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00
(4) 2049-01-200-3089-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और केश बैलेंस की कमी की पूर्ति हेतु लिए गए अग्रिमों पर ब्याज-			
मूल	1,080.00		
पुनर्वि.	(-)1,080.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 1,080.00 लाख के प्रत्याहरण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2005-06 से 2015-16 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2049-01-200-3732-राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण एवं विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि जमा निधि से लिए गये ऋणों पर ब्याज-			
मूल	20,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,517.34	18,482.66	0.00

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा-समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 2049-04-101-3707-राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज-			
मूल	9,000.00		
पुनर्वि.	(-)932.66	8,067.34	8,067.34
			0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 1,517.34 लाख एवं ₹ 932.66 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 से 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2049-04-101-6721-बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार समेकित ऋणों पर ब्याज-			
मूल	7,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,818.65	5,681.35	5,681.35
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 1,818.65 लाख की कमी गलत आकलन के कारण उल्लिखित की गई है।			
(8) 2049-60-701-4192-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)-			
मूल	1,700.00		
पुनर्वि.	(-)73.33	1,626.27	1,626.27
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 73.33 लाख की कमी गलत आकलन के कारण उल्लिखित की गई है।			
(9) 2049-60-701-4198-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)-			
मूल	5,300.00		
पुनर्वि.	(-)442.95	4,857.05	4,857.05
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 442.95 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 2049-60-701-4209-शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज-			
मूल	800.00		
पुनर्वि.	(-)262.82	537.18	537.18
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 262.82 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2049-60-701-990-क्षतिपूर्ति और अन्य बॉन्ड्स पर ब्याज-			
मूल	616.00		
पुनर्वि.	(-)513.32	102.68	102.68
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 513.32 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

लोक ऋण
(प्रभारित विनियोग)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष -			
6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
पूंजीगत	1,94,63,314	1,15,26,339	(-)79,36,975
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			79,36,975

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

(i) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6003-103-8140-भारतीय जीवन बीमा निगम से उधार-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00
(2) 6003-106-5378-क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉन्ड्स-			
मूल	2,416.10		
पुनर्वि.	(-)2,416.10	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा संपूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 2,416.10 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 से 2015-16 के दौरान निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 6003-110-637-उपाय तथा साधन अग्रिम-

मूल	66,000.00		
पुनर्वि.	(-)66,000.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,016.04 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 49,983.96 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 66,000.00 लाख का प्रत्याहरण उल्लिखित किया गया है। दोनों कमियों के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2007-08 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 6003-110-779-कमियों की पूर्ति
के लिए अग्रिम-

मूल	26,451.00		
पुनर्वि.	(-)26,451.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा संपूर्ण प्रावधान ₹ 26,451.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

लोक ऋण – समाप्त

(ii) उपरोक्त टिप्पणी (i) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6003-111-5670-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ— मूल 27,000.00 पुनर्वि. 15,053.15	42,053.15	42,053.15	0.00
(2) 6004-02-101-3052-ब्लॉक कर्जे— मूल 6,654.00 पुनर्वि. 962.89	7,616.89	7,616.89	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 15,053.15 लाख एवं ₹ 962.89 लाख का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—		
2012—राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक		
2013—मंत्री परिषद		
2015—निर्वाचन		
2051—लोक सेवा आयोग		
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं		
2055—पुलिस		
2059—लोक निर्माण कार्य		
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं		
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं		
3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं		
4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय		
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय		
7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि		
राजस्व :		
दत्तमत—		
मूल	15,80,796	
पूरक	1,61,792	17,42,588
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)		14,35,767
		(-)3,06,821
		3,11,474
<i>प्रभारित</i>	<i>2,67,917</i>	<i>2,18,213</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i> <i>(31 मार्च 2017)</i>		<i>(-)49,704</i>
		<i>49,708</i>
पूंजीगत :		
दत्तमत	1,18,971	52,369
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)		(-)66,602
		66,602
टीका एवं टिप्पणियां		
राजस्व :		
दत्तमत—		
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 1,587.92 लाख) एवं नवम्बर 2016 (₹ 30.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 1,617.92 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।		
(ii) ₹ 3,068.21 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 3,114.74 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबन्धन को दर्शाता है।		

अनुदान संख्या 01—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2013—101—3282—मंत्रियों का वेतन—			
मूल	181.08		
पूरक	106.92		
पुनर्वि.	(-)91.87	196.13	196.13
			0.00
(2) 2013—105—9064—मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान—			
मूल	1,325.00		
पूरक	1,425.00		
पुनर्वि.	(-)252.41	2,497.59	2,497.59
			0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 91.87 लाख एवं ₹ 252.41 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013—14 से 2015—16 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2015—101—6262—राज्य निर्वाचन आयोग—			
मूल	1,214.25		
पुनर्वि.	(-)562.32	651.93	651.28
			(-)0.65
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 562.32 लाख की कमी जिलों द्वारा वाहनों की किराये पर हुये व्यय हेतु देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, कर्मचारियों से देयकों की प्राप्ति नहीं होने, अवकाश यात्रा रियायत नहीं लिए जाने इत्यादि के कारण उल्लिखित की गई हैं।			
(4) 2052—090—4327—सचिवालय—			
मूल	5,023.30		
पुनर्वि.	(-)188.34	4,834.96	4,845.73
			+10.77
समर्पण द्वारा ₹ 268.34 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 80.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 188.34 लाख की कमी उल्लिखित की गई हैं। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015—16 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2052—091—458—आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली का कार्यालय—			
मूल	1,013.86		
पूरक	18.00		
पुनर्वि.	(-)197.65	834.21	817.67
			(-)16.54
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 197.65 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने, भुगतान किए जाने वाले देयकों की लम्बित रहने, मशीनों की क्रय नहीं होने, इत्यादि के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015—16 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2055—101—4544—सी.आई.डी. (इकॉनामिक अफेन्सेस)—			
मूल	599.62		
पूरक	30.00		
पुनर्वि.	(-)154.75	474.87	475.48
			+0.61
(7) 2055—101—5461—एन्टी करप्शन ब्यूरो—			
मूल	710.48		
पुनर्वि.	(-)293.71	416.77	416.89
			+0.12

अनुदान संख्या 01—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 154.75 लाख एवं ₹ 293.71 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, आर्थिक मितव्ययी उपायों को अपनाने, देयक प्राप्त नहीं होने इत्यादि के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2015-16 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2059-80-001-3541—मुख्य तकनीकी परीक्षक का कार्यालय—			
मूल	148.99		
पुनर्वि.	(-)50.05	98.94	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.05 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, नये वाहनों की खरीद से रख-रखाव पर व्यय कम होने एवं देयकों की प्राप्ति नहीं होने इत्यादि के कारण उल्लिखित की गई है।

(9) 2070-003-5435—प्रशासन अकादमी—			
मूल	596.81		
पुनर्वि.	(-)142.40	454.41	+6.95

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 142.40 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने भारत सरकार द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति किए जाने, वास्तविक व्यय कम होने इत्यादि के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2070-104-5404—लोक आयोग—			
मूल	293.46		
पुनर्वि.	(-)107.85	185.61	+0.95

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 107.85 लाख की कमी आर्थिक मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(11) 2070-104-5460—विशेष अन्वेषण स्थापना (एस.आई.ई.)—			
मूल	117.66		
पुनर्वि.	(-)60.00	57.66	+3.98

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 60.00 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(12) 2251-090-4329—सचिवालय—			
मूल	1,657.70		
पुनर्वि.	(-)483.37	1,174.33	(-)4.40

(13) 3451-090-4327—सचिवालय—			
मूल	1,508.96		
पुनर्वि.	(-)344.85	1,164.11	(-)1.24

उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 483.37 लाख एवं ₹ 344.85 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2011-12 से 2015-16 के दौरान उपरोक्त भी क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iv) ₹ 497.04 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 497.08 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

अनुदान संख्या 01—समाप्त

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2012-03-090-4330-सचिवालय- मूल 470.64 पुनर्वि. (-)131.21	339.43	339.43	(-)0.53
(2) 2012-03-103-9059-घरेलू कर्मचारी- मूल 385.12 पुनर्वि. (-)75.08	310.04	309.67	(-)0.21
(3) 2012-03-108-3609-अन्य व्यय (भारित)- मूल 15.00 पुनर्वि. (-)10.67	4.33	4.33	0.00
(4) 2012-03-800-3609-अन्य व्यय (भारित)- मूल 16.55 पुनर्वि. (-)12.55	4.00	3.79	(-)0.21

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 131.21 लाख एवं ₹ 75.08 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 10.67 लाख एवं ₹ 12.55 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(5) 2051-102-3689-राज्य लोक सेवा आयोग- मूल 1,640.98 पुनर्वि. (-)240.26	1,400.72	1,401.70	+0.98
---------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 240.26 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4485-सामान्य प्रशासन विभाग-भवन- मूल 1,041.06 पुनर्वि. (-)570.83	470.23	470.23	0.00
(2) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5918-सामान्य प्रशासन विभाग- मूल 133.65 पुनर्वि. (-)80.19	53.46	53.46	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 570.83 लाख एवं ₹ 80.19 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं			
2053—जिला प्रशासन			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075—विविध सामान्य सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2250—अन्य सामाजिक सेवाएं			
राजस्व	2,27,974	1,50,347	(-)77,627
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			68,484
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			

(i) ₹ 776.27 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 684.84 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2052-092-6705-राज्य सूचना आयोग -			
मूल	308.85		
पुनर्वि.	(-)104.17	204.68	204.63
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 104.17 लाख की कमी दैनिक मजदूरी एवं संविदा पर अधिकतर कर्मचारी होने के कारण एवं मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त रहने के कारण उल्लिखित की गई है।			(-)0.05
(2) 2070-800-4678-स्वागत तथा सामपत्तिक पदाधिकारी का कार्यालय-			
मूल	173.50		
पुनर्वि.	(-)74.26	99.24	98.73
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 74.26 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			(-)0.51
2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2070-800-5079-विशेष जांच आयोग-			
मूल	106.29		
पुनर्वि.	(-)29.56	76.73	51.73
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 29.56 लाख की कमी आर्थिक मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)25.00
(4) 2235-60-107-4674-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भत्ते तथा उपादान-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)254.46	45.54	0.96
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 254.46 लाख की कमी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2006-07 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			(-)44.58

अनुदान संख्या 02 समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2235-60-800-7297-लोक नायक जय प्रकाश नारायण सम्मान निधि-			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-)176.96	523.04	545.74
			+22.70

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 176.96 लाख की कमी मीसा बंदियों की पेंशन निर्धारित समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03-पुलिस

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
2049-ब्याज अदायगियां			
2055-पुलिस			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत-			
मूल	3,29,01,188		
पूरक	3,17,900	3,32,19,088	2,73,39,088
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)58,80,000 2,32,522
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)	6,600	2,195	(-)4,405 600
पूंजीगत :			
दत्तमत-			
मूल	2,87,700		
पूरक	71,176	3,58,876	2,87,189
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)71,687 00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, नवम्बर 2016 (₹ 1,000.00 लाख) एवं मार्च 2017 (₹ 2,179.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 3,179.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 58,800.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 2,325.21 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-01-200-2629-पुलिस	1,800.00	0.00	(-)1,800.00
₹ 1,800.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2017)।			

(2) 2055-001-3680-राज्य मुख्यालय-

मूल	6,665.10		
पुनर्वि.	(-)400.00	6,265.10	5,276.58
			(-)988.52

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 400.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2055-001-7012-पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण	401.60	67.77	(-)333.83
(4) 2055-001-7811-डायल 100/112	1,000.00	10.00	(-)990.00
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2055-003-195-अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएं— मूल 5,502.35 पुनर्वि. 20.00	5,522.35	3,511.60	(-)2,010.75
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख का आवर्धन के कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2055-003-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 8917-काउन्टर इनसरजेंसी एण्ड एन्टी टेरोरिस्ट स्कूल	300.00	0.00	(-)300.00
₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2055-101-279-अभियोजन संचालनालय— मूल 2,371.75 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)735.31	1,636.44	1,621.09	(-)15.35
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 735.31 लाख की कमी कर्मचारियों की कमी, निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने एवं भृत्य के पद में पूर्ति हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2055-101-0801-केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7633-क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम	1,000.00	850.13	(-)149.87
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(9) 2055-104-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)— मूल 1,02,877.50 पूरक 2,179.00 पुनर्वि. (-)119.00	1,04,937.50	85,467.15	(-)19,470.35
समर्पण द्वारा ₹ 159.00 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 40.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 119.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई हैं। कमी एवं वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अत्यधिक राशि की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(10) 2055-104-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7307-विशेष अधोसंरचना विकास योजना	2,500.00	0.00	(-)2,500.00
₹ 2,500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2055-108-5067-विधि चिकित्सा विज्ञान	777.45	592.86	(-)184.59
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 2055-109-121-केन्द्रीय पुलिस बल तैनाती	230.00	14.68	(-)215.32
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)-			
मूल	1,65,066.40		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	900.00	1,65,966.40	1,42,729.97
			(-)23,236.43
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 900.00 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अत्यधिक राशि की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(14) 2055-109-6717-प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय-			
मूल	13,301.00		
पुनर्वि.	(-)501.00	12,800.00	12,462.61
			(-)337.39
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 600.00 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 501.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2055-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7660-महिला अपराध अनुसंधान इकाई	395.00	0.00	(-)395.00
₹ 395.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2055-111-2531-पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (रेल्व पुलिस-पूर्वी विभाग)	2,722.93	2,373.69	(-)349.24
अत्याधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(17) 2055-114-4155-वेतार केन्द्र रायपुर-			
मूल	3,640.10		
पुनर्वि.	261.00	3,901.10	3,218.42
			(-)682.68
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 261.00 लाख का आवर्धन के पर्याप्त कारणों के साथ ही अत्यधिक राशि की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2055-115-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	2,500.00	2,218.18	(-)281.82
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2007-08 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(19) 2055—800—7506—नक्सल क्षेत्रों में नवीन थाना चौकी निर्माण एवं सुदृढीकरण— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)261.00	2,239.00	0.00	(-)2,239.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 261.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अत्यधिक राशि की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015—16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 2070—107—2710—प्रधान सेनानी कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय— मूल 2,392.46 पुनर्वि. (-)676.39	1,716.07	1,740.09	+24.02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 676.39 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2007—08 से 2015—16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(21) 2070—107—492—आव्हान पर होने वाला व्यय— मूल 11,397.21 पुनर्वि. (-)913.52	10,483.69	10,498.31	+14.62
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 913.52 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं देयकों की प्राप्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013—14 से 2015—16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2055—113—7494—छ.ग. पुलिस हाऊसिंग कापोरेशन— मूल 250.00 पुनर्वि. 100.00	350.00	350.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख का आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015—16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) ₹ 44.05 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 6.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 271.76 लाख) एवं मार्च 2017 (₹ 440.00 लाख) में प्राप्त कुल ₹ 711.76 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या 03—समाप्त

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4055-207-3680-राज्य मुख्यालय	1,350.00	1,032.91	(-)317.09
(2) 4055-208-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2629-पुलिस	550.00	250.00	(-)300.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2007-08 से 2015-16 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिक्य+
बचत(-)

मुख्य शीर्ष—

2013—मंत्री परिषद्

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2216—आवास

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व:

मूल	3,14,465			
पूरक	9,000	3,23,465	1,57,194	(-)1,66,271
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				1,65,422
पूंजीगत		100	96	(-)4
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				00
टीका एवं टिप्पणियां				

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 70.00 लाख) एवं नवम्बर 2016 (₹ 20.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 90.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,662.71 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को ₹ 1,654.22 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2070-106-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7465-रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेंस-			
मूल	105.85		
पुनर्वि.	(-)105.85	0.00	0.00
(2) 2070-108-7715-नियंत्रण कक्ष, आग नियंत्रण एवं आपातकालीन सेवाएं-			
मूल	193.87		
पुनर्वि.	(-)193.87	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 105.85 लाख एवं ₹ 193.87 लाख का प्रत्याहरण रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई हैं।

अनुदान संख्या 04—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2070-108-7716-क्षेत्र कार्यालय, आग नियंत्रण एवं आपातकालीन सेवाएं— मूल 474.11 पुनर्वि. (-)469.78	4.33	4.87	+0.54
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 469.78 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

(4) 2070-108-7717-प्रशिक्षण केन्द्र, आग नियंत्रण एवं आपातकालीन सेवाएं— मूल 264.93 पुनर्वि. (-)264.93	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 264.93 लाख का प्रत्याहरण रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

(5) 2070-108-7718-आपातकालीन सेवाएं— मूल 445.01 पुनर्वि. (-)296.35	148.66	160.82	+12.16
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 296.35 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

(6) 2235-60-200-6704-जन जागरण अभियान— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2009-10 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई हैं।			

(7) 2235-60-200-9262-जिला सैनिक बोर्ड— मूल 530.88 पुनर्वि. (-)141.56	389.32	389.02	(-)0.30
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 141.56 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने तथा हितधारिकों की मृत्यु होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-60-200-7495-अपराध पीडित के लिए मुआवजा— मूल 100.00 पूरक 20.00 पुनर्वि. 95.05	215.05	158.20	(-)56.85

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 130.00 लाख की वृद्धि, पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 34.95 लाख की कमी जिलाधीशों से निधि हेतु कम मांग प्राप्त होने के कारण निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 95.05 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 05—जेल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2056—जेल			
राजस्व :			
दत्तमत	14,28,160	12,34,340	(-)1,93,820
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			1,92,680
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	<i>00</i>	<i>(-)10</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			<i>10</i>

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 1,938.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 1,926.80 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2056—001—2272—निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	296.26		
पुनर्वि.	(-)119.82	176.44	+0.35
(2) 2056—101—938—केन्द्रीय एवं जिला जेलें—			
मूल	13,360.34		
पुनर्वि.	(-)1,806.95	11,553.39	(-)11.75

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 119.82 लाख एवं ₹ 1,806.95 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013—14 से 2015—16 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2005—06 से 2015—16 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई हैं।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 से 2015—16 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 06—वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2047—अन्य राजकोषीय सेवाएं			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन			
2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2435—अन्य कृषि कार्यक्रम			
2885—उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय			
7810—अन्तर्राज्यीय निपटारा			
7999—आकस्मिकता निधि को विनियोजन			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	5,30,12,720		
पूरक	79,947	530,92,667	3,56,52,786
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)-1,74,39,881 880,480
प्रभारित	5,050	16,733	+11,683
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	1,000		
पूरक	6,00,000	6,01,000	6,04,379
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			+3,379 00
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 729.47 लाख) एवं नवम्बर 2016 (₹ 70.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 799.47 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।			
(ii) ₹ 1,74,398.81 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 8,804.80 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन बजट प्रबंधन पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2054—095—2274—निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	1,55.05		
पुनर्वि.	(-)-450.64	1,104.41	1,098.34
			(-)-6.07

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2054-095-4307—संभागीय स्थापना— मूल 736.15 पुनर्वि. (-)249.38	486.77	486.86	+0.09
(3) 2054-095-8904—ऑडिट सेल का गठन— मूल 281.91 पुनर्वि. (-)164.89	117.02	116.88	(-)0.14
(4) 2054-097-1026—खजाना स्थापना— मूल 3,769.34 पूरक 113.00 पुनर्वि. (-)1,336.50	2,545.84	2,539.56	+6.28
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 450.64 लाख, ₹ 249.38 लाख, ₹ 164.89 लाख एवं ₹ 1,336.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2008-09 से 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत एवं 2011-12 से 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (1) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2054-098-4361—स्थानीय निधि लेखा— मूल 2,024.20 पूरक 15.24 पुनर्वि. (-)732.01	1,307.43	1,298.00	(-)9.43
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 732.01 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं दावे प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2071-01-101-2413—सेवा निवृत्त वेतन भोगियों को देय	3,45,000.00	1,89,596.35	(-)1,55,403.65
(7) 2071-01-104-4590—सेवा एवं मूल्य निवृत्ति पुरस्कार	50,000.00	39,942.43	(-)10,057.57
(8) 2071-01-115-2514—परिवार पेंशन	70,000.00	68,364.04	(-)1,635.96
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (8) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक राशि की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत एवं 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2071-01-117-6801—राज्य शासन का अंशदान— मूल 34,000.00 पुनर्वि. (-)3,873.43	30,126.57	30,126.57	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,873.43 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2435-60-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5628—कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्त करण हेतु ब्याज अनुदान— मूल 3,300.00 पुनर्वि. (-)1,603.80	1,696.20	1,696.32	+0.12
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,603.80 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 06-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2885-60-190-4843-अधोसंरचना विकास निगम-			
मूल	150.00		
पूरक	100.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	50.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2071-01-102-3080-भारत में पेशनों का रूपान्तरित मूल्य का भुगतान	500.00	782.58	+282.58
(2) 2071-01-115-5438-अवकाश नगदीकरण	15,000.00	15,953.05	+953.05

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक राशि का आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2235-60-200-7000-पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति-			
मूल	0.10		
पुनर्वि.	(-)0.10	0.00	+339.58

यद्यपि 31 मार्च 2017 को सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 00.10 लाख अभ्यर्पित हुआ, इस योजना अंतर्गत ₹ 356.58 लाख का व्यय किया गया जो कि बिना बजट व्यय के अंतर्गत हुआ। चूंकि इस शीर्षान्तर्गत ₹ 00.10 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान 31 मार्च 2017 का अभ्यर्पण होने के बावजूद ₹ 356.58 लाख का व्यय किया जो कि योजनांतर्गत बिना बजट का परिणाम है।

प्रभारित-

(v) प्रभारित विनियोग से हुए ₹ 1,16,83.200 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(vi) विनियोग से आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2071-01-106-600- उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों को भुगतान	50.00	167.33	+1,17.33

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

पूजीगत :

दत्तमत-

(vii) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 33,78,750 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(viii) प्रावधान से आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
7810-122-5675-मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य अन्तर्राज्यीय समायोजन	10.00	43.79	+33.79

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2030—स्टाम्प तथा पंजीकरण			
2039—राज्य उत्पाद शुल्क			
2040—बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	27,54,835		
पूरक	8,34,300	35,89,135	28,89,549
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)6,99,586 3,20,719
<i>प्रभारित —</i>			
मूल	6,00,555		
पूरक	2,471	6,03,026	6,00,113
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)2,913 7
पूंजीगत			
दत्तमत	39,120	15,753	(-)23,367
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			21,930
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 6,995.86 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 3,207.19 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2030-01-001-6003—मुख्य कार्यालय की स्थापना —			
मूल	220.49		
पुनर्वि.	(-)107.40	113.09	115.12
			+2.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 107.40 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2030-03-001-1480—जिला प्रभार—

मूल	1,627.13		
पुनर्वि.	(-)501.31	1,125.82	1,410.99
			+285.17

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 501.31 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 07—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2039-001-122-अधीक्षण— मूल 2,718.90 पूरक 50.00	2,768.90	2,044.02	(-)724.88
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2039-001-1470-जिला कार्यपालिक स्थापना	5,331.25	3,938.26	(-)1,392.99
अत्यधिक राशि की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2039-102-1111-अबकारी सामग्री की खरीद	120.00	6.10	(-)113.90
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2039-102-8629-नये सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर को प्रोत्साहन	300.00	0.00	(-)300.00
₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2039-800-4034-विभागीय मदिरा दुकानों का संचालन	6,021.00	3,509.07	(-)2,512.93
अत्याधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2040-001-3569-मुख्यालय स्थापना व्यय— मूल 1,488.46 पूरक 493.00 पुनर्वि. (-)892.29	1,089.17	1,085.42	(-)3.75
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 892.29 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, संविदा आधार पर कर्मचारियों की संख्या में कमी होने एवं जी. एस. टी. एन. द्वारा राशि की मांग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2040-101-1509-जिला स्थापना— मूल 6,094.82 पुनर्वि. (-)1,582.29	4,512.53	4,507.84	(-)4.68
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,582.29 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं नये वाहनों की खरीद हेतु राशि स्वीकृत नहीं दिए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2030-01-101-4612-स्टाम्पों की लागत— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)5.78	144.22	513.83	+369.61

अनुदान संख्या 07—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5.78 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014—15 एवं 2015—16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2030—02—102—2455—न्यायिकेतर स्टॉम्प की बिक्री पर व्यय	350.00	921.35	+571.35

अत्यधिक राशि की आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014—15 एवं 2015—16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 24.71 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(v) ₹ 29.13 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 0.07 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2039—001—1470—जिला कार्यपालिक स्थापना— मूल 5.00 पूरक 24.01	29.01	0.00	(-)29.01

₹ 29.01 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vii) ₹ 233.67 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को ₹ 219.30 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059—80—052—1509—जिला स्थापना— मूल 208.70 पुनर्वि. (-)145.89	62.81	62.81	0.00
(2) 4059—80—052—3589—मुख्यालय कार्यालय स्थापना पर व्यय— मूल 89.00 पुनर्वि. (-)73.41	15.59	15.59	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 145.89 लाख एवं ₹ 73.41 लाख की कमी कम्प्यूटर क्रय हेतु राशि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
2029-भू-राजस्व			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053-जिला प्रशासन			
2216-आवास			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2711-बाढ़ नियंत्रण			
3054-सड़कें और पुल			
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
6401-फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	79,83,189		
पूरक	20,67,925	1,00,51,114	80,94,587
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)19,56,527 17,57,388
<i>प्रभारित</i>	<i>1,526</i>	<i>1,500</i>	<i>(-)26</i> <i>26</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			
पूंजीगत:			
दत्तमत	8,30,400	28,595	(-)8,01,805
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			8,01,595
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत-			

(i) ₹ 19,565.27 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 17,573.88 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2029-001-456-आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय-			
मूल	527.62		
पूरक	50.00		
पुनर्वि.	(-)91.28	486.34	445.68
			(-)40.66

अनुदान संख्या 08—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 91.28 लाख की कमी शासन द्वारा मांग से अधिक बजट का प्रावधान किए जाने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, कर्मचारियों द्वारा देयकों को जमा नहीं किये जाने, डिजिटल हस्ताक्षर का कार्य अपूर्ण रहने, वाहन नए होने एवं मशीनों के अनुरक्षण कार्य में कम व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत का कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2029-102-2193—नजुल स्थापना—			
मूल	491.56		
पुनर्वि.	(-)126.28	365.28	355.64
			(-)9.64

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 126.28 लाख की कमी अधिक बजट का प्रावधान करने, रिक्त पदों की पूर्ति विलम्ब से होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं जिलाधिकारियों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 2029-102-2503—परिमाण, व्यवस्थापना तथा लेख्य संग्रह संबंधी कार्य—			
मूल	465.63		
पुनर्वि.	(-)92.70	372.93	353.41
			(-)19.52

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 92.70 लाख की कमी अधिक बजट का प्रावधान करने, रिक्त पदों की पूर्ति विलम्ब से होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं जिलाधिकारियों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2029-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7787—ई—धरती—			
मूल	4,630.00		
पुनर्वि.	(-)4,165.11	464.89	464.88
			(-)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,165.11 लाख की कमी राज्य सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने एवं निविदा कार्य में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(5) 2029-103-1472—जिला खर्च—			
मूल	20,796.00		
पूरक	500.00		
पुनर्वि.	(-)457.06	20,839.54	21,015.16
			+175.62

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 457.06 लाख की कमी अधिक बजट का प्रावधान करने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, देयकों की प्राप्ति न होने, फर्नीचर की खरीद न होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2029-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7635—राष्ट्रीय भू-अभिलेख का आधुनिकीकरण (एन.एल.आर.एम.पी.)—			
मूल	11,082.55		
पुनर्वि.	(-)8,664.49	2,418.06	2,213.65
			(-)204.41

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,664.49 लाख की कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2029-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7797—प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना— पूरक 525.00 पुनर्वि. (-)246.80	278.20	356.11	+77.91
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 246.80 लाख की कमी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने, पटवारी के रिक्त पदों की पूर्ति न होने एवं योजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(8) 2029-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5917—भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2029-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7603—राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन— मूल 209.00 पुनर्वि. (-)98.55	110.45	89.08	(-)21.37
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 98.55 लाख की कमी स्थानीय बाजार में सामग्री उपलब्ध नहीं होने एवं निविदा प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(10) 2052-099-3657—राजस्व बोर्ड— मूल 547.04 पुनर्वि. (-)218.50	328.54	263.47	(-)65.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 218.50 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, चिकित्सा दावे, यात्रा एवं अवकाश यात्रा रियायत के देयक प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(11) 2053-093-1510—जिला स्थापना— मूल 24,793.80 पूरक 225.00 पुनर्वि. (-)2,721.95	22,296.85	20,494.58	(-)1,802.27
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,721.95 लाख की कमी शासन की अनुदानों की मांग से अधिक बजट का प्रावधान होने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, कर्मचारियों से यात्रा देयक प्राप्त नहीं होने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं जिलाधीशों द्वारा निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक राशि की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 2053-101-452—आयुक्त संभागीय कार्यालय— मूल 914.55 पुनर्वि. (-)206.09	708.46	699.07	(-)9.39
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 206.09 लाख की कमी शासन की अनुदानों की मांग से अधिक बजट का प्रावधान होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने, कर्मचारियों से देयक प्राप्त नहीं होने एवं जिलाधीशों द्वारा निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 2053-800-7769-भूमि अधिग्रहण पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना प्राधिकार— मूल 93.40 पुनर्वि. (-)67.20	26.20	17.49	(-)8.71
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 67.20 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

(14) 2515-102-8911-अधोसंरचना निधि से व्यय— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			

(15) 3054-04-337-8911-अधोसंरचना निधि से व्यय— मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)1,100.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.00 लाख की कमी, राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,050.00 लाख की अन्य कमी, जिलाधीशों द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,100.00 लाख का प्रत्याहरण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2711-01-103-8910-पर्यावरण निधि से व्यय— मूल 240.00 पुनर्वि. 1,050.00	1,290.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,050.00 लाख का आवर्धन प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के कार्यान्वयन किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) ₹ 8,018.05 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को ₹ 8,015.95 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-6333-भू-राजस्व कार्यालय भवन— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)1,200.00	0.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,200.00 लाख का प्रत्याहरण राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4059-80-052-1472-जिला खर्च-			
मूल	90.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)90.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 90.00 लाख का प्रत्याहरण वाहनों का क्रय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(3) 4059-80-052-1510-जिला स्थापना-			
मूल	385.00		
पुनर्वि.	(-)122.00	263.00	(-)1.78

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 2.05 लाख की कमी जिलाधीशों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने एवं वाहनों के क्रय हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा समर्पण द्वारा ₹ 119.95 लाख की अन्य कमी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के कारण संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 122.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(4) 4059-80-052-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7787-ई-धरती-			
मूल	2,266.00		
पुनर्वि.	(-)2,266.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 2,266.00 लाख का प्रत्याहरण केन्द्र प्रवर्तित योजना का राज्य योजना में परिवर्तित करने में विलम्ब होने एवं निविदा कार्य में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(5) 4515-196-0510-अधोसंरचना विकास निधि- 8911-अधोसंरचना निधि से व्यय-			
मूल	4,320.00		
पुनर्वि.	(-)4,320.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 4,320.00 लाख का प्रत्याहरण राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 09—राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
4058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत	1,60,766	99,314	(-)61,452
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			61,725
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	<i>00</i>	<i>(-)10</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			<i>10</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत	54,600	00	(-)54,600
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			54,600
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 614.52 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 617.25 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2058—101—618—उप नियंत्रक कार्यालय को लेखन सामग्री—			
मूल	155.21		
पुनर्वि.	(-)50.15	105.06	(-) 0.25
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.15 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(2) 2058—102—2820—फार्म का मुद्रण, भण्डारण और वितरण—			
मूल	954.74		
पुनर्वि.	(-)361.85	592.89	+0.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 361.85 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने, मांग प्राप्त नहीं होने, नवीन मशीन क्रय नहीं किए जाने एवं मुद्रण सामग्री की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005—06 से 2015—16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(3) 2058—102—5659—शासकीय प्रेस रायपुर—			
मूल	389.80		
पुनर्वि.	(-)260.10	129.70	+2.92

अनुदान संख्या 09—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 260.10 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं कर्मचारियों से देयक प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005-06 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2058-104-301-अशासकीय मुद्रणालयों में मुद्रण कार्य—			
मूल	25.00		
पुनर्वि.	87.24	112.24	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 90.00 लाख की वृद्धि निर्धारित समय सीमा में मुद्रण कार्य निजी मुद्रकों द्वारा पूर्ण किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2.76 लाख कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 87.24 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पुंजीगत:

दत्तमत—

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4058-103-3427-छपाई मशीनों का क्रय—			
मूल	546.00		
पुनर्वि.	(-)546.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से ₹ 546.00 लाख का प्रत्याहरण निविदा प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 10-वन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी			
4406-वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत-			
मूल	97,35,276		
पूरक	13,222	97,48,498	74,67,550
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)22,80,948 2,62,862
प्रभारित-			
मूल	2,29,335		
पूरक	1,975	2,31,310	2,10,873
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)20,437 0.00
पूंजीगत :			
दत्तमत	2,45,810	29,283	(-)2,16,527
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			2,02,212
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत-			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 132.21 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।			
(ii) ₹ 22,80.95 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 2,628.62 लाख का अभ्यर्षण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2406-01-001-3555-मुख्यालय-			
मूल	2,106.95		
पुनर्वि.	8.00	2,114.95	1,671.20
			(-)443.75
प्रावधान में ₹ 8.00 लाख का आवर्धन, पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 15.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। पुनर्विनियोजन द्वारा वृद्धि लम्बित देयकों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 2406-01-070-4349-रोड़ निर्माण एवं मरम्मत कार्य	900.00	701.94	(-)198.06
(3) 2406-01-101-2786-प्रादेशिक संभाग (क्षेत्रीय वृत्त)	1,329.55	1,032.74	(-)296.81
(4) 2406-01-101-3836-उत्पादन वन मण्डल राजकीय व्यापार राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी, खैर एवं बांस	3,047.47	2,454.15	(-)593.32

अनुदान संख्या 10—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक राशि की बचत के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2009-10 से 2015-16 एवं क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 से 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2406-01-101-3877-क्षेत्रीय वन मण्डल— मूल 37,879.60 पुनर्वि. (-)49.36	37,830.24	30,504.77	(-)7,325.47

प्रावधान से ₹ 49.36 लाख की कटौती, समर्पण द्वारा ₹ 26.26 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23.00 लाख की अन्य कमी का संयुक्त प्रभाव था। दोनों कमीयां देयकों के भुगतान नहीं किए जाने एवं कुछ योजनाओं के बन्द होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2406-01-101-812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना— मूल 922.77 पुनर्वि. 15.00	937.77	787.32	(-)150.45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	-----------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.00 लाख का आवर्धन के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2406-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2985-निम्नीकृत वनों की पुनःस्थापना (बांस वनों सहित)— मूल 3,900.00 पुनर्वि. (-)213.68	3,686.32	3,568.26	(-)118.06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 213.68 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(8) 2406-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6827-भूजल एवं जल संरक्षण कार्य— मूल 1,870.00 पुनर्वि. (-)466.14	1,403.86	1,290.43	(-)113.43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 466.14 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(9) 2406-01-102-3531-प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनों सहित) संरक्षण— मूल 1760.00 पुनर्वि. (-)3.89	1756.11	1438.92	(-)327.19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3.89 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2406-01-102-4475-सामाजिक वानिकी	1,292.90	954.74	(-)338.16
--------------------------------------	----------	--------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(11) 2406-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7732-छत्तीसगढ़ स्टेट एक्शन प्लान आन क्लाइमेट योजना	200.00	0.00	(-)200.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	-----------

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2406-01-102-0430—वन विकास निधि— 6699—वन विकास उपकर निधि से व्यय— मूल 2,285.00 पुनर्वि. (-)660.33	1,624.67	1,604.92	(-)19.75
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 660.33 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि स्थानांतरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1902—तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित— मूल 950.00 पुनर्वि. (-)646.04	303.96	290.43	(-)13.53
(14) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6724—बांस वनों का पुनरोद्धार— मूल 1,150.00 पुनर्वि. (-)229.29	920.71	880.80	(-)39.90
उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 646.04 लाख एवं ₹ 229.29 लाख की कमी संभागीय कार्यालय से राशि प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। उपरोक्त शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(15) 2406-01-105-1202—वाह्य सहायता योजना (सामान्य)— 6725—यूरोपीयन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	132.21	0.00	(-)132.21
₹ 132.21 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(16) 2406-01-203-535—इमारती लकड़ी— मूल 9,485.00 पुनर्वि. (-)101.94	9,383.06	5,437.81	(-)3,945.25
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 101.94 लाख की कमी निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक राशि की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2406-01-204-2901—बांस	1,755.00	907.94	(-)847.06
(18) 2406-02-110-2899—राष्ट्रीय उद्यान	1,349.80	1,186.59	(-)163.21
(19) 2406-02-110-2900—अभ्यारण्य क्षेत्र	2,892.00	2,423.91	(-)468.09
(20) 2406-02-110-3896—वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि करने पर क्षतिपूर्ति	2,000.00	1,758.70	(-)241.30
(21) 2406-02-110-8644—वन्य प्राणी/वन वृत्तों की स्थापना	361.35	252.48	(-)108.87
(22) 2406-02-110-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 5502—प्रोजेक्ट एलीफेन्ट	200.00	73.27	(-)126.73
(23) 2406-02-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6539—राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	930.00	437.00	(-)493.00

अनुदान संख्या 10—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (17) से (23) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक राशि की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 तथा क्रम संख्या (22) के शीर्षान्तर्गत 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी। उपरोक्त क्रम संख्या (23) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 से 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(24) 2406-02-110-0430-वन विकास निधि— 6699-वन विकास उपकर निधि से व्यय	572.00	0.00	(-)572.00

₹ 572.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(25) 2406-04-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7261-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	5,022.00	2,522.71	(-)2,499.29
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------------

अत्यधिक राशि की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2406-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6723-संयुक्त वन प्रबंध सुदृढीकरण एवं विकास— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)0.75	199.25	220.17	+20.92

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.75 लाख की कमी कार्य का निष्पादन न होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से भी कम था, नवम्बर 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 19.75 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vi) ₹ 204.37 लाख के उपलब्ध विनियोग के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन विनियोग पर कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2406-01-797-3885-वन विकास निधि में अंतरण	2,288.00	2,084.40	(-)203.60

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूजीगत:

दत्तमत—

(viii) ₹ 2,165.27 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को ₹ 2,022.12 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 10—समाप्त

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4406-01-070-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1859-राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना-			
मूल	165.00		
पुनर्वि.	(-)165.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 165.00 लाख का प्रत्याहरण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(2) 4406-01-070-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4342-सड़के तथा मकान निर्माण कार्य-			
मूल	270.00		
पुनर्वि.	(-)56.05	213.95	(-)9.81
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 56.05 लाख की कमी संभागीय कार्यालय से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(3) 4406-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित आयोजना (सामान्य)- 5538-एकीकृत वन सुरक्षा योजना-			
मूल	1,800.00		
पुनर्वि.	(-)1,800.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,800.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से राशि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 4406-02-110-0701-केन्द्र प्रवर्तित आयोजना (सामान्य)- 6539-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	70.00	7.19	(-)62.81
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 11-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
2230- श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
2851-ग्रामीण तथा लघु उद्योग			
2852-उद्योग			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
4852-लोहा और इस्पात उद्योगों पर पूंजी परिव्यय			
6851-ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत-			
मूल	19,75,902		
पूरक	21,150	19,97,052	14,92,764
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)5,04,288 5,04,558
<i>प्रभारित</i>	<i>35</i>	<i>00</i>	<i>(-)35</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			<i>15</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत-			
मूल	13,54,214	10,77,472	(-)2,76,742
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			2,76,742
<i>प्रभारित</i>	<i>500</i>	<i>00</i>	<i>(-)500</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			<i>500</i>
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत-			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 206.00 लाख) एवं नवम्बर 2016 (₹ 5.50 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 211.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।			
(ii) ₹ 5,042.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 5,045.58 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2851-200-1464-जिला औद्योगिक केन्द्र-			
मूल	2,226.49		
पुनर्वि.	(-)565.86	1,660.63	1,664.28
			+3.65

अनुदान संख्या 11-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2852-80-001-3370-संचालनालय उद्योग-			
मूल	867.03		
पूरक	5.50		
पुनर्वि.	(-)258.31	614.22	613.56
			(-)0.66
(3) 2852-80-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
5385-नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना-			
मूल	875.98		
पुनर्वि.	(-)439.04	436.94	436.94
			0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 565.86 लाख, ₹ 258.31 लाख एवं ₹ 439.04 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 से 2015-16 के दौरान एवं क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 से 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2852-80-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
7784-मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00
			0.00
(5) 2852-80-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
7785-पूँजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,500.00	0.00	0.00
			0.00
(6) 2852-80-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
8890-खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान-			
मूल	1,400.00		
पुनर्वि.	(-)1,400.00	0.00	0.00
			0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 500.00 लाख, ₹ 1,500.00 लाख एवं ₹ 1,400.00 लाख के प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(7) 2852-80-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
9068-औद्योगिक इकाईयों को लागत पूँजी अनुदान-			
मूल	6,500.00		
पुनर्वि.	(-)97.17	6,402.83	6,402.83
			0.00
(8) 3475-200-255-अन्य व्यवसायिक उपक्रमों के विनियमन-भारतीय साझेदारी विधान का प्रशासन-			
मूल	262.31		
पुनर्वि.	(-)115.68	146.63	146.33
			(-)0.30

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 97.17 लाख एवं ₹ 115.68 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.35 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 0.15 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। 2010-11 से 2015-16 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 11—समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5586- निर्यात अधोसंरचना विकास के लिए सहायता- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा संपूर्ण प्रावधान ₹ 1,000.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(2) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6742-औद्योगिक पार्कों के लिए अनुदान- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)700.00	1,300.00	1,300.00	0.00
(3) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8983- औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक उन्नयन कार्य- मूल 4,796.14 पुनर्वि. (-)461.42	4,334.72	4,334.72	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 700.00 लाख एवं ₹ 461.42 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान एवं क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9219-भू-अर्जन तथा भूमि विकास क्षतिपूर्ति का भुगतान- मूल 600.00 पुनर्वि. (-)600.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 600.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

प्रभारित—

(vi) ₹ 5.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 से 2015-16 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9219- भू-अर्जन तथा भूमि विकास क्षतिपूर्ति का भुगतान- मूल 5.00 पुनर्वि. (-)5.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 5.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
2801—बिजली			
2810—नवीन तथा नवीनीकरण योग्य ऊर्जा			
4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
6801—ऊर्जा परियोजना के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	64,92,387		
पूरक	14,50,000	79,42,387	50,16,384
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)29,25,553 29,00,550
<i>प्रभारित</i>	<i>25,77,500</i>	<i>24,08,900</i>	<i>(-)1,68,600</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			<i>00</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	73,91,120		
पूरक	7,19,300	81,10,420	47,17,354
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)33,93,066 33,91,100

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, नवम्बर 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 14,500.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 29,255.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को ₹ 29,055.50 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2045—103—4281—संग्रह प्रभार बिजली शुल्क	950.87	701.84	(-)249.03
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010—11 एवं 2015—16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 2801—80—101—6501—एकल बत्ती कनेक्शन हेतु अनुदान—			
मूल	1,900.00		
पुनर्वि.	(-)763.00	1,137.00	1,137.00
(3) 2801—80—101—7305—पाँच एच.पी.के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी—			
मूल	10,600.00		
पुनर्वि.	(-)5,737.00	4,863.00	4,863.00

अनुदान संख्या 12—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 763.00 लाख एवं ₹ 5,737.00 लाख की कमी शासन द्वारा प्रतिभूत लघु अवधि ऋण के आहरण में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2801-80-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7758-उदय योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान-			
मूल	21,753.00		
पुनर्वि.	(-)21,753.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 21,753.00 लाख का प्रत्याहरण बाँड जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(5) 2810-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7694-सौर उर्जा आधारित योजनाओं हेतु अनुदान-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	700.00	0.00

(6) 2810-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7695-विद्यमान संयंत्रों की क्षमता उन्नयन व संधारण-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)150.00	350.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 300.00 लाख एवं ₹ 150.00 लाख की कमी वित्त विभाग से राशि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2810-60-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7697-बायो एनर्जी आधारित कार्यक्रम-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)120.00	80.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 120.00 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iv) ₹ 1,686.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष दौरान कोई भी राशि अभयर्पित नहीं की गई।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2045-797-3218-उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत उर्जा विकास उपकर निधि को अन्तरण	25,775.00	24,089.00	(-)1,686.00

अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 12-जारी

पूँजीगत :

दत्तमत-

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 6,193.00 लाख) एवं मार्च 2017 (₹ 1,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 7,193.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 33,930.66 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 33,911.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4801-06-190-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7652-दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना-			
मूल	890.00		
पूरक	(-)890.00	0.00	0.00
(2) 4801-06-190-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7655-एकीकृत विद्युत विकास योजना-			
मूल	1,500.00		
पूरक	(-)1,500.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 890.00 लाख एवं ₹ 1,500.00 लाख का प्रत्याहरण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(3) 4801-06-800-0410-उर्जा विकास निधि-			
6758-कृषि पम्पों का उर्जाकरण-			
मूल	15,000.00		
पूरक	(-)6,600.00	8,400.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 6,600.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4801-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
7498- ऊर्जा उत्पादन/वितरण कम्पनी पर पूँजीगत परिव्यय-			
मूल	30,000.00		
पूरक	(-)30,000.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 30,000.00 लाख का प्रत्याहरण योजना प्रक्रियाधीन रहने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4810-102-0410-ऊर्जा विकास निधि-			
7693-सौर पंप को सहायता अनुदान-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	5,079.00	6,579.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,600.00 लाख की वृद्धि, ग्यारह सौर पम्पों की स्थापना किये जाने तथा समर्पण द्वारा ₹ 1,521.00 लाख की कमी, उर्जा विकास निधि के तहत अपर्याप्त निधि होने के कारण निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 5,079.00 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 12—समाप्त

(x) विद्युत/ऊर्जा विकास निधि :-

ऊर्जा विकास निधि का गठन ऊर्जा विकास उपकर से किया गया जो उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिए विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया गया जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), रिसर्च एवं विकास योजनाओं में विद्युत उत्पादन, क्षमता, पारेषण वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वे एवं ऊर्जा कन्जर्वेशन कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर "राजस्व शीर्ष 0043—विद्युत पर कर एवं शुल्क—800—अन्य प्राप्तियों" में जमा किया जाता है तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के "मुख्य शीर्ष 2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क—797—संग्रहण प्रभार—विद्युत शुल्क—3218—उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि का अन्तरण" को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

इस निधि में 01 अप्रैल 2016 को प्रारम्भिक शेष ₹ 3,382.72 लाख जमा था। वर्ष के दौरान ₹ 24,089.00 लाख की राशि निधि में इस अनुदान के अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष—2045—797 संचय तिथि से/में स्थानांतरण—3218 उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण" को नामे कर जमा की गई तथा निधि से वर्ष के दौरान ₹ 24,089.00 लाख का व्यय किया गया। 31 मार्च 2017 को ₹ 3,382.72 लाख की शेष राशि निधि में जमा थी।

इस निधि के लेन—देन" मुख्य शीर्ष—8229—विकास एवं कल्याण निधि—110—ऊर्जा विकास निधि" में सम्मिलित है जिसका लेखा वित्त लेखे 2016—17 के "21—आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण" में दिया गया है।

अनुदान संख्या 13—कृषि

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2401—फसल कृषि—कर्म			
2402—मृदा तथा जल संरक्षण			
4401—फसल कृषि—कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
6401—फसल कृषि—कर्म के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	1,21,74,394		
पूरक	4,93,438	1,26,67,832	1,07,23,038
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)19,44,794 19,46,129
<i>प्रभारित</i>	<i>950</i>	<i>00</i>	<i>(-)950</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			<i>950</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत	48,903	26,944	(-)21,958
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			21,958

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 2,246.00 लाख) एवं नवम्बर 2016 (₹ 1,652.00 लाख) में प्राप्त कुल ₹ 4,934.38 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 19,447.94 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 19,461.29 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबन्धन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2401-001-119—अधिनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द—(जिला एवं अधिनस्थ स्तर का अमला)—			
मूल	26,029.25		
पुनर्वि.	(-)4,574.88	21,454.37	21,477.71
(2) 2401-001-124—अधीक्षण संभागीय स्तर का अमला—			
मूल	574.60		
पुनर्वि.	(-)115.61	458.99	459.62
(3) 2401-001-4288—संचालनालय (मुख्यालय स्तर का अमला) —			
मूल	906.69		
पुनर्वि.	(-)88.42	818.27	776.06
			(-)42.21

अनुदान संख्या 13—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 4,574.88 लाख, ₹ 115.61 लाख एवं ₹ 88.42 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2401-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— मूल 6,750.00 पुनर्वि. (-)1,714.62	5,035.38	5,035.38	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,714.62 लाख की कमी केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2401-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7258—नेशनल मिशन ऑन ऑइल सीड्स एण्ड ऑइल पॉम-लैबोरेटरी— मूल 255.00 पुनर्वि. (-)81.01	173.99	170.13	(-)3.86
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 116.00 लाख की वृद्धि अधिक व्यय होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 197.01 लाख की कमी केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 81.01 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2401-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6820—कृषक समग्र विकास योजना— मूल 3,182.50 पुनर्वि. (-)104.32	3,078.18	3,078.18	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 104.32 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2401-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7741—सूखा प्रभावित किसानों को निःशुल्क धान बीज वितरण — मूल 7,500.00 पुनर्वि. (-)2,774.00	4,726.00	4,726.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,774.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(8) 2401-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8900—जैविक खेती मिशन— मूल 974.71 पुनर्वि. (-)206.26	768.45	768.99	+0.54
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 206.26 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल 8,000.00 पुनर्वि. (-)4,769.89	3,230.11	3,230.11	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,769.89 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7266—एन.एम.एस.ए. रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम— मूल 1,053.00 पुनर्वि. (-)572.65	480.35	481.09	+0.74
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 572.65 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(11) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8942—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— (हरित क्रांति)— मूल 10,000.00 पुनर्वि. (-)1,309.34	8,690.66	8,681.47	(-)9.19
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,309.34 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2401-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7269—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— मूल 1,750.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)189.19	1,560.81	1,561.99	+1.18
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 189.19 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2401-113-6929—सहायक यंत्री कार्यालय— मूल 474.70 पुनर्वि. (-)126.49	348.21	349.50	+1.29
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 126.46 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2401-113-7017—कृषि यंत्री कार्यालय— मूल 769.10 पुनर्वि. (-)131.76	637.34	669.60	+32.26
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12.70 लाख की वृद्धि, मस्टर रोल (हाजिरी पंजीयन) मजदूरों को भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 144.46 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 131.76 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(15) 2401-113-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अन्तर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)928.29	571.71	572.35	+0.64
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 928.29 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2401-119-2013— नए उद्यानों तथा पौध शालाओं की स्थापना— मूल 1,888.82 पुनर्वि. (-)277.41	1,611.41	1,661.36	+49.95

अनुदान संख्या 13—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 277.41 लाख की कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(17) 2401-119-6788—संचालनालय उद्यानिकी—			
मूल	281.37		
पुनर्वि.	(-)83.72	197.65	(-)6.11
(18) 2401-119-9188—उद्यान विकास योजना—			
मूल	4,392.73		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)703.08	3,689.65	(-)5.36

उपरोक्त क्रम संख्या (17) एवं (18) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 83.72 लाख एवं ₹ 703.08 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(19) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—			
मूल	4,750.00		
पुनर्वि.	(-)3,199.66	1,550.34	(-)8.08

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,199.66 लाख की कमी जिलों से राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
7705—एकीकृत बागवानी विकास मिशन—			
मूल	9,352.00		
पुनर्वि.	(-)2,418.04	6,933.96	(-)0.63

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,418.04 लाख की कमी सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(21) 2401-119-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
8638—राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)113.10	886.90	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 113.10 लाख की कमी जिलों द्वारा राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(22) 2401-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7797—प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना—			
पूरक	400.00		
पुनर्वि.	(-)292.65	107.35	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 292.65 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(23) 2402-102-3143—भूमि संरक्षण कटावरोधक बंधान की योजना—			
मूल	3,043.05		
पुनर्वि.	(-)757.03	2,286.02	(-)17.12

अनुदान संख्या 13—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 757.03 लाख की कमी स्वीकृत संख्या के विरुद्ध वास्तविक संख्या के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2401-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7264—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल योजना— मूल 351.00 पुनर्वि. 177.30	528.30	523.62	+4.68

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 308.00 लाख की वृद्धि केन्द्र सरकार से जारी राशि के अनुसार व्यय किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 130.70 लाख की कमी केन्द्र एवं राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्ति अनुसार व्यय किए जाने के कारण निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 177.30 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7267—एन.एम.एस.ए. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना— मूल 874.07 पूरक 202.50 पुनर्वि. 79.65	1,156.22	1,177.81	+21.59
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 223.00 लाख की वृद्धि पारंपरिक कृषि विकास योजना हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 143.35 लाख की कमी वर्ष के अंत में केन्द्र सरकार से राशि जारी किए जाने के कारण निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 79.65 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(3) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 827.10 पुनर्वि. 408.49	1,235.59	1,235.59	0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 422.32 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 13.83 लाख की कमी, भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि अनुसार व्यय किये जाने कारण निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 408.49 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। वृद्धि के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(4) 2401-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7797—प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना— पूरक 1,479.37 पुनर्वि. 2,572.85	4,052.22	4,052.22	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,000.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 427.15 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,572.85 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2401-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8792—राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना— मूल 10,000.00 पूरक 310.00 पुनर्वि. 3,175.40	13,485.40	13,485.40	0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,175.40 लाख का आवर्धन राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत दावों के भुगतान के कारण उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 13—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7350-एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम-			
मूल	5,000.00		
पूरक	1,139.50		
पुनर्वि.	321.52	6,461.02	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,403.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,081.48 लाख की कमी सरकार से स्वीकृति प्राप्त अनुसार व्यय किए जाने के कारण निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 321.52 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। वृद्धि के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

प्रभारित-

(v) ₹ 9.50 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) ₹ 219.58 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4401-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8987-बीज गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रयोगशाला-			
मूल	70.00		
पुनर्वि.	(-)70.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 70.00 लाख का प्रत्याहरण योजना प्रारंभ नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(2) 4401-107-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7661-एन. एम. ई. टी. सबमिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाईन योजना-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)37.39	12.61	0.00

(3) 4401-108-0101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7267-एन. एम. एस. ए. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना-			
मूल	237.93		
पुनर्वि.	(-)101.66	136.27	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 37.39 लाख एवं ₹ 101.66 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी राशि अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 4401-113-6929-सहायक यंत्री कार्यालय-			
मूल	10.00		
पुनर्वि.	(-)10.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 10.00 लाख का प्रत्याहरण राज्य सरकार से चौथी किश्त की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2403—पशुपालन			
4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	41,65,822		
पूरक	27,609	41,93,431	30,60,854
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)11,32,577 11,23,011
प्रभारित	20	0.00	(-)20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			20

पूंजीगत :

दत्तमत—			
मूल	1,30,700	1,32,920	60,183
पूरक	2,220		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)72,737 72,736

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 256.09 लाख) एवं नवम्बर 2016 (₹ 20.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 276.09 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 11,325.77 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 11,230.11 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2403-001-1468—जिला एवं संभागीय स्तर—			
मूल	2,591.95		
पूरक	(-)397.58	2,194.37	2,187.93
			(-)6.44

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 397.58 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2009-10 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2403-101-2549—पशु औषधालय
एवं चिकित्सालय—

मूल	15,821.75		
पुनर्वि.	(-)3,001.68	12,820.07	12,746.12
			(-)73.95

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,001.68 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2403-101-3786—रोगाणुज्ञ— मूल 537.28 पुनर्वि. (-)134.29	402.99	404.09	+1.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 134.29 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2403-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8988—केन्द्रीय क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय बुसलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम— मूल 130.00 पुनर्वि. (-)105.47	24.53	24.53	0.00
(5) 2403-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5620—पशुरोग नियंत्रण— मूल 1,082.00 पुनर्वि. (-)687.60	394.40	395.98	+1.58
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 105.47 लाख एवं ₹ 687.60 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2403-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7403—कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय— मूल 2,157.80 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)2,157.80	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,157.80 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(7) 2403-102-1108—गहन पशु विकास परियोजना— मूल 4,585.02 पुनर्वि. (-)1035.34	3,549.68	3,532.87	(-)16.81
(8) 2403-102-2567—पशु प्रजनन फर्म— मूल 942.60 पुनर्वि. (-)138.49	804.11	803.55	(-)0.56
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,035.34 लाख एवं ₹ 138.49 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(9) 2403-102-5535—छत्तीसगढ़ गौसेवा एवं ग्रामीण विकास आयोग अनुदान— मूल 391.00 पुनर्वि. (-)159.30	231.70	231.70	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 159.30 लाख की कमी शासन से अनुदान प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2403-102-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7257—राष्ट्रीय गौसेवा भैंस वंशीय परियोजना एवं पशुधन बीमा योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 14-जारी

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 500.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से केन्द्रांश जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2403-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7621-राष्ट्रीय पशुधन योजना - मूल 1,250.00 पुनर्वि. (-)589.46	660.54	660.54	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 589.46 लाख की कमी भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(12) 2403-103-3578-पोल्ट्री फर्मों पर कुक्कुट विकास परियोजनाएं- मूल 1,195.21 पुनर्वि. (-)125.23	1,069.98	1,068.02	(-)1.96
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 125.23 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2403-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)- मूल 2,447.22 पुनर्वि. (-)658.39	1,788.83	1,788.83	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 658.39 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 2403-109-7403-कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय- मूल 2,246.38 पुनर्वि. (-)561.61	1,684.77	1,684.77	0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 561.61 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(15) 2403-113-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 5505-पशु जनगणना- मूल 20.00 पुरक 226.34 पुनर्वि. (-)229.53	16.81	16.81	0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 229.53 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(16) 2403-800-8703-दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना- मूल 1,357.09 पुरक 29.75 पुनर्वि. (-)364.71	1,022.13	1,020.34	(-)1.79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 364.71 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं राज्य सरकार से राशि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 14—समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत—

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम रहा, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 22.20 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(v) ₹ 727.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को ₹ 727.36 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4403-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 3578-पोल्ड्री फर्मों पर कुक्कुट विकास योजनाएं— मूल 45.00 पुनर्वि. (-)45.00	0.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 45.00 लाख का प्रत्याहरण राज्य सरकार द्वारा राज्यांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(2) 4403-109-0311-नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-
7403-कामधेनु पशुचिकित्सा
विश्वविद्यालय—
मूल 1,000.00
पुनर्वि. (-)500.00

500.00 500.00 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 500.00 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा राज्यांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4403-800-3784-रोगों की जांच—
मूल 100.00
पुनर्वि. (-)100.00

0.00 0.00 0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण राज्य सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 15—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2403—पशुपालन			
2405—मछली पालन			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2853—लौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व			
मूल	11,50,422		
पूरक	3,74,160	15,24,582	10,77,199
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)4,47,383 4,48,291
पूंजीगत	7,44,000	2,73,377	(-)4,70,623
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			4,50,493

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 42.00 लाख) एवं मार्च (₹ 3,699.60 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 3,741.60 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 4,473.83 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 4,482.91 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-789-197-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)445.22	54.78	54.78	0.00
(2) 2202-02-789-196-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)61.32	58.68	58.68	0.00

अनुदान संख्या 15—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 445.22 लाख एवं ₹ 61.32 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 तथा क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2235-60-789-198-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	2,500.00	2,443.30	(-)56.70

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2405-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 280.00 पुनर्वि. (-)45.45	234.55	208.20	(-)26.35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	----------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 45.45 लाख की कमी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का केन्द्रीय योजना नील क्रांति में सम्मिलित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2515-789-198-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7687-मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना— मूल 84.72 पुनर्वि. (-)57.65	27.07	28.27	+1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 57.65 लाख की कमी जिला पंचायतों द्वारा कोषालय से राशि आहरित नहीं किए जाने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2515-789-198-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7790-श्रद्धांजलि योजना— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)72.01	47.99	47.98	(-)0.01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 72.01 लाख की कमी निर्धारित दर से व्यय की राशि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(7) 2853-02-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6299-ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण— मूल 5,350.00 पूरक 3,699.60 पुनर्वि. (-)3,688.65	5,360.95	5,370.84	+9.89
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,688.65 लाख की कमी वित्त विभाग से देय तिथि तक निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 15—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-60-789-198-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7336- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	600.00	668.05	+68.05

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

पूँजीगत :

(v) ₹ 4,706.23 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 4,504.93 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन बजट प्रबंधन पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4515-789-198-1103-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 8986-मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना-			
मूल	6,840.00		
पुनर्वि.	(-)4,504.93	2,335.07	(-)201.30

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,504.93 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा बजट में कटौती के परिणाम स्वरूप राशि जारी नहीं किए जाने एवं कोषालय से राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 16—मछली पालन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2405—मछली पालन			
2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	5,19,288		
पूरक	27,142	5,46,430	4,74,578
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)71,852
प्रभारित	20	00	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)20
			00
पूंजीगत :			
दत्तमत	10,000	7,060	(-)2,940
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 13.22 लाख) एवं मार्च 2017 (₹ 258.20 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 271.42 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 718.52 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2405-001-2280-प्रशासन एवं निर्देशन	396.86	277.04	(-)119.82
(2) 2405-101-162-अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए जिला स्तर कर्मचारी	2,880.02	2,401.38	(-)478.64

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2405-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)- मूल	585.00		
पुनर्वि.	(-)133.50	451.50	487.79
			+36.29
(4) 2405-120-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 3287-मत्स्य पालन सहकारी समितियां एवं मछली विपणन-			
मूल	480.80		
पूरक	13.22		
पुनर्वि.	(-)480.80	13.22	13.22
			0.00

अनुदान संख्या 16—समाप्त

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 133.50 लाख एवं ₹ 480.80 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को केन्द्रीय क्षेत्र योजना नील क्रांति में सम्मिलित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2405-800-0801-केन्द्र क्षेत्र योजना- 5625-मत्स्य पालन के लिए डेटाबेस और सूचना नेटवर्किंग का सुदृढिकरण	95.50	21.43	(-)74.07

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2017)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2405-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7814-नील-क्रांति के तहत मत्स्य विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम- पूरक 258.00 पुनर्वि. 614.30	872.50	820.44	(-)52.06

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 614.30 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को केन्द्रीय क्षेत्र योजना नील क्रांति में सम्मिलित किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

प्रभारित-

(v) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। 2013-14 एवं 2015-16 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) ₹ 29.40 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2425—सहकारिता			
4408—खाद्य, भंडारण तथा भंडागार पर पूंजीगत परिव्यय			
4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
6425—सहकारिता के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	19,10,737		
पूरक	3,70,000	22,80,737	18,68,396
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)4,12,341 4,11,314
<i>प्रभारित</i>	<i>15</i>	<i>00</i>	<i>(-)15</i> <i>15</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			
पूंजीगत:			
दत्तमत	4,06,501	4,06,498	(-)3 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 (₹ 1,215.00 लाख) एवं मार्च 2017 (₹ 2,485.00) लाख में प्राप्त किया गया कुल ₹ 3,700.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 4,123.41 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 4,413.14 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2425-001-123-अधीक्षण—			
मूल	4,402.42		
पुनर्वि.	(-)1,134.01	3,268.41	3,258.41
(2) 2425-001-2282-निर्देशन—			
मूल	720.01		
पुनर्वि.	(-)244.70	475.31	474.95

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,134.01 लाख एवं ₹ 244.70 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 17—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2425—107—0101— राज्य आयोजना (सामान्य)— 5628—कृषक ऋण ब्याज दर युक्तिकरण हेतु ब्याज अनुदान— मूल 7,000.00 पूरक 3,700.00 पुनर्वि. (-)1,886.00	8,814.00	8,814.00	0.00
(4) 2425—107—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8654—राज्य/जिला सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक का सहकारी बैंको में विलय— मूल 4,263.00 पुनर्वि. (-)830.37	3,432.63	3,432.63	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,886.00 लाख एवं ₹ 830.37 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2015—16 के दौरान भी क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2010—11 से 2015—16 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.15 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 से 2015—16 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 18—श्रम

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत	13,18,647	7,99,384	(-)5,19,263
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			5,18,491
<i>प्रभारित</i>	<i>20</i>	<i>00</i>	<i>(-)20</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			<i>20</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत	10,000	00	(-)10,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			10,000
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 5,192.63 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को ₹ 5,184.91 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2210-01-102-791-कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय—			
मूल	1,869.53		
पुनर्वि.	(-)403.62	1,456.91	1,465.97
			+0.06

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 403.62 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2210-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

3676-राज्य बीमा अस्पताल—

मूल 3,224.10

पुनर्वि. (-)734.25

2,489.85

2,489.97

+0.12

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 734.25 लाख की कमी नवीन औषधालय के प्रारम्भ नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2230-01-101-4268-श्रम आयुक्त—

मूल 397.67

पुनर्वि. (-)87.88

309.79

309.65

(-)0.14

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 87.88 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 18—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2230-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7440-राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(5) 2230-01-101-4271-श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए अमला- मूल 1,144.70 पुनर्वि. (-)295.73	848.97	844.96	(-)40.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 295.73 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(6) 2230-01-101-4272-श्रम न्यायालय- मूल 469.35 पुनर्वि. (-)125.95	343.40	343.13	(-)0.27
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 125.95 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2005-06 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2230-01-102-5810-औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा- मूल 400.07 पुनर्वि. (-)158.12	241.95	241.97	+0.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 158.12 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2006-07 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2230-01-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7435-असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल- मूल 1,975.00 पुनर्वि. (-)1,070.97	904.03	904.03	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,070.97 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 2230-01-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8977-असंगठित सफाई कर्मकार कल्याण मण्डल- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)748.25	251.75	251.75	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 748.25 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2230-01-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8989-ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मण्डल- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)628.67	371.33	371.33	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 628.67 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 18—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2230-01-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 2837—बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना— मूल 610.00 पुनर्वि. (-)532.64	77.36	77.36	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 532.64 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा तथा 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2015-16 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4250-201-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8352—राज्य में बीड़ी मजदूरों के लिए आवास निर्माण— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण आवासीय भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211—परिवार कल्याण			
4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	1,64,27,389		
पूरक	6,45,000	1,70,72,389	1,41,88,663
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)28,83,726 31,42,178
<i>प्रभारित</i>	<i>1,780</i>	<i>668</i>	<i>(-)1,112</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			<i>1,112</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत	4,12,770	2,75,977	(-)1,36,793
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			84,981
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 6,150.00 लाख) एवं नवम्बर 2016 (₹ 300.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 6,450.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 28,837.26 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 31,421.78 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2210-01-001-2283-निर्देशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन मूलभूत सेवायें)— मूल 3,475.77 पुनर्वि. (-)1,534.74	1,941.03	1,943.42	+2.39
(2) 2210-01-110-748-औषधालय— मूल 770.30 पुनर्वि. (-)243.02	536.28	570.76	+34.48
(3) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7327-मानसिक चिकित्सालय— मूल 640.95 पुनर्वि. (-)263.85	377.10	502.41	+125.31

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(4) 2210-01-196-1473—जिला चिकित्सालय— मूल 6,438.95 पुनर्वि. (-)1,872.11	4,566.84	4,708.55	+141.71
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,534.74 लाख, ₹ 234.02 लाख, ₹ 263.85 लाख एवं ₹ 1,872.11 लाख की कमी के कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (2) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 से 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2210-01-196-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1473—जिला चिकित्सालय— मूल 8,599.15 पूरक 180.00 पुनर्वि. (-)2,625.22	6,153.93	6,086.02	(-)67.91
(6) 2210-01-200-77—अंध रोग उपचार की रोकथाम की इकाईयां स्थापित करना— मूल 1,893.47 पुनर्वि. (-)242.56	1,650.91	1,581.08	(-)69.83
उपरोक्तक्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,625.22 लाख एवं ₹ 242.56 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(7) 2210-01-200-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6960—राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना— मूल 12,500.00 पुनर्वि. (-)1,756.08	10,743.92	10,743.92	0.00
(8) 2210-01-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8649—मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)120.00	80.00	80.00	0.00
उपरोक्तक्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,756.08 लाख एवं ₹ 120.00 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(9) 2210-03-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6884—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन— मूल 47,500.00 पुनर्वि. (-)7,172.51	40,327.49	40,327.49	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,172.51 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2210-03-197-5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 3,845.48 पुनर्वि. (-)383.79	3,461.69	3,501.67	+39.98
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 383.79 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(11) 2210-03-197-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 7,216.95 पूरक. (-)675.28	6,541.67	5,939.61	(-)602.06
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 675.28 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(12) 2210-03-198-2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं)— मूल 20,719.00 पुनर्वि. (-)2,232.58	18,486.42	18,139.63	(-)346.79
समर्पण द्वारा ₹ 1,782.58 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 450.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,232.58 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(13) 2210-03-198-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— (मूलभूत सेवाएं)— मूल 4,397.45 पूरक 30.00 पुनर्वि. (-)341.60	4,085.85	3,994.49	(-)91.36
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 341.60 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(14) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7799—सी.पी.एस योजना— पूरक 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 150.00 लाख का प्रत्याहरण प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(15) 2210-06-003-2502—परिचारिकाओं का प्रशिक्षण— मूल 401.33 पुनर्वि. (-)181.04	220.29	223.27	+2.98
(16) 2210-06-101-4244—शीत ज्वर— मूल 1,939.45 पुनर्वि. (-)499.00	1,440.45	1,447.26	+6.81
(17) 2210-06-101-8150—बहुदेशीय कार्यकर्ता योजना— मूल 1,406.61 पुनर्वि. (-)331.09	1,075.52	1,105.43	+29.91
उपरोक्त क्रम संख्या (15) से (17) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 181.04 लाख, ₹ 499.00 लाख एवं ₹ 331.09 लाख की कमी के कारणों के साथ ही क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत 2013-14 से 2015-16, क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 एवं क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(18) 2210-06-101-858—कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम— मूल 2,752.47 पुनर्वि. (-)218.43	2,534.04	2,600.29	(-)66.25
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 218.43 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(19) 2210-06-101-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 6729—एड्स नियंत्रण कार्यक्रम— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,998.87	1.13	1.13	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,998.87 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2210-06-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5026—छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान— मूल 1,250.00 पूरक 750.00 पुनर्वि. (-)125.00	1,875.00	1,875.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 125.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2210-06-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7636—बाल श्रवण योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2210-06-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8632—बाल हृदय सुरक्षा योजना— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)420.00	280.00	280.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 420.00 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2210-06-102-1070—खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोगशाला सहित)— मूल 1,486.50 पुनर्वि. (-)990.59	495.91	581.25	+85.34
(24) 2210-06-104-750—औषध नियंत्रण— मूल 940.50 पुनर्वि. (-)527.81	412.69	527.34	+114.65
उपरोक्त क्रम संख्या (23) एवं (24) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 990.59 लाख एवं ₹ 527.81 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (24) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(25) 2211-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 336—ऑक्जीलियरी नर्स, मिड वाईफ एवं हेल्थ विजीटर्स को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण— मूल 319.02 पुनर्वि. (-)152.44	166.58	161.96	(-)4.62

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(26) 2211-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 621—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 12,800.00 पुनर्वि. (-)4,971.32	7,728.74	8,085.38	+256.64
(27) 2211-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6791—शहरी स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 371.35 पुनर्वि. (-)104.01	267.34	271.40	(-)4.06

उपरोक्त क्रम संख्या (25) से (27) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 152.44 लाख, ₹ 4,971.31 लाख एवं ₹ 104.01 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही क्रम संख्या (26) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (25) एवं (27) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 एवं क्रम संख्या (26) के शीर्षान्तर्गत 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(28) 2211-103-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 6106—युनिवर्सल इम्पुनाईजेशन— मूल 130.00 पुनर्वि. (-)130.00	0.00	0.00	0.00
(29) 2211-200-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 2498—पारंपरिक निरोध की आपूर्ति— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (28) एवं (29) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 130.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख के प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (28) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2071-01-800-5499—सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा— मूल 220.00 पुनर्वि. (-)75.20	144.80	541.18	+396.38

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.20 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2009-10 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।

(2) 2210-03-198-620—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 1,416.00 पुनर्वि. 430.99	1,847.59	1,919.75	+72.16
------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 450.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 19.01 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 430.99 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(3) 2210-03-198-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 620—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 2,405.85 पुनर्वि. (-)25.15	2,380.70	4,701.26	+2,320.56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-----------

अनुदान संख्या 19—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 25.15 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अत्याधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(v) ₹ 1,367.93 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 849.81 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4210-01-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1473-जिला अस्पताल-			
मूल	1,690.00		
पुनर्वि.	(-)331.09	1,358.91	(-)3.56

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 331.09 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4210-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं)-			
मूल	489.20		
पुनर्वि.	(-)106.47	382.73	+0.14

(3) 4210-02-197-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-			
मूल	1,020.00		
पुनर्वि.	(-)264.79	755.21	+0.02

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 106.47 लाख एवं ₹ 264.79 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 से 2015-16 के दौरान निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 4210-04-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1070-खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोगशाला सहित)	478.00	27.40	(-)450.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4210-80-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7398-मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2215—जलपूर्ति तथा सफाई			
4215—जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
6215—जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	35,93,306		
पूरक	1,000	35,94,306	27,60,443
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)8,33,863 8,64,808
प्रभारित—			
मूल	1,000		
पूरक	326	1,326	1,326
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00 00
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	23,73,420		
पूरक	सांकेतिक	23,73,420	19,39,437
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)4,33,983 4,54,991
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, नवम्बर 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 10.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 8,338.63 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 8,648.08 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2215-01-001-2294-निर्देशन—			
मूल	1,770.44		
पूरक	10.00		
पुनर्वि.	(-)631.83	1,148.61	1,177.90
(2) 2215-01-001-2715-प्रशासन—			
मूल	10,324.01		
पुनर्वि.	(-)3,031.78	7,292.23	7,305.30
(3) 2215-01-101-5300-स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं का संधारण—			
मूल	1,596.39		
पुनर्वि.	(-)705.87	890.52	892.50

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2215-01-102-1202—ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं का अनुरक्षण— मूल 667.10 पुनर्वि. (-)248.32	418.78	411.57	(-)7.21
(5) 2215-01-102-1854—ड्रिलिंग रिंग्स का आपरेशन— मूल 1,640.78 पुनर्वि. (-)427.60	1,213.18	1,204.45	(-)8.73
(6) 2215-01-102-2219—नलकूपों का अनुरक्षण— मूल 7,083.08 पुनर्वि. (-)2,351.98	4,731.10	4,764.79	+33.69

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 631.83 लाख, ₹ 3,031.78 लाख, ₹ 705.87 लाख, ₹ 248.32 लाख, ₹ 427.60 लाख एवं ₹ 2,351.98 लाख की कमी जिलों से राशि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (1), (2) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2008-09 से 2015-16, क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2009-10 से 2015-16 तथा क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 से 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2012-13 से 2015-16, क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2013-14 से 2015-16 तथा क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 2215-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9938—भू-जल स्रोतों का रिचार्जिंग— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 150.00 लाख का प्रत्याहरण जिलों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2215-01-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8538—महासमुंद जल आवर्धन योजना	90.10	0.00	(-)92.10
(9) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7309—गोरेला जल प्रदाय योजना	389.58	0.00	(-)389.58
(10) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7387—पाण्डातराई जल प्रदाय योजना	205.89	0.00	(-)205.89

उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (10) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(11) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7509—अभनपुर जल प्रदाय योजना	587.96	353.50	(-)234.46
(12) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8661—डोंगरगांव आवर्धन जल प्रदाय योजना	950.00	729.64	(-)220.36

उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 2215-01-799-4058—विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम— मूल 1,870.00 पुनर्वि. (-)851.46	1,018.54	1,118.13	+99.59

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 851.46 लाख की कमी जिलों से राशि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2215-01-191-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7431—रायपुर पेयजल आवर्धन योजना	0.10	489.57	+489.47
(2) 2215-01-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7447—गोबरा नवापारा जल प्रदाय योजना	0.10	401.97	+401.87
(3) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7374—मारो जल प्रदाय योजना	0.10	88.73	+88.63
(4) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7488—गरियाबंद जल प्रदाय योजना	86.11	314.59	+228.48
(5) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8908—नवीन नगरीय आवर्धन जल प्रदाय योजना	1,545.00	1,650.38	+105.38

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक राशि की आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(v) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के व्यय में "2215—जल प्रदाय और सफाई—01—जल प्रदाय—799—उचंत" के अन्तर्गत लेखांकित ₹ 1,118.13 लाख का व्यय सम्मिलित है। लघु शीर्ष "उचंत" में अस्थायी प्रकृति के लेन-देन दर्ज किए जाते हैं जो कि न तो अंतिम रूप से सम्बंधित निर्माण कार्य को समायोजित किए जाते हैं और न ही उनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गए हैं, तो उन्हें प्रति वर्ष अग्रणीत किया जाता है। "उचंत" शीर्ष में चार उपभाग हैं यथा :-

(1) क्रय (2) भण्डार (3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम और (4) कार्यशाला उचंत

प्रत्येक उपभाग के अन्तर्गत लेन-देनों का प्रकार और लेखा कार्य विधि जो अपनाई जाती है, नीचे स्पष्ट की गई :-

(1) क्रय— राज्य में 1983-84 से नई लेखा पद्धति के अपनाने के फलस्वरूप उप संभाग अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रणीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

(2) भण्डार— इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिए नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिए प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिए यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से सम्बंधित असमायोजित प्रभार यदि कोई हो, के योग के नामे शेष दर्शायेगा।

अनुदान संख्या 20—जारी

(3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम— इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा, निर्माण कार्य पर किया गया व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियां आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।

(4) कार्यशाला उचंत—किए गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण विभाग के कार्यशालाओं में अन्य परिचालन सम्बन्धी प्रभार वसूली या समायोजन पर्यन्त इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।

2016—17 के दौरान अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए विभिन्न उप शीर्षों के अन्तर्गत "उचंत" लेन—देनों का विश्लेषण नीचे दिया गया है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2016 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2017 को नामे + जमा (-)
2215—जल आपूर्ति तथा सफाई				
(i) क्रय	(-)1,600.70	0.00	0.00	(-)1,600.70
(ii) भण्डार	+1,550.23	0.00	0.00	+1,550.23
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+11,606.71	1,118.13	492.47	+10,981.05
योग	+11,556.24	1,118.13	492.47	+10,930.58

पूजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 4,339.83 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 4,549.91 लाख का अभ्यर्णण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4215-01-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2715—प्रशासन— मूल 484.00 पुनर्वि. (-)313.23	170.77	189.44	+18.67
(2) 4215-01-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7664—ग्राम लाखौली आरंग में एन.सी.सी. प्रशिक्षण परिसर में जल प्रदाय योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)169.85	30.15	30.15	0.00
(3) 4215-01-102-693—औजार एवं मशीनरी— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)78.73	421.27	417.82	(-)3.45

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 313.23 लाख, ₹ 169.85 लाख एवं ₹ 78.73 लाख की कमी जिलों से राशि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2015—16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4215-01-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7353—राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम— मूल 8,000.00 पुनर्वि. (-)1,357.64	6,642.36	7,360.60	+718.24

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,357.64 लाख की कमी भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने से राज्यांश जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(5) 4215-01-102-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5403—पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 9,212.50 पुनर्वि. (-)6,034.55	3,177.95	3,188.91	+10.96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा ₹ 2,320.27 लाख की कमी, राशि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,714.28 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 6,034.55 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अन्य कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(6) 4215-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5403—पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 1,350.00 पुनर्वि. (-)9.81	1,340.19	1,254.98	(-)85.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9.81 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4215-01-102-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 7858—सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 3,496.56	3,496.56	3,075.76	(-)420.80

समर्पण द्वारा ₹ 217.72 लाख की कमी, जिलों से राशि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,714.28 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,496.56 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 21—आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2216—आवास			
2217—शहरी विकास			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217—शहरी विकास ऋण			
राजस्व:			
मूल	17,68,195		
पूरक	2,500	17,70,695	8,82,853
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)8,87,842 8,42,642
पूंजीगत :			
मूल	61,40,500		
पूरक	4,31,600	65,72,100	47,83,293
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)17,88,807 33,14,655

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 25.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 8,878.42 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 8,426.42 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2216-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7444-विकास नगर योजना-			
मूल	3,500.00		
पुनर्वि.	(-)3,500.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 3,500.00 लाख का प्रत्याहरण जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2216-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7670-मुख्यमंत्री आवासीय योजना-			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)3,415.13	1,584.87	1,587.87
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,415.13 लाख की कमी कार्य के आवश्यकतानुसार राशि विमुक्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2217-01-001-5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण	600.00	0.00	(-)600.00
₹ 600.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2017)			

अनुदान संख्या 21-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2217-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण-			
मूल	2,760.00		
पुनर्वि.	(-)795.00	1,965.00	2,565.00
			+600.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 795.00 लाख की कमी कार्य संबंधी देयक प्राप्त नहीं होने, कार्यालय व्यय हेतु राशि जारी नहीं किए जाने एवं समय पर कार्य प्रारम्भ नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2005-06 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2217-01-051-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7334-जी.ई.एफ.सहायता प्राप्त एस.यू.टी.पी. योजना-			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-)200.26	399.74	399.74
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.26 लाख की कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2217-05-001-2020-नगर और ग्राम निवेश	1,170.95	694.42	(-)476.53
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2217-05-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2621-विकास योजनाओं का संशोधन एवं अवलोकन-			
मूल	436.00		
पुनर्वि.	(-)122.07	313.93	338.46
			+24.53
(8) 2217-05-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7411-विकास प्राधिकरणों को अनुदान-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)362.96	137.04	137.04
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 122.07 लाख एवं ₹ 362.96 लाख की कमी सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम रहा, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 4,316.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(v) ₹ 17,888.07 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 33,146.55 लाख का अर्भ्यपण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 21-जारी

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4217-01-050-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण-			
मूल	24,000.00		
पुनर्वि.	(-)18,953.87	5,046.13	22,304.61
			+17,258.48
समर्पण द्वारा ₹ 16,953.87 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु राशि की स्वीकृति नहीं किए जाने के कारण एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख की अन्य कमी न्यायालयीन प्रक्रिया एवं सड़क संबंधी कार्य में विलम्ब होने के कारण संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 18,953.87 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(2) 4217-01-051-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7334-जी.ई.एफ.सहायता प्राप्त एस.यू.टी.पी. योजना-			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)849.90	2,150.10	2,150.10
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 849.90 लाख की कमी भारत सरकार से प्रतिपूर्ति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण-			
मूल	26,900.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)12,152.78	14,747.22	12,747.22
			(-)2,000.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11,437.78 लाख की कमी, कार्य पूर्ण नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 715.00 लाख की अन्य कमी योजना प्रक्रियाधीन रहते हुए स्वीकृति को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब के कारण संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 12,152.78 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7669-मलजल शोधन संयंत्र-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)400.00	100.00	100.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 400.00 लाख की कमी कार्य की आवश्यकतानुसार राशि विमुक्ति किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 6217-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7669-मलजल शोधन संयंत्र-			
मूल	7,000.00		
पुनर्वि.	(-)3,500.00	3,500.00	3,500.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,500.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 21—समाप्त

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7416-13 ^{वें} वित्त आयोग के अनुशंसा अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	1.00		
पूरक	4,315.00		
पुनर्वि.	2,715.00	7,031.00	7,031.00
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,715.00 लाख का आवर्धन नया रायपुर के विकास हेतु 13^{वें} वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य को पूर्ण करने हेतु व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 22—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
राजस्व :			
दत्तमत	2,89,705	2,33,183	(-)56,522
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			57,572
<i>प्रभारित</i>	<i>5</i>	<i>00</i>	<i>(-)5</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			<i>5</i>
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 565.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 575.72 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217-80-001-6148—नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय—			
मूल	245.72		
पुनर्वि.	(-)50.87	194.86	+13.97
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.87 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने एवं निधि की आवश्यकता नहीं होने तथा वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 2217-80-001-7442—संभागीय कार्यालय की स्थापना—			
मूल	337.49		
पुनर्वि.	(-)95.06	242.43	(-)0.89
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 95.06 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2217-80-001-7761—शिक्षकों को वेतन—			
मूल	2,262.00		
पुनर्वि.	(-)419.00	1,843.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 419.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा जारी स्वीकृति के आधार पर स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावनुसार राशि का आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है (जुलाई 2017)।			

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.05 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2015-16 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2700—मुख्य सिंचाई			
2701—मध्यम सिंचाई			
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत	52,86,200	41,31,928	(-)11,54,272
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			11,54,851
प्रभारित	110	00	(-)110
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			110
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	46,96,935		
पूरक	सांकेतिक		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)	46,96,935	38,91,629	(-)8,05,306
प्रभारित	2,500	1,402	(-)1,098
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			1,201
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			

(i) ₹ 11,542.72 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 11,548.51 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2700-01-101-2894-बांध तथा नहरें—			
मूल	3,154.80		
पुनर्वि.	(-)414.05	2,740.75	(-)12.26
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि, अनुरक्षण कार्य के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 514.05 लाख की कमी, 7 ^{वें} केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुमान अनुसार स्वीकृत राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 414.05 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(2) 2700-05-101-2894-बांध तथा नहरें—			
मूल	560.99		
पुनर्वि.	(-)109.97	451.02	(-)3.40

अनुदान संख्या 23-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 109.97 लाख की कमी 7^{वें} केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुमान अनुसार स्वीकृत राशि का भुगतान नहीं किए जाने एवं अनुरक्षण कार्य हेतु स्वीकृत राशि का व्यय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2700-06-101-2894-बांध तथा नहरें-			
मूल	562.24		
पुनर्वि.	(-)99.30	462.94	350.60
			(-)112.34
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70.00 लाख की वृद्धि, अनुरक्षण कार्य का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 169.30 लाख की कमी 7 ^{वें} वेतन आयोग के अनुमान अनुसार स्वीकृत राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 99.30 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2701-24-101-2250-नहरें तथा तालाब-			
मूल	670.20		
पुनर्वि.	(-)491.30	178.90	173.52
			(-)5.38
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 491.30 लाख की कमी 7 ^{वें} केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुमान अनुसार स्वीकृत राशि का भुगतान नहीं किए जाने एवं अनुरक्षण कार्य हेतु स्वीकृत राशि का व्यय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2701-80-001-275-आबियाना स्थापना-			
मूल	2,017.13		
पुनर्वि.	(-)519.54	1,497.59	1,471.89
			(-)25.70
(6) 2701-80-001-3264-मंडल स्थापना-			
मूल	514.47		
पुनर्वि.	(-)109.86	404.61	393.80
			(-)10.81
(7) 2701-80-001-3556-मुख्यालय स्थापना			
यूनिट-I-			
मूल	1,785.46		
पुनर्वि.	(-)376.77	1,408.69	1,409.93
			+1.24
(8) 2701-80-001-815-कार्यपालिक स्थापना-			
मूल	16,429.29		
पुनर्वि.	(-)3,790.43	12,638.86	12,676.30
			+37.44
(9) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
3264-मंडल स्थापना-			
मूल	1,408.49		
पुनर्वि.	(-)122.77	1,285.72	1,274.85
			(-)10.87
(10) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
3556-मुख्यालय स्थापना यूनिट-I-			
मूल	1,401.12		
पुनर्वि.	(-)225.31	1,175.81	1,164.63
			(-)11.18
(11) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
814-कार्यपालिक स्थापना			
(विद्युत/यांत्रिकी)-			
मूल	758.10		
पुनर्वि.	(-)100.86	657.24	651.37
			(-)5.87
(12) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
815-कार्यपालिक स्थापना-			
मूल	17,794.44		
पुनर्वि.	(-)4,507.25	13,287.19	13,155.80
			(-)131.39

अनुदान संख्या 23-जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 519.54 लाख, ₹ 109.86 लाख, ₹ 376.77 लाख, ₹ 3,790.43 लाख, ₹ 122.77 लाख, ₹ 225.31 लाख, ₹ 100.86 लाख एवं ₹ 4,507.25 लाख की कमी 7^{वें} वेतन आयोग के अनुमान अनुसार स्वीकृत राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (5), (6), (8), (9), (10) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (5), (7) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 से 2015-16 एवं क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत 2006-07 से 2015-16 के दौरान निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है। क्रम संख्या (8) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 तथा क्रम संख्या (9) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2700-03-101-2894-बांध तथा नहरें	58.50	200.59	+142.90
(2) 2701-01-101-2250-नहरें तथा तालाब	26.19	115.32	+89.13

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

प्रभारित-

(iv) ₹ 1.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 से 2015-16 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

(v) उचंत लेन देन-

इस अनुदान के राजस्व (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में "उचंत" शीर्ष के अधीन लेखांकित ₹ 14.19 लाख सम्मिलित है। "उचंत" के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) पर की गई है।

वर्ष 2016-17 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित "उचंत" लेन देन का विश्लेषण विभिन्न "उपशीर्षों" के अन्तर्गत प्रारम्भिक तथा अंत शेषों सहित नीचे दिया जा रहा है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2016 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2017 को नामे + जमा (-)
2701-मध्यम सिंचाई	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)841.87	00	00	(-)841.87
(ii) भण्डार	+880.95	14.19	18.60	+876.54
(iii) विविध लोक निर्माण अग्रिम	+2,425.83	00	00	+2,425.83
(iv) कार्यशाला उचंत	(-)147.90	00	00	(-)147.09
कुल	+2,612.00	14.19	18.60	+2,607.59

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) ₹ 8,053.06 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को ₹ 8,040.44 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

अनुदान संख्या 23—जारी

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2428-कार्यकारी स्थापना (यूनिट 1 एवं 2)- मूल 3,533.06 पुनर्वि. (-)605.59	2,927.47	2,912.53	(-)14.94
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 605.59 लाख की कमी 7 ^{वें} केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुमान के अनुसार भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(2) 4700-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य- मूल 7,050.00 पुनर्वि. (-)1,017.82	6,032.18	6,025.51	(-)6.67
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 90.00 लाख की वृद्धि, अधिग्रहीत भूमि के क्षतिपूर्ति का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,107.82 लाख की कमी, निविदा प्रक्रिया में विभाग द्वारा विलम्ब किए जाने के कारण निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,017.82 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4700-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट 1 एवं 2)- मूल 8,726.93 पुनर्वि. (-)1,553.63	7,173.30	7,190.12	+16.82
(4) 4700-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3556-मुख्यालय स्थापना (यूनिट-1)- मूल 966.09 पुनर्वि. (-)230.13	735.96	678.95	(-)57.01
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,553.63 लाख एवं ₹ 230.13 लाख की कमी 7 ^{वें} केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुमान के अनुसार भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4700-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य- मूल 4,010.00 पुनर्वि. (-)226.13	3,783.87	3,783.61	(-)0.26
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 226.13 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं भू-अर्जन प्रकारणों का निराकरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4700-06-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे सम्बंधित निर्माण कार्य- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)877.46	1,122.54	1,122.60	+0.06
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 600.00 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 227.46 लाख की अन्य कमी के कारण संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 877.46 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 4700-06-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5685—बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)488.11	111.89	111.96	+0.07
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 288.11 लाख की अन्य कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 488.11 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4700-08-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे संबंधित कार्य— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)287.01	412.99	421.17	+8.18
(9) 4700-09-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 4,700.00 पुनर्वि. (-)92.96	4,607.04	4,585.06	(-)21.98
(10) 4700-10-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे संबंधित कार्य— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)218.11	81.89	90.80	(-)8.91
उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (10) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 287.01 लाख, ₹ 92.96 लाख एवं ₹ 218.11 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2005-06 से 2015-16 के दौरान निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है। 2015-16 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 4700-12-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे संबंधित कार्य— मूल 2,800.00 पुनर्वि. (-)205.53	2,594.47	2,594.47	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 205.53 लाख की कमी भूमि संबंधी क्षतिपूर्ति के प्रकरण प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 4700-80-005-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4416—सर्वेक्षण— मूल 375.00 पुनर्वि. (-)319.17	55.83	47.37	(-)8.46
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.00 लाख की कमी, सर्वेक्षण हेतु नवीन परियोजनाएं उपलब्ध नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 19.17 लाख की अन्य कमी, सर्वेक्षण प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 319.17 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(13) 4701-01-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 375.00 पुनर्वि. (-)363.32	11.68	0.00	(-)11.68

अनुदान संख्या 23—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 363.32 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 4701-02-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)331.34	68.66	68.66	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 231.34 लाख की अन्य कमी, निविदा कार्य में धीमी प्रगति के कारण संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 331.34 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 4701-09-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
(16) 4701-32-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 110.00 पुनर्वि. (-)110.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 110.00 लाख का प्रत्याहरण नवीन कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(17) 4701-36-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 205.00 पुनर्वि. (-)111.68	93.32	96.83	3.51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 111.68 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है।

(18) 4701-80-002-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4793—जल मौसम विज्ञान नेटवर्क तथा संचालनालय स्थापना— मूल 1,615.44 पुनर्वि. (-)372.45	1,242.99	1,260.03	(-)17.04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 372.45 लाख की कमी 7^{वें} केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुमान अनुसार राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(19) 4711-01-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6757—बाढ़ नियंत्रण— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)1,501.23	1,498.77	1,498.77	0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,501.23 लाख की कमी केन्द्रीय जल मंडल (परिषद) नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 23—जारी

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700-02-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5685—बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण— मूल 1,325.00 पुनर्वि. (-)96.34	1,228.66	1,373.75	+145.09

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 96.34 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(2) 4700-05-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5685—बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण— मूल 500.00 पुनर्वि. 240.41	740.41	595.32	(-)145.09
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	-----------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 300.00 लाख की वृद्धि लम्बित दायित्वों के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 59.59 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी गति के कारण निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 240.41 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(3) 4701-03-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 1,200.00 पुनर्वि. 797.98	1,997.98	1,997.98	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 800.00 लाख की वृद्धि, निर्माण कार्य का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2.02 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी गति के कारण निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 797.98 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(4) 4701-10-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)0.40	399.96	499.87	+99.91
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 0.40 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(5) 4701-38-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 420.00 पुनर्वि. 151.69	571.69	570.26	(-)1.43
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा ₹ 18.31 लाख की कमी, भूमि अधिग्रहण प्रकरण के निपटारा नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 170.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 151.69 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(ix) उच्चतम लेन देन :-

इस अनुदान के पूंजीगत (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में उच्चतम शीर्ष के अधीन ₹ 21.98 लाख की राशि सम्मिलित है। उच्चतम के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेख की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) पर की गई है।

अनुदान संख्या 23—समाप्त

वर्ष 2016—17 के दौरान इस अनुभाग हेतु "उचंत" लेन देन का विश्लेषण उचंत उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक तथा अंतशेषों सहित नीचे दिया जा रहा है:—

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2016 को नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2017 को नामे+ जमा (-)
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय— (₹ लाख में)				
(i) क्रय	(-)830.51	0.00	0.00	(-)830.51
(ii) भण्डार	+346.16	0.00	0.00	+346.16
(iii) विविध लोक निर्माण अग्रिम	+1,583.53	21.98	0.33	+1,605.84
(iv) कार्यशाला उचन्त	(-)76.61	0.00	0.00	(-)76.61
कुल	+1,022.57	21.98	0.33	+1,044.88

प्रभारित—

(x) ₹ 10.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 12.01 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(xi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4948—डिक्री धन का भुगतान (भारित)— मूल 5.00 पुनर्वि. (-)5.00	0.00	0.00	0.00
(2) 4701—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4948—डिक्री धन का भुगतान (भारित)— मूल 20.00 पुनर्वि. (-)7.01	12.99	14.02	+1.03

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 5.00 लाख का प्रत्याहरण एवं प्रावधान से ₹ 7.01 लाख की कमी डिक्री धन का भुगतान हेतु प्रकरण प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2011—12 से 2015—16 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कों और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
3053—नागर विमानन			
3054—सड़क तथा सेतु			
5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	93,16,787	57,68,802	(-)35,47,985
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			55,60,977
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	1,69,26,676		
पूरक	2,80,001	1,72,06,677	(-)80,49,540
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			83,44,035
प्रभारित	1,70,830	1,53,414	(-)17,416
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			16,915
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :
दत्तमत—

(i) ₹ 35,479.85 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 55,609.77 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 3054-01-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत—			
मूल	3,040.00		
पुनर्वि.	(-)1,896.69	1,143.31	(-)46.19
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,896.69 लाख की कमी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कुछ कार्यों को कार्यान्वित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2012-13 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 3054-03-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत—			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)520.74	4,479.26	+101.88
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 520.74 लाख की कमी विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 3054-03-337-1826—डामरीकरण— मूल 1,400.00 पुनर्वि. (-)1,330.63	69.37	0.00	(-)69.37
(4) 3054-03-337-2227—नवीनीकरण— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)1,932.52	1,067.48	1,479.07	+411.59
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,330.63 लाख एवं ₹ 1,932.52 लाख की कमी विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत एवं क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 3054-03-337-4090—विशेष मरम्मत— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,307.58	692.42	696.91	+4.49
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.00 लाख की कमी, कम व्यय किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,232.58 लाख की अन्य कमी, विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,307.58 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(6) 3054-03-797-8716—केन्द्रीय सड़क निधि— मूल 15,000.00 पुनर्वि. (-)15,000.00	0.00	9,712.00	+9,712.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 15,000.00 लाख का प्रत्याहरण, विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण उल्लिखित किया गया है। अत्याधिक राशि की अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 3054-04-337-134—अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत— मूल 9,000.00 पुनर्वि. (-)1,115.18	7,884.82	7,595.28	(-)289.54
(8) 3054-04-337-1826—डामरीकरण— मूल 1,400.00 पुनर्वि. (-)1,365.66	34.34	34.34	0.00
(9) 3054-04-337-2227—नवीनीकरण— मूल 21,000.00 पुनर्वि. (-)9,712.14	11,287.86	10,972.29	(-)315.57
(10) 3054-04-337-4090—विशेष मरम्मत— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)506.22	693.78	780.52	+86.74
(11) 3054-04-337-4557—सुदृढ़ीकरण— मूल 1,700.00 पुनर्वि. (-)792.08	907.92	904.50	(-)3.42
(12) 3054-04-337-7510—ग्रामीण मार्गों का संधारण— मूल 11,200.00 पुनर्वि. (-)2,165.25	9,034.75	9,144.94	+110.19

अनुदान संख्या 24—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,115.18 लाख, ₹ 1,365.66 लाख, ₹ 9,712.14 लाख, ₹ 506.22 लाख, ₹ 792.08 लाख एवं ₹ 2,165.25 लाख की कमी विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (7), (9), (10) तथा (12) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी। क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 से 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 3054-80-001-2301-निर्देशन एवं प्रशासन— (मांग सं. 67-2059-लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग)— मूल 16,060.97 पुनर्वि. (-)16,060.97	0.00	10,400.51	+10,400.51
(14) 3054-80-052-692-औजार एवं संयंत्र प्रभार— (मांग सं. 67-2059-लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग)— मूल 1,784.55 पुनर्वि. (-)1,784.55	0.00	31.08	+31.08

उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 16,060.97 लाख एवं ₹ 1,784.55 लाख का प्रत्याहरण के साथ ही अत्यधिक राशि की अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(iii) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता—

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्पिड पर उत्पादन शुल्क तथा आयात कर की प्राप्ति में से किया जाता है। इस निधि से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में यह राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में जमा की जाती है और उसके समतुल्य राशि "3054-सड़कें तथा पुल-800-अन्य व्यय" जिसके लिए अनुदान संख्या 24—"लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल" में प्रावधान किया गया है, के नामे डालकर जमा लेखा "8449-अन्य जमा-केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता" को अन्तरित कर दी जाती है।

योजनाओं पर वास्तविक व्यय भी इस अनुदान के अन्तर्गत प्रारम्भिक तौर पर लेखांकित किया जाता है और बाद में जमा लेखा "8449-अन्य जमा-केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता" को अंतरित कर दिया जाता है। इस वर्ष के दौरान कोई भी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई तथा कोई व्यय नहीं किया गया।

31 मार्च 2017 को जमा लेखे में ₹ 3,793.13 लाख शेष था। निधि का लेखा वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे के क्रम संख्या 21-आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण में दिया गया है।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 0.01 लाख) एवं नवम्बर 2016 (₹ 28,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 28,000.07 लाख का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(v) ₹ 80,495.40 लाख के अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 83,440.35 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 24—जारी

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-03-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3775—रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण— मूल 20,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)10,397.89	9,602.11	9,699.58	+97.47
(2) 5054-03-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4151—वृहद पुलों का निर्माण— मूल 13,700.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)4,073.58	9,626.42	9,651.08	+24.66
(3) 5054-03-337-0520—केन्द्रीय सड़क निधि— 8716—केन्द्रीय सड़क निधि— मूल 15,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)4,265.52	10,734.48	10,757.13	+22.65
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 10,397.89 लाख, ₹ 4,073.58 लाख एवं ₹ 4,265.52 लाख की कमी विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 से 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है। क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 5054-03-337-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 1826—डामरीकरण— पूरक 1,400.00 पुनर्वि. (-)1,400.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,400.00 लाख का प्रत्याहरण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(5) 5054-03-337-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 4336—राज्यों में सड़कों का निर्माण राज्य मार्ग— मूल 20,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)14,494.50	5,505.50	5,874.48	+368.98
(6) 5054-03-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8716—केन्द्रीय सड़क निधि— मूल 6,011.76 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)5,557.65	454.11	2,185.62	+1,731.51
(7) 5054-04-337-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 6590—नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण— मूल 22,500.00 पुनर्वि. (-)15,504.78	6,995.22	6,937.83	(-)57.39

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1222—मूलभूत न्यूनतम सेवा के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण— मूल 12,000.00 पुनर्वि. (-)2,303.46	9,696.54	9,887.63	+191.09
(9) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1513—जिलों में मुख्य सड़कों का निर्माण— मूल 41,000.00 पुनर्वि. (-)18,918.60	22,081.40	22,361.50	+280.10
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 14,494.50 लाख, ₹ 5,557.65 लाख, ₹ 15,504.78 लाख, ₹ 2,303.46 लाख एवं ₹ 18,918.60 लाख की कमी विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2013-14 से 2015-16 एवं क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी। क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 से 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1826—झामरीकरण— पूरक 1,400.00 पुनर्वि. (-)1,340.24	59.76	202.47	+142.71
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,340.24 लाख की कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(11) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2457—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम— मूल 9,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)5,155.59	3,844.41	3,987.57	+143.16
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,155.59 लाख की कमी विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 5054-05-337-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 7733—एन्युटी के अन्तर्गत सड़क निर्माण— मूल 10,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)10,000.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 10,000.00 लाख का प्रत्याहरण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-05-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7818—ई. पी. सी. (इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्सन)— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00

अनुदान संख्या 24—समाप्त

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,000.00 लाख का आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

प्रभारित—

(viii) ₹ 174.16 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 169.15 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ix) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
3115—भू—अर्जन हेतु मुआवजा—			
मूल	1,707.00		
पूरक	(-)167.85	1,539.15	1,534.14
			(-)5.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 167.85 लाख की कमी विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 25—खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2853—लौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4853—लौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत	20,48,802	19,27,594	(-)1,21,208
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			1,23,242
<i>प्रभारित</i>	<i>500</i>	<i>00</i>	<i>(-)500</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			<i>500</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत	54,25,098	47,57,459	(-)6,67,639
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			6,67,635
टीका एवं टिप्पणियां:			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 1,212.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 1,232.42 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2853-02-001-4639—मुख्यालय स्थापना—			
मूल	1,047.69		
पुनर्वि.	(-)268.84	778.85	768.24
			(-)10.61

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 268.84 लाख की कमी दावें प्राप्त नहीं होने, आर्थिक मितव्ययी उपायों के अपनाने तथा रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2008-09 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2853-02-001-4640—जिला स्थापना—			
मूल	1,824.93		
पुनर्वि.	(-)223.66	1,601.27	1,628.35
			+27.08

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 223.66 लाख की कमी दावें प्राप्त नहीं होने एवं आर्थिक मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 25—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2853-02-001-4643-क्षेत्रीय स्थापना—			
मूल	1,385.95		
पुनर्वि.	(-)451.33	934.62	938.49
			+3.87
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 451.33 लाख की कमी आर्थिक मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 2853-02-797-5390-खनिज निधि में अंतरण—			
मूल	1,622.94		
पुनर्वि.	(-)288.58	15,940.87	15,940.87
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 288.58 लाख की कमी राज्य शासन से कम राशि की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

प्रभारित—

(iii) ₹ 5.00 लाख का संपूर्ण विनियोजन वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा तथा 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया।
पूँजीगत :
दत्तमत—
(iv) ₹ 6,676.40 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को ₹ 6,676.35 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4853-01-004-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि— 7792-संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म सम्बन्धी क्रियाकलाप—			
मूल	851.80		
पुनर्वि.	(-)530.61	321.19	321.19
			0.00
(2) 4853-01-004-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि— 7796-छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम सम्बन्धी क्रियाकलाप—			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,088.68	1,411.32	1,411.32
			0.00
(3) 6853-01-190-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि— 7796-छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम सम्बन्धी क्रियाकलाप—			
मूल	5,008.68		
पुनर्वि.	(-)5,008.68	0.00	0.00
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 530.61 लाख, ₹ 1,088.68 लाख एवं ₹ 5,008.68 लाख की कमी देयकों की प्राप्ति नहीं होने एवं निर्धारित अवधि में जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2205—कला एवं संस्कृति			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
4202—शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
मूल	3,60,521		
पूरक	35,000	3,95,521	3,35,613
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)59,908 59,378
पूंजीगत	65,000	00	(-)65,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			65,000
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 350.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 599.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 593.78 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2205—103—2318—निर्देशन एवं प्रशासन—			
मूल	337.92		
पुनर्वि.	(-)57.11	280.82	280.84
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 57.11 लाख की कमी देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने, अवकाश यात्रा रियायत का कर्मचारियों द्वारा लाभ नहीं लेने इत्यादि कारण उल्लिखित की गई है।			+0.02
(2) 2205—103—2685—प्रकाशन खण्ड—			
मूल	136.73		
पुनर्वि.	(-)94.02	42.71	42.66
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 94.02 लाख की कमी एरियर का भुगतान नहीं किए जाने, अवकाश यात्रा रियायत का कर्मचारियों द्वारा लाभ नहीं लेने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने इत्यादि कारण उल्लिखित की गई है।			(-)0.05
(3) 2205—103—758—संरक्षण सेल—			
मूल	160.82		
पुनर्वि.	(-)27.06	133.76	116.53
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 27.06 लाख की कमी देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने, अवकाश यात्रा रियायत का कर्मचारियों द्वारा लाभ नहीं लेने इत्यादि कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			(-)17.23

अनुदान संख्या 26—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2205-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 598-उत्खनन और सर्वेक्षण-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)61.35	138.65	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 61.35 लाख की कमी कार्य का निष्पादन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(5) 2205-104-3675-राज्य पुरालेख संचालनालय-			
मूल	146.90		
पुनर्वि.	(-)118.97	27.93	+28.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 118.97 लाख की कमी कर्मचारियों के एरियर तथा उनके सेवानिवृत्त होने का भुगतान नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं कार्य का निष्पादन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2205-107-4283-संग्रहालय-			
मूल	428.58		
पुनर्वि.	(-)119.93	308.65	(-)0.19

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 119.93 लाख की कमी कर्मचारियों द्वारा यात्रा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-04-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7760-सिरपुर का सांस्कृतिक विकास -			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)150.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 150.00 लाख का प्रत्याहरण राज्य सरकार से निधि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(2) 4202-04-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 3077-बहु आयामी संस्कृति संस्थान-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 500.00 लाख का प्रत्याहरण राज्य सरकार से राज्यांश एवं केन्द्र सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205—कला एवं संस्कृति			
4202—शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	4,30,77,786		
पूरक	22,94,967	4,53,72,753	3,53,95,461
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)99,77,292 1,03,30,699
प्रभारित	310	00	(-)310
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	8,70,530		
पूरक	14,20,000	22,90,530	15,84,013
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)7,06,517 7,06,517
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 4,218.87 लाख) एवं नवम्बर 2016 (₹ 18,820.80 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 22,949.67 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।			
(ii) ₹ 99,772.93 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 1,03,306.99 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-001-3930-विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)—			
मूल	4,285.90		
पुनर्वि.	(-)1,231.29	3,054.61	3,102.32
			+47.71
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,231.29 लाख की कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-053-9005—इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत— मूल 10,500.00 पुनर्वि. (-)10,500.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 10,500.00 लाख का प्रत्याहरण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2202-01-101-3491—माध्यमिक शालाएं (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 26,256.40 पुनर्वि. (-)5,489.61	20,766.79	21,345.76	+578.97
प्रावधान में ₹ 5,489.61 लाख की कटौती पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,500.00 लाख की कमी, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,989.61 लाख की अन्य कमी का संयुक्त परिणाम के कारण था। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2202-01-101-4396—सरकारी प्राथमिक शालाएं— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 34,360.00 पुनर्वि. (-)10,238.87	24,122.03	24,000.76	(-)21.27
प्रावधान में ₹ 10,238.87 लाख की कटौती पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,900.00 लाख की कमी, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 7,338.87 लाख की अन्य कमी का संयुक्त परिणाम के कारण था। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2007-08 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2202-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3491—माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 56,821.50 पुनर्वि. (-)7,415.31	49,406.19	49,398.76	(-)7.43
(6) 2202-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4396—सरकारी प्राथमिक शालाएं (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 30,094.60 पुनर्वि. (-)6,543.55	23,551.05	23,443.55	(-)107.50
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 7,415.31 लाख एवं ₹ 6,543.55 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2012-13 से 2015-16 एवं क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 2202-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8659—अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति— मूल 3,500.00 पुनर्वि. (-)138.62	3,361.38	3,361.38	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 138.62 लाख की कमी विद्यालय नियमानुसार शुल्क का आवंटन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2202-01-107-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाएं (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 3,601.94 पूरक 24.00 पुनर्वि. (-)1,349.34	2,276.60	2,273.32	(-)3.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,349.34 लाख की कमी कम राशि की देयक प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2202-01-107-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7673-विकास खण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान- मूल 338.15 पुनर्वि. (-)337.85	0.30	0.30	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 337.85 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2202-01-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8647-विज्ञान एवं गणित शिक्षा का प्रसार- मूल 290.00 पुनर्वि. (-)143.50	146.50	146.42	(-)0.08
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 143.50 लाख की कमी जिलों से राशि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(11) 2202-01-108-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5904-पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क प्रदाय- मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)200.00	1,000.00	1,000.00	0.00
(12) 2202-01-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1394-छात्राओं का गणवेश (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 1,367.00 पुनर्वि. (-)120.88	1,246.12	1,248.26	+2.14
उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 200.00 लाख एवं ₹ 120.88 लाख की कमी अनुमानित बजट की तुलना में लाभार्थियों की संख्या कम हाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(13) 2202-01-111-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 5396-सर्व शिक्षा अभियान- मूल 1,10,000.00 पूरक 15,000.00 पुनर्वि. (-)32,472.00	92,528.00	92,528.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 32,472.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(14) 2202-01-112-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 5169-विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम- मूल 3,500.00 पुनर्वि. (-)1,732.82	1,767.18	1,769.60	+2.41

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2202-01-112-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 6933-पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम- मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)1,387.03	1,612.97	1,613.97	+1.00
उपरोक्त क्रम संख्या (14) एवं (15) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,732.82 लाख एवं ₹ 1,387.03 लाख की कमी जिला कोषालय द्वारा मार्च 2017 में मानदेय आहरण पर आपत्ति लगाये जाने, केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, लाभार्थी छात्रों की संख्या में कमी होने एवं राशि आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2015-16 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(16) 2202-01-112-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 5169-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम- मूल 7,324.00 पूरक 1,170.80 पुनर्वि. (-)1,340.34	7,154.46	7,137.38	(-)17.08
(17) 2202-01-112-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6933-पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम- मूल 5,786.00 पुनर्वि. (-)317.83	5,468.17	5,462.98	(-)5.19
उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,340.34 लाख एवं ₹ 317.83 लाख की कमी वितरण अनुसार विद्यार्थियों का नामांकन किए जाने एवं रसोई शेड के निर्माण का कार्य अपूर्ण रहने के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 एवं 2015-16 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2202-01-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7765-मुख्य मंत्री अमृत योजना- मूल 390.00 पुनर्वि. (-)327.21	62.79	62.79	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 327.21 लाख की कमी सरकारी आदेशानुसार 01 अप्रैल 2017 से योजना का प्रारम्भ किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(19) 2202-02-105-4402-शासकीय शैक्षणिक महाविद्यालय- मूल 703.06 पुनर्वि. (-)295.26	407.80	407.82	+0.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 295.26 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं दावों की प्राप्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2202-02-107-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6725-यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान- पूरक 134.59 पुनर्वि. (-)134.59	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 134.59 लाख का प्रत्याहरण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(21) 2202-02-109-578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय— मूल 19,133.22 पुनर्वि. (-)3,333.82	15,799.40	15,839.53	+40.13
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,333.82 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से राशि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में वेतन मद के अंतर्गत अतिरिक्त आवंटित राशि के अप्रयुक्त रहने कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2202-02-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान— मूल 25,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)3,519.79	21,480.21	21,482.01	+1.80
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,519.79 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने एवं जिलों द्वारा स्वीकृत कार्य योजना का कार्यान्वयन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(23) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5551—हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल प्रदाय— मूल 1,800.00 पूरक 2,200.00 पुनर्वि. (-)457.85	3,542.15	3,613.18	(-)71.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 457.85 लाख की कमी वास्तविक नामांकन अनुसार वितरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(24) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय— मूल 44,352.59 पुनर्वि. (-)8,521.76	35,830.83	38,613.70	+2,782.87
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,521.76 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं सातवें वेतन आयोग अनुशंसानुसार वेतन मद के अंतर्गत अतिरिक्त आवंटित राशि के अप्रयुक्त रहने कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2009-10 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(25) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान— पूरक 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 150.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(26) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7367—मॉडल स्कूल योजना— मूल 576.00 पूरक 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,248.16	827.84	827.48	0.00

अनुदान संख्या 27—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,248.16 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(27) 2202-04-200-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7362—साक्षर भारत योजना— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)4,007.50	992.50	992.50	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,007.50 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने एवं कोषालय से राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(28) 2202-80-001-3858—लोक शिक्षण संचालनालय— मूल 1,006.39 पुनर्वि. (-)133.42	872.97	863.85	(-)9.11
--------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 133.42 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने, सातवें वेतन आयोग के अनुशंसानुसार वेतन मद के अंतर्गत अतिरिक्त आवंटित राशि अप्रयुक्त रहने, नवीन प्रकाशकों द्वारा पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराए जाने एवं वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(29) 2202-80-001-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 5526—मदरसा बोर्ड का गठन— मूल 512.40 पुनर्वि. (-)196.62	315.78	315.78	0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 196.62 लाख की कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(30) 2204-102-3755—राष्ट्रीय सैन्य दल सीनियर डिविजन— मूल 2,187.98 पुनर्वि. (-)330.02	1,857.96	1,176.21	(-)681.75
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 330.02 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-001-1500—जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 8,982.44 पूरक 5.50 पुनर्वि. 1,370.19	10,358.12	10,346.73	(-)11.40

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,400.00 लाख की वृद्धि "शिक्षामित्र" को भुगतान किये जाने हेतु राशि की कमी होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,029.81 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने, सातवें वेतन आयोग के अनुशंसानुसार वेतन मद के अंतर्गत अतिरिक्त आवंटित राशि अप्रयुक्त रहने एवं शिक्षामित्रों की संख्या में अनुमानित बजट की तुलना में कमी होने के कारण निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,370.19 लाख की वृद्धि उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-02-106-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5904—पाठ्य पुस्तकों का निशुल्क वितरण— मूल 1,690.00 पुनर्वि. (-)7.33	1,682.67	1,933.58	+250.91

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7.33 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या अनुमानित बजट से कम रहने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(3) 2202-02-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5646—सैनिक स्कूल की स्थापना— मूल 325.00 पुनर्वि. (-)9.95	315.05	470.10	+155.05
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9.95 लाख की कमी छात्रों की कम उपस्थिति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(4) 2202-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5526—मदरसा बोर्ड का गठन	180.00	680.00	+500.00
----------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---------

अत्यधिक राशि की आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

प्रभारित—

(v) ₹ 3.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-201-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7657—विज्ञान केन्द्र का निर्माण— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण अनुमानित आरेख का समापन नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4202-01-201-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9005—इमारतों का अनुरक्षण, लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत— पूरक 13,500.00 पुनर्वि. (-)103.42	13,396.58	13,396.58	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 103.42 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 27—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5646-सैनिक स्कूल की स्थापना-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-900.00	600.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 900.00 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)		
मुख्य शीर्ष—				
2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
राजस्व :				
दत्तमत—				
मूल	5,35,417			
पूरक	33,608	5,69,025	3,44,930	(-)2,24,095
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				11,119
प्रभारित—				
मूल	8,063			
पूरक	1,410	9,473	2,316	(-)7,157
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यंत कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 6.08 लाख) एवं मार्च 2017 (₹ 330.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 336.08 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 2,240.95 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 111.19 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(₹ लाख में)			
(1) 2011-02-101-4007-विधान सभा—			
मूल	3,079.50		
पूरक	336.08	3,415.58	2,237.98
			(-)1,177.60
(2) 2011-02-103-4009-विधान सभा सचिवालय	2,034.60	1,156.32	(-)878.28
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2004-05 से 2015-16 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत एवं 2006-07 से 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(3) 2011-02-103-4312-संसदीय कार्य विभाग—			
मूल	162.57		
पुनर्वि.	(-)111.19	51.38	35.90
			(-)15.48

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 111.19 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने जिलों द्वारा मांग प्राप्त नहीं होने एवं किताबों की खरीदी नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)

अनुदान संख्या 28—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2011-02-103-6582-भारतीय संसदीय संघ को सहायक अनुदान	77.50	19.10	(-)58.40

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 14.10 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(v) ₹ 71.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2011-02-101-125-अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का यात्रा भत्ता—			
मूल	80.63		
पूरक	14.10	94.73	23.16
			(-)71.57

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2004-05 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 29—न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2014—न्याय प्रशासन			
2015—निर्वाचन			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	31,17,354		
पूरक	44,200	31,61,554	21,37,370
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)10,24,184 10,21,305
प्रभारित—			
मूल	5,22,608		
पूरक	11,000	5,33,608	3,81,021
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)1,52,587 1,52,952
पूंजीगत:			
मूल	4,00,000		
पूरक	5,080	4,05,080	6,855
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)3,98,225 0.00
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:**दत्तमत—**

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 150.00 लाख) एवं मार्च 2017 (₹ 292.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 442.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 10,241.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 10,213.05 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2014-102-5421—छत्तीसगढ़ राज्य

न्यायिक अकादमी—

मूल 817.62

पुनर्वि. (-)447.89

369.73

369.73

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 447.89 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2014-105-2410—निर्वाह पत्र तामिल स्थापना—			
मूल	1,763.26		
पुनर्वि.	(-750.92	1,012.34	1,007.70
			(-)4.64
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 750.92 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, यात्रा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने, अधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं होने, अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने एवं सम्मेलन आयोजित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2006-07 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(3) 2014-105-4497—सामान्य स्थापना—			
मूल	17,025.45		
पुनर्वि.	(-)5,256.47	11,768.98	11,737.97
			(-)31.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,256.47 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, यात्रा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने, अधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं होने, अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने एवं जिला न्यायालयों की स्थापना नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2005-06 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 2014-114-3428—महाधिवक्ता—			
मूल	933.00		
पुनर्वि.	(-)123.08	809.92	809.41
			(-)0.51
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 123.08 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2014-114-3572—मुफरिसल स्थापना—			
मूल	922.78		
पुनर्वि.	(-)226.08	696.70	694.60
			(-)2.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 226.08 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005-06 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2014-117-5416—परिवार न्यायालय की स्थापना—			
मूल	1,820.45		
पुनर्वि.	(-)794.41	1,026.04	1,024.77
			(-)1.27
समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 794.41 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने, कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों का भुगतान मजदूरी मद से किए जाने एवं वाहनों का क्रय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2014-118-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7256—न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण—			
मूल	627.00		
पुनर्वि.	(-)332.98	294.02	293.83
			(-)0.19
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 332.98 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2014-800-2918—बार एसोसिएशन के पुस्तकालयों के लिए आर्थिक सहायता—			
मूल	180.00		
पुनर्वि.	(-)134.07	45.93	46.40
			+0.47

अनुदान संख्या 29—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 134.07 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2014-800-5464—राज्यों में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की स्थापना—			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)240.00	160.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 240.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(10) 2015-102-2409—निर्वाचन अधिकारी—			
मूल	1,533.50		
पुनर्वि.	(-)393.89	1,139.61	+7.49

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 393.89 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं राशि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(11) 2015-103-3307—मतदाता सूचीयों की छपाई एवं तैयारी—			
मूल	1,750.00		
पुनर्वि.	(-)142.46	1,607.54	+0.26

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 95.00 लाख की वृद्धि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 237.46 लाख की कमी यात्रा देयक प्राप्त नहीं होने के कारण निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 142.46 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2015-108-9503—मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करना—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)222.20	77.80	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 95.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 127.20 लाख की अन्य कमी मतदाता कार्ड समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 222.20 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2052-090-9057—विधि एवं विधायी कार्य—			
मूल	886.72		
पुनर्वि.	(-)321.38	565.34	(-)5.17

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 321.38 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(14) 2235-60-200-3255—विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान—			
मूल	1,546.40		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)573.87	972.53	+8.33

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 573.87 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 29—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2015-105-4311—संसदीय चुनावों के आयोजन पर व्यय—			
मूल	77.30		
पूरक	292.00		
पुनर्वि.	118.38	487.68	488.05 +0.37

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 121.19 लाख की वृद्धि वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2.81 लाख की कमी के कारण निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 118.38 लाख की वृद्धि उल्लिखित किया गया है। कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

प्रभारित—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 110.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vi) ₹ 1,525.87 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 1,529.52 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014-102-573—उच्च न्यायालय—			
मूल	5,026.23		
पूरक	110.00		
पुनर्वि.	(-)1,433.37	3,702.86	3,708.09 +5.23

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,433.37 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, सामग्री क्रय नहीं किए जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने, कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों को मजदूरी मद से भुगतान किए जाने, सम्मेलन का आयोजन नहीं किए जाने, विक्रेताओं से दावे प्राप्त नहीं होने, नये न्यायधीशों की नियुक्ति नहीं होने एवं यात्रा एवं स्थानांतरण दावे प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2005-06 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2052-091-9056—माध्यस्थम

अधिकरण—

मूल	199.85		
पुनर्वि.	(-)96.16	103.69	102.12 (-)1.58

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 96.16 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, यात्रा दावे प्रस्तुत नहीं किए जाने, अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं होने, अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने एवं सामग्री क्रय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(viii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 50.80 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ix) ₹ 3,982.25 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 29—समाप्त

(x) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2450-न्याय प्रशासन-			
मूल	2,200.00		
पूरक	50.80	2,250.80	68.55
			(-)2,182.25
अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5421-छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी	500.00	0.00	(-)500.00
(3) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5464-हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	1,300.00	0.00	(-)1,300.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 1,300.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ हजार में)		
मुख्य शीर्ष—			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2216—आवास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2501—ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम			
2505—ग्राम रोजगार			
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3054—सड़कें तथा सेतु			
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	2,56,96,287		
पूरक	84,31,055	3,41,27,342	2,74,35,742
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)66,91,600 61,84,752
<i>प्रभारित</i>	<i>200</i>	<i>00</i>	<i>(-)200</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			<i>200</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	70,34,100		
पूरक	45,800	70,79,900	54,96,787
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)15,83,113 14,67,126
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) ₹ 66,916.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 61,847.52 लाख की राशि अभ्यर्पण की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2216-03-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6549-इंदिरा आवास योजना-			
मूल	30,000.00		
पुनर्वि.	(-)27,476.03	2,523.97	2,523.97
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 27,476.03 लाख की कमी योजना का प्रधानमंत्री आवास योजना में परिवर्तन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 30-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2216-03-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7807-प्रधानमंत्री आवास योजना-			
मूल	58,256.08		
पुनर्वि.	(-)15,038.55	43,217.53	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 15,038.55 लाख की कमी राज्यांश के समतुल्य राशि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(3) 2235-60-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7291-सामान्य बीमा योजना-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 300.00 लाख का प्रत्याहरण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(4) 2235-60-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8968-अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना-			
मूल	1,270.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.73	269.27	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,000.73 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(5) 2501-06-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-			
मूल	10,000.00		
पूरक	1,466.71		
पुनर्वि.	(-)250.00	11,216.71	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 250.00 लाख की कमी राज्यांश के समतुल्य राशि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2505-60-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-			
मूल	1,37,500.00		
पुनर्वि.	(-)20,640.74	1,16,859.26	+75.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 20,640.74 लाख की कमी राज्यांश के समतुल्य राशि जारी किए जाने एवं जिला पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम अधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2515-001-1033-विकास खंड कार्यालय-			
मूल	3,373.37		
पुनर्वि.	(-)96.10	3,277.27	(-)1,326.16
(8) 2515-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1033-विकास खंड कार्यालय-			
मूल	4,366.18		
पुनर्वि.	(-)247.18	4,119.00	(-)849.46

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2515-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3926—विकास आयुक्त— मूल 400.45 पुनर्वि. (-)38.47	361.98	226.11	(-)135.87
उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 96.10 लाख, ₹ 247.18 लाख एवं ₹ 38.47 लाख की कमी के कारणों के साथ ही इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 से 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है एवं क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(10) 2515-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5063—छत्तीसगढ़ विकास संस्थायें	512.26	304.26	(-)208.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(11) 2515-101-2474—पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार— मूल 10,968.32 पुनर्वि. (-)3,888.55	7,079.77	7,559.08	+479.31
समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 3,888.55 लाख की कमी मित्तव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(12) 2515-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7687—मुख्य मंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना— पूरक 1,094.00 पुनर्वि. (-)894.84	199.16	215.78	+16.62
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 894.84 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आधार पर व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गयी है। अंतिम अधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(13) 2515-102-1208—ग्रामीण यांत्रिकी सेवा— मूल 4,237.72 पुनर्वि. (-)314.98	3,922.74	3,062.03	(-)860.71
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 314.98 लाख की कमी वास्तविक आधार पर व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(14) 2515-102-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7645—ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 150.00 लाख का प्रत्याहरण वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित हुई है।			
(15) 2515-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1208—ग्रामीण यांत्रिकी सेवा— मूल 2,594.60 पुनर्वि. (-)882.05	1,712.55	1,237.44	(-)475.11

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4855-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना- मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)951.46	4,048.54	3,529.16	(-)469.38
(17) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना- मूल 3,084.90 पुनर्वि. (-)1,367.56	1,717.34	1,247.77	(-)469.57
उपरोक्त क्रम संख्या (15) से (17) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 882.05 लाख, ₹ 951.46 लाख एवं ₹ 1,367.56 लाख की कमी वास्तविक आधार पर व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गयी है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(18) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7644-ग्रामीण सड़क सम्पर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र	210.75	34.82	(-)175.93
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(19) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7645-ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई- मूल 598.00 पुनर्वि. (-)598.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 598.00 लाख का प्रत्याहरण वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित हुई है।			
(20) 3054-04-338-4855-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना- मूल 19,900.00 पुनर्वि. (-)1,793.00	18,107.00	17,581.38	(-)525.62
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,793.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2215-02-107-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7610-स्वच्छ भारत अभियान- मूल 20,000.00 पूरक 23,084.16 पुनर्वि. 14,114.57	57,198.73	57,198.72	0.01
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 14,114.57 लाख का आवर्धन राज्यांश के समतुल्य राशि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।			

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2215-06-196-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8775—राज्य स्तरीय प्रशासनिक योजनाएं— मूल 550.00 पुनर्वि. 299.16	849.16	849.16	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 576.80 लाख की वृद्धि, राशि की अतिरिक्त मांग किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 277.63 लाख की कमी राज्यांश के समतुल्य राशि जारी किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 299.16 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

प्रभारित—

(v) ₹ 2.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया है। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम था, मार्च 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 458.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 15,831.13 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 14,671.26 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4515-102-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7644—ग्रामीण सड़क सम्पर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
(2) 4515-102-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना(सामान्य)— 7645—ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 300.00 लाख एवं ₹ 2,000.00 लाख का प्रत्याहरण कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(3) 4515-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7658—सांसद आदर्श ग्राम योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)311.51	188.49	188.49	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

(4) 4515-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7659—विधायक आदर्श ग्राम योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)355.34	144.66	81.66	(-)63.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	----------

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 311.51 लाख एवं ₹ 355.34 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 30—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 5054-04-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4871-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पुलों का निर्माण-			
मूल	1,800.00		
पुनर्वि.	(-1,800.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,800.00 लाख का प्रत्याहरण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य का निष्पादन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 5054-04-337-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना-			
मूल	19,000.00		
पुनर्वि.	(-)6,847.55	12,152.45	12,907.84
+755.39			
(7) 5054-04-337-0311-नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)- 8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना-			
मूल	8,750.00		
पुनर्वि.	(-)33.00	8,717.00	6,868.48
(-)1,848.52			
उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 6,847.55 लाख एवं ₹ 33.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य एवं अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(8) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-			
मूल	3,100.00		
पुनर्वि.	(-)2,936.00	164.00	164.00
0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,936.00 लाख की कमी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य कार्यान्वित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 31—योजना आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
-----------------------------	------------------	-------------------

(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

**3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी**

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	5,37,937			
पूरक	2,000	5,39,937	2,25,111	(-)3,14,826
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				3,15,164

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)	40	0.00		(-)40
-------------------------------------------------	----	------	--	-------

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यंत कम रहा, जुलाई 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 20.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 3,148.26 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 3,151.64 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3451—101—3686—राज्य योजना आयोग—			
मूल	421.59		
पूरक	20.00		
पुनर्वि.	(-)206.16	235.43	237.12
			+1.69

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 206.16 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009—10 से 2015—16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 3451—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7639—राज्य योजना का

सुदृढीकरण, मूल्यांकन

एवं अनुसंधान—

मूल 150.00

पुनर्वि. (-)87.06 62.94 62.94 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 87.06 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 3454—02—111—1430—जन्म मृत्यु सम्बन्धी

आंकड़ों का संकलन—

मूल 313.32

पुनर्वि. (-)143.10 170.22 172.02 +1.80

अनुदान संख्या 31—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 3454-02-111-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5501—नागरिकता पंजीयन एवं जन्म-मृत्यु साँख्यिकी प्रणाली का सुदृढीकरण— मूल 72.70 पुनर्वि. (-)55.78	16.92	16.70	(-)0.22
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 143.10 लाख एवं ₹ 55.78 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 3454-02-111-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7413—राज्य साँख्यिकी प्रणाली का सुदृढीकरण— मूल 1,427.00 पुनर्वि. (-)1,427.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,427.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 3454-02-111-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6562—जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का प्रभावी कार्यान्वयन— मूल 62.10 पुनर्वि. (-)52.08	10.02	10.02	0.00
(7) 3454-02-201-512—नमूना सर्वेक्षण— मूल 286.79 पुनर्वि. (-)191.81	94.98	95.66	+0.68
(8) 3454-02-205-8048—आर्थिक एवं साँख्यिकी संचालनालय— मूल 2,581.41 पुनर्वि. (-)963.56	1,617.85	1,617.29	(-)0.56

उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 52.08 लाख, ₹ 191.81 लाख एवं ₹ 963.56 लाख की कमी के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.40 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 32—जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2015—निर्वाचन			
2029—भू—राजस्व			
2039—राज्य उत्पाद शुल्क			
2040—बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर			
2051—लोक सेवा आयोग			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2053—जिला प्रशासन			
2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन			
2055—पुलिस			
2056—जेल			
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075—विविध सामान्य सेवाएं			
2202—सामान्य शिक्षा			
2203—तकनीकी शिक्षा			
2204—खेल और युवा कल्याण			
2205—कला एवं संस्कृति			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2215—जलपूर्ति तथा सफाई			
2217—शहरी विकास			
2220—सूचना तथा प्रचार			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं			
2401—फसल कृषि—कर्म			
2403—पशुपालन			
2405—मछली पालन			
2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी			
2425—सहकारिता			
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
2701—मध्यम सिंचाई			
2702—लघु सिंचाई			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
2853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग			
3054—सड़क तथा सेतु			
3454—जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4220—सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय			

अनुदान संख्या 32—जारी

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ हजार में)	
राजस्व :		
दत्तमत—		
मूल	11,34,925	
पूरक	3,52,900	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)	14,87,825	14,16,353
		(-)71,472
		70,451
<i>प्रभारित</i>	10	00
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>		(-)10
		10
पूंजीगत :		
दत्तमत	200	199
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)		(-)1
		1

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 714.72 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 704.51 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2039-001-3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल.	700.00		
पुनर्वि.	(-)176.48	523.52	163.52
			(-)360.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.30 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 26.18 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 176.48 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2215-01-800-3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल.	300.00		
पुनर्वि.	(-)91.04	208.96	208.96
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 60.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 31.04 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 91.04 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2220-01-001-2320—निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	3,923.79		
पूरक	1,315.00		
पुनर्वि.	(-)235.12	5,003.67	5,000.12
			(-)3.55
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 235.12 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 32—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2220—60—106—1479—जिला प्रचार तथा चल इकाई की स्थापना—			
मूल	1,883.90		
पूरक	900.00		
पुनर्वि.	(-)217.33	2,566.56	(-)0.43

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 217.33 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2008—09 से 2015—16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2701—80—001—3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	300.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015—16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 3054—80—001—3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल.	650.00		
पुनर्वि.	(-)129.39	520.61	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 95.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 34.39 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 129.39 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। दोनों कमियों के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015—16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2029—001—3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल.	11.00		
पुनर्वि.	25.90	36.90	+48.16

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 52.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 26.10 लाख की कमी के निवल प्रभाव से ₹ 25.90 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015—16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2051—102—3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल.	12.00		
पुनर्वि.	13.36	25.36	+16.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.64 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 13.36 लाख का आवर्धन हुआ है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(3) 2058—800—3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल.	5.00		
पुनर्वि.	0.51	5.51	+24.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 24.49 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 0.51 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 32—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2070—800—3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय— मूल. 5.00 पुनर्वि. 14.55	19.55	42.55	+23.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.45 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 14.55 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(5) 2202—80—800—3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय— मूल. 20.00 पुनर्वि. 13.93	33.93	37.43	+3.50
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 4.07 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 13.93 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(6) 2203—800—3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय— मूल. 35.00 पुनर्वि. 15.59	50.59	79.84	+29.25
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 14.41 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 15.59 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(7) 2210—80—800—3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय— मूल. 25.00 पुनर्वि. 65.00	90.00	181.49	+91.49
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 65.00 लाख का आवर्धन लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014—15 एवं 2015—16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2225—02—800—3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय— मूल. 30.00 पुनर्वि. 23.59	53.59	69.71	+16.12
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1.41 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 23.59 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(9) 2235—60—200—3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय— मूल. 11.00 पुनर्वि. 10.56	21.56	35.91	+14.35
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.44 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 10.56 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 32—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2403-001-3956-विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल.	7.50		
पुनर्वि.	9.45	16.95	25.45
			+8.50

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 4.55 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 9.45 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(11) 2406-01-800-3956-विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल.	70.00		
पुनर्वि.	68.26	138.26	186.26
			+48.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1.74 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 68.26 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(12) 2515-001-3956-विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल.	65.00		
पुनर्वि.	21.89	86.89	86.25
			+0.64

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 13.11 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 21.89 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 33-आदिम जाति कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	1,95,36,899		
पूरक	63,500	1,96,00,399	1,58,63,851
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)37,36,548 41,94,448
<i>प्रभारित</i>	<i>500</i>	<i>199</i>	<i>(-)301</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			<i>301</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत	3,700	2,428	(-)1,272
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			1,272
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 625.00 लाख) एवं नवम्बर 2016 (₹ 10.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 635.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनवाश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।			
(ii) ₹ 37,365.48 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 41,944.48 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट प्रबंधन पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-001-2721-प्रशासन का सुदृढीकरण विकास खण्ड स्तर-			
मूल	4,152.10		
पुनर्वि.	(-)1,064.12	3,087.98	3,076.25
(2) 2202-01-101-2772-प्राथमिक शालाएं-			
मूल	47,999.10		
पुनर्वि.	(-)11,957.41	36,041.69	36,040.37
			(-)1.32

अनुदान संख्या 33—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,064.12 लाख एवं ₹ 11,957.41 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों द्वारा राशि का व्यय नहीं किए जाने एवं भुगतान किए जाने वाले देयक लम्बित रहने के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-01-101-495—आश्रम और शालाएं— मूल 10,635.59 पुनर्वि. (-)4,153.17	6,482.42	6,447.60	(-)34.82

समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 4,153.17 लाख रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से राशि की मांग प्राप्त नहीं होने, एवं 7^{वें} वेतन आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में, वेतन शीर्ष के अन्तर्गत आबंटित अतिरिक्त राशि अप्रयुक्त रहने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2202-02-109-1395—छात्रावास— मूल 11,423.64 पुनर्वि. (-)2,788.85	8,634.79	8,532.27	(-)102.52
--------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,788.85 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2202-02-109-3492—माध्यमिक विद्यालय— मूल 76,068.00 पुनर्वि. (-)9,570.20	66,497.80	66,145.94	(-)351.86
----------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

(6) 2202-02-109-363—आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय— मूल 1,085.47 पुनर्वि. (-)334.83	750.64	732.21	(-)18.43
----------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	----------

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 9,570.20 लाख एवं ₹ 334.83 लाख रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से राशि की मांग प्राप्त नहीं होने से एवं 7^{वें} वेतन आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में सिफारिश वेतन शीर्ष के अन्तर्गत आबंटित अतिरिक्त राशि अप्रयुक्त रहने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त शीर्षों में अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2202-02-109-583—उच्चतर माध्यमिक शालाएं— मूल 28,553.70 पुनर्वि. (-)9,311.93	19,241.77	23,846.08	+4,604.31
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 268.58 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 9,043.35 लाख की अन्य कमी जिलों से राशि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं 7^{वें} केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में वेतन शीर्ष के अन्तर्गत आबंटित अतिरिक्त राशि अप्रयुक्त रहने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 9,311.93 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2202-02-109-761—कन्या शिक्षा परिसर— मूल 901.00 पुनर्वि. (-)103.36	797.64	682.59	(-)115.05
--------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 103.36 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2202-02-109-979—क्रीड़ा परिसर—			
मूल	1,235.59		
पुनर्वि.	(-)189.63	1,045.96	956.74
			(-)89.22
समर्पण द्वारा ₹ 181.75 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7.88 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 189.63 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। दोनों कमियों के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7592—खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत छात्रावासों को भोजन की उपलब्धता—			
मूल	1.00		
पूरक	625.00		
पुनर्वि.	(-)91.26	534.74	535.86
			+1.12
(11) 2225-02-001-1483—जिला प्रशासन—			
मूल	4,595.20		
पूरक	10.00		
पुनर्वि.	(-)1,291.44	3,313.76	3,883.72
			+569.96
उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 91.26 लाख एवं ₹ 1,291.44 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(12) 2225-02-001-3728—आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास—			
मूल	890.38		
पुनर्वि.	(-)334.38	556.00	555.81
			(-)0.19
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 334.38 लाख की कमी जिलों से राशि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2225-02-001-6130—संचालनालय—			
मूल	1,226.54		
पुनर्वि.	(-)305.10	921.44	908.95
			(-)12.49
(14) 2515-101-5495—मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का वेतन—			
मूल	2,231.51		
पुनर्वि.	(-)287.52	1,943.99	1,751.30
			(-)192.69
उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 305.10 लाख एवं ₹ 287.52 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत 2013-14 से 2015-16 एवं क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2202-02-110-307—गैर-सरकारी संस्थानों को अंशदान—			
मूल	3,937.00		
पुनर्वि.	(-)108.55	3,828.45	4,176.74
			+348.29

अनुदान संख्या 33-समाप्त

समर्पण द्वारा ₹ 377.13 लाख की कमी जिलों से राशि आहरित नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 268.98 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 108.55 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम अधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4225-02-102-5705-समुदायिक भवनों का निर्माण-			
मूल	15.00		
पुनर्वि.	(-)12.72	2.28	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12.72 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 34—समाज कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	7,86,993	5,68,761	(-)2,18,232
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00
<i>प्रभारित</i>	<i>40</i>	<i>00</i>	<i>(-)40</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			<i>00</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत	1,000	996	(-)4
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00
टीका एवं टिप्पणी:			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 2,182.32 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं किया जाना अपर्याप्त बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-02-001-2322-निर्देशन और प्रशासन	1,889.19	1,170.16	(-)719.03
(2) 2235-02-101-3921-निःशक्तजनों की सहायता के लिये योजना	200.00	118.49	(-)81.51
(3) 2235-02-101-79-अंधे, बहरे तथा गूंगों के लिए शाला तथा संस्थाएं	1,062.61	700.14	(-)362.47

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2009-10 से 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2235-02-101-0801-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7491-निःशक्त जनों को बाधा रहित सुविधाओं का विकास	150.00	0.00	(-)150.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	-----------

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 150.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(5) 2235-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3921-निःशक्तजनों की सहायता के लिये योजना	290.00	212.54	(-)77.46
(6) 2235-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7740-निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना	200.00	103.15	(-)96.85

अनुदान संख्या 34—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2235-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8990-निःशक्तता स्वाभिमान एवं सबल योजना	100.00	33.77	(-)66.23
(8) 2235-02-104-8980-लघु हाउसिंग योजना	200.00	140.00	(-)60.00
(9) 2235-02-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 7014-वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना	306.00	196.57	(-)109.43
(10) 2235-02-200-795-कला पथक	343.68	210.20	(-)133.48

उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (10) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (5) तथा (10) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 तथा क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 35—पुर्नवास
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
राजस्व	56,710	50,291	(-)6,419
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			6,361

टीका एवं टिप्पणियां:

राजस्व :

(i) ₹ 64.19 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को ₹ 63.61 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235—01—200—3135—भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये नये अप्रवासियों के पुर्नस्थापन—			
मूल	365.00		
पुनर्वि.	(-)15.20	349.80	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 15.20 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(2) 2235—01—200—4625—स्थायी दायित्व गृह माना, जिला रायपुर का संचालन—			
मूल	168.01		
पुनर्वि.	(-)37.35	130.66	(-)0.56

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 37.35 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, सेवानिवृत्ति एवं देयकों के अपूर्ण प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2003—04 से 2015—16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 36—परिवहन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2013—मंत्री परिषद			
2041—वाहन कर			
2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
5055—सड़क परिवहन पर पूर्ण परिचय			
6075—विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	6,20,459		
पूरक	4,140	6,24,599	3,49,486
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)2,75,113 2,17,891
प्रभारित	2,010	00	(-)2,010
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			10
पूंजीगत:			
दत्तमत	3,32,500	00	(-)3,32,500
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			3,32,500

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 41.40 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 2,751.13 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 2,178.91 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2041-001-3565—मुख्यालय स्थापना—			
मूल	738.26		
पुनर्वि.	(-)243.72	494.54	494.14
(2) 2041-001-8333—सड़क सुरक्षा निधि से व्यय—			
मूल	115.00		
पुनर्वि.	(-)114.25	0.74	0.74

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 243.72 लाख एवं ₹ 114.25 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2015-16 के दौरान क्रम सं. (1) शीर्षान्तर्गत एवं 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान भी क्रम सं. (2) शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 36—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2041-001-0801—केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7749—अत्याधुनिक वाहनों के परीक्षण एवं प्रमाण पत्र वितरण केन्द्र स्थापना	315.00	0.00	(-)315.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2017)।

(4) 2041-101-4280—संग्रह प्रभार— मूल 2,156.03 पुनर्वि. (-)1,223.84	932.19	949.00	+16.81
(5) 2041-102-679—इनफोर्समेंट— मूल 1,237.80 पुनर्वि. (-)597.08	640.72	635.94	(-)4.75

उपरोक्त क्रम सं. (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,223.84 लाख एवं ₹ 597.08 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (4) शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2007-08 से 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2070-114-3598—मोटर गैरेज— मूल 1,049.39 पूरक 41.40	1,090.79	933.02	(-)157.77
-------------------------------------------------------------	----------	--------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iv) ₹ 20.10 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 0.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह बजट प्रबंधन पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2070-114-3598—मोटर गैरेज	20.00	0.00	(-)20.00

₹ 20.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5055-050-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7749—अत्याधुनिक वाहनों के परीक्षण एवं प्रमाण पत्र वितरण केन्द्र स्थापना— मूल 675.00 पुनर्वि. (-)675.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 36—समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 5055-050-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7750—वाहन चालन एवं प्रशिक्षण अनुसंधान— मूल 1,140.00 पुनर्वि. (-)1,140.00	0.00	0.00	0.00
(3) 5055-800-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7749—अत्याधुनिक वाहनों के परीक्षण एवं प्रमाण पत्र वितरण केन्द्र स्थापना— मूल 450.00 पुनर्वि. (-)450.00	0.00	0.00	0.00
(4) 5055-800-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7750—वाहन चालन एवं प्रशिक्षण अनुसंधान— मूल 260.00 पुनर्वि. (-)260.00	0.00	0.00	0.00
(5) 6075-800-5445—राज्य परिवहन के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सी.आई.डी.सी. ऋण— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से क्रमशः ₹ 675.00 लाख, ₹ 1,140.00 लाख, ₹ 450.00 लाख एवं ₹ 260.00 लाख का प्रत्याहरण योजना का प्रारंभ नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से ₹ 500.00 लाख का प्रत्याहरण सी. आई. डी. सी. से अनुदान प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 37-पर्यटन

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
3452-पर्यटन			
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	3,38,500		
पूरक	63,802	4,02,302	2,28,543
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)1,73,759 1,73,759
पूंजीगत:			
मूल	3,35,000		
पूरक	1,49,882	4,84,882	2,66,132
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)2,18,750 2,18,750
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 209.01 लाख) एवं मार्च 2017 (₹ 429.00 लाख) में प्राप्त कुल ₹ 638.01 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3452-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3239-छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन विकास मंडल को अनुदान-			
मूल	3,050.00		
पुनर्वि.	(-)1,637.50	1,412.50	1,412.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,637.50 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(2) 3452-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7323-भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान-			
मूल	335.00		
पूरक	638.01		
पुनर्वि.	(-)100.08	872.93	872.93
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.08 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00

पूंजीगत:

(iii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 1,498.82 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या 37—समाप्त

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5452-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7009-पर्यटन केन्द्रों का विकास-			
मूल	700.00		
पूरक	1,498.82		
पुनर्वि.	(-)200.00	1,998.82	1,998.82
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.00 लाख की कमी केन्द्र प्रवर्तित योजना में राज्यांश सम्मिलित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 5452-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7771-पर्यटन क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों हेतु अनुदान-			
मूल	2,650.00		
पुनर्वि.	(-)1,987.50	662.50	662.50
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,987.50 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ हजार में)		
मुख्य शीर्ष—			
2408—खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें			
4408—खाद्य, भंडारण तथा भंडागार पर पूंजीगत परिव्यय			
6408—खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	2,07,09,014		
पूरक	4,04,487	2,11,13,501	1,65,45,993
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)45,67,508
			00
<i>प्रभारित</i>	<i>50</i>	<i>00</i>	<i>(-)50</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			<i>00</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	2,89,310		
पूरक	1,11,122	4,00,432	2,20,571
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)1,79,861
			00
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 3,700.00 लाख) एवं नवम्बर 2016 (₹ 344.87 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 4,044.87 लाख का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।			
(ii) ₹ 45,675.08 लाख की अत्याधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2408-01-001-1471-जिला कार्यालय	2,137.85	1,652.06	(-)485.79
(2) 2408-01-001-629-उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ	1,214.30	776.82	(-)437.48
(3) 2408-01-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 8919-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण-			
मूल	90.83		
पूरक.	309.87	408.70	211.13
			(-)197.57
(4) 2408-01-102-3248-राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्य उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	48,160.00	46,160.00	(-)2,000.00

अनुदान संख्या 39—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2408-01-102-6964—राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	145.30	1.80	(-)143.50
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2013-14 से 2015-16, क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी एवं क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 से 2015-16 के दौरान निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2408-01-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7801—मूल्य स्थिरीकरण योजना	2,700.00	0.00	(-)2,700.00
₹ 2,700.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(7) 2408-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5456—अन्त्योदय अन्न योजना	2,300.00	1,640.94	(-)659.06
(8) 2408-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6839—मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	1,16,200.00	77,445.39	(-)38,754.61
(9) 2408-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8933—शक्कर वितरण योजना	1,988.50	1,627.12	(-)361.38
(10) 2408-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9993—रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान	3,800.00	3,257.23	(-)542.77
(11) 3475-108-6112—मुख्यालय तथा संभागीय कार्यालय	1,988.50	1,627.12	(-)361.38

उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (11) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16, क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2408-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7816—सूखा राहत चावल वितरण योजना	824.22	0.00	+824.22
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

प्रभारित—

(v) ₹ 0.50 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। 2011-12 से 2015-16 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 1,798.61 लाख की अत्याधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 39—समाप्त

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4408-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7478-नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु	600.00	0.00	(-)600.00
₹ 600.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 6408-02-190-0311-नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)- 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण-			
मूल	2,043.00		
पूरक.	1,111.22	3,154.22	1,955.71
			(-)1,198.51

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 40—आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2705—कमान क्षेत्र विकास			
4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	41,496	32,975	(-)8,521
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			10,069
पूंजीगत	2,85,000	1,75,859	(-)1,09,141
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			1,23,935
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			

(i) ₹ 85.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 100.69 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2705—209—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3436—महानदी आयकट विकास प्राधिकरण— मूल 178.66 पुनर्वि. (-)49.14	129.52	128.83	(-)0.69

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 49.14 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2017)।

(2) 2705—209—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6305—सिंचाई सहभागिता प्रबंध समितियों को अनुदान— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)48.20	101.80	121.74	+19.94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 48.20 लाख के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2017)। 2013—14 से 2015—16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूंजीगत:

(iii) ₹ 1,091.41 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 1,239.35 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4705—209—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 2823—फील्ड चेनल्स का निर्माण— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)938.48	1,061.52	1,209.46	+147.94

अनुदान संख्या 40—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 938.48 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4705-210-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 2823-फील्ड चेनल्स का निर्माण-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-300.00)	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 300.00 लाख का प्रत्याहरण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(v) उचंत लेन देन:-

'उचंत' लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे के नीचे टिप्पणी (v) में दी गई है।

विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत 2016-17 तक इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारम्भिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दी गई है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2016 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंतशेष 31 मार्च 2017 को नामे+ जमा (-)
4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
(₹ लाख में)				
(1) क्रय	(-)4.74	0.00	0.00	(-)4.74
(2) भण्डार	(-)0.03	0.00	0.00	(-)0.03
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+15.07	0.00	0.00	+15.07
योग	+10.30	0.00	0.00	+10.30

अनुदान संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

मुख्य शीर्ष—

- 2202—सामान्य शिक्षा
 2203—तकनीकी शिक्षा
 2205—कला एवं संस्कृति
 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2211—परिवार कल्याण
 2215—जलपूर्ति तथा सफाई
 2216—आवास
 2217—शहरी विकास
 2220—सूचना तथा प्रचार
 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण
 2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास
 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 2236—पोषण
 2401—फसल कृषि—कर्म
 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
 2403—पशु—पालन
 2405—मछली—पालन
 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
 2408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार
 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
 2425—सहकारिता
 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
 2505—ग्राम रोजगार
 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
 2702—लघु सिंचाई
 2801—बिजली
 2810—नवीन तथा अक्षय उर्जा
 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
 2852—उद्योग
 3275—अन्य संचार सेवाएं
 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4215—जलपूर्ति और मल प्रत्याहरण पर पूंजीगत परिव्यय
 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4401—फसल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय
 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
 4405—मतस्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय
 4406—वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय
 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4801—उर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय
 4810—गैर—पारम्पारिक उर्जा स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय
 4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
 5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
 6215—जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज
 6408—खाद्य, भण्डारण एवं भण्डागार के लिए कर्ज

अनुदान संख्या 41—जारी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	9,25,31,876		
पूरक	96,91,014	10,22,22,890	7,41,47,122,
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)2,80,75,768 1,97,93,975
प्रभारित	10	00	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			10
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	2,20,48,196		
पूरक	58,48,006	2,78,96,202,	2,21,38,584
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)57,57,618 54,27,198
प्रभारित	1,500	00	(-)1,500
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			1,500
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 27,490.46 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 64,851.85 लाख) एवं मार्च 2017 (₹ 4,567.83 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 96,910.14 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 2,80,757.68 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 1,97,939.75 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 495-आश्रम और शालाएं— मूल	16,034.23		
पुनर्वि.	(-)4,551.30	11,482.93	11,389.94
			(-)92.99
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 384.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 4,935.30 लाख की कमी जिलों द्वारा राशि अप्रयुक्त रहने के कारण निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,551.30 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2009-10 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5092-जवाहर उत्कर्ष योजना— मूल	925.00		
पुनर्वि.	(-)278.20	646.80	646.80
			0.00

अनुदान संख्या 41-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 278.20 लाख की कमी जिलों से निधि हेतु कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई हैं।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-01-796-108-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5904-निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय-			
मूल	2,279.00		
पुनर्वि.	(-)179.00	2,100.00	2,100.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 179.00 लाख की कमी छात्रों की उपस्थिति आकलित बजट से कम होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।

(4) 2202-01-796-109-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना-			
मूल	12,400.00		
पूरक	575.19		
पुनर्वि.	(-)6,821.75	6,153.44	5,164.50
			(-)988.94

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,821.75 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने तथा जिलों से निधि हेतु कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2009-10 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2202-01-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1394-छात्राओं का गणवेश (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)-			
मूल	1,900.00		
पुनर्वि.	(-)129.26	1,770.74	1,770.74
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 129.26 लाख की कमी छात्रों की उपस्थिति आकलित बजट से कम होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।

(6) 2202-01-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3673-राज्य छात्रवृत्तियां-			
मूल	7,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,194.60	4,805.40	4,805.40
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,194.60 लाख की कमी राशियों का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2202-01-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7437-मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना-			
मूल	1,060.70		
पुनर्वि.	(-)236.71	823.99	879.93
			+55.94

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 162.77 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 399.48 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 236.71 लाख की कमी उल्लिखित की गई हैं। वृद्धि एवं कमी साथ ही साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2009-10 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2202-01-796-111-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 5396-सर्व शिक्षा अभियान- मूल 83,600.00 पूरक 11,400.00 पुनर्वि. (-)30,283.44	64,716.56	64,716.56	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 30,283.44 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2009-10 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 2202-01-796-112-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5169-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम- मूल 4,758.00 पुनर्वि. (-)653.91	4,104.09	4,124.04	+19.95
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 653.91 लाख की कमी छात्रों की उपस्थिति कम होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2009-10 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 2202-01-796-112-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6933-पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम- मूल 3,466.00 पुनर्वि. (-)271.52	3,194.48	3,202.93	+8.45
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 271.52 लाख की कमी छात्रों की उपस्थिति कम होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2009-10 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(11) 2202-01-796-112-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7765-मुख्यमंत्री अमृत योजना- मूल 271.00 पुनर्वि. (-)271.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 271.00 लाख के प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(12) 2202-02-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5904-निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय- मूल 1,800.00 पुनर्वि. (-)476.12	1,323.88	1,323.88	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 476.12 लाख की कमी छात्रों की उपस्थिति आकलित बजट से कम होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 2202-02-796-109-1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5480—आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार, अनुच्छेद—[275(i)]— मूल 3,862.00 पूरक 38.88 पुनर्वि. (-)1,779.96	2,120.92	2,120.92	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,779.96 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2202-02-796-109-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान— मूल 20,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)8,162.31	11,837.69	11,837.69	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,162.31 लाख की कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2009-10 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(15) 2202-02-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1395—छात्रावास— मूल 9,975.60 पुनर्वि. (-)1,050.49	8,925.11	8,944.22	+19.11
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,050.49 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2202-02-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5216—उच्च विद्यालय— मूल 9,122.20 पुनर्वि. (-)3,700.54	5,421.66	6,243.98	+822.32
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 413.82 लाख एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,286.72 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,700.54 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उक्त दोनों कमियों वास्तविक आवश्यकता के अनुसार भुगतान किए जाने तथा रिक्त पदों की पूर्ति न होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्याधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2202-02-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5551—हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय— मूल 2,500.00 पूरक 2,800.00 पुनर्वि. (-)845.96	4,454.04	4,454.04	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 845.96 लाख की कमी छात्रों की उपस्थिति आकलित बजट से कम होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 583-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय- मूल 7,468.80 पुनर्वि. (-)1,252.54	6,216.26	6,411.97	+195.71
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,252.54 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6140-छात्र भोजन सहायता योजना- मूल 865.30 पुनर्वि. (-)108.13	757.17	762.45	+5.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 108.13 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7363-युवा कैरियर निर्माण योजना- मूल 458.60 पुनर्वि. (-)22.52	436.08	344.86	(-)91.22
(21) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7367-मॉडल स्कूल योजना- मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)500.00	600.00	600.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (20) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 22.52 लाख एवं ₹ 500.00 लाख की कमी के कारणों के साथ ही क्रम संख्या (20) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7592-खाद्य सुरक्षा कानून के तहत छात्रावासों के लिए भोजन- मूल 1.00 पूरक 1,122.00 पुनर्वि. (-)224.55	898.45	898.28	(-)0.17
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 224.55 लाख की कमी जिलों से निधि हेतु कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।			
(23) 2202-03-796-001-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8971-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- मूल 3,996.00 पुनर्वि. (-)3,996.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 3,996.00 लाख का प्रत्याहरण जिलों से निधि हेतु मांग नहीं प्राप्त होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(24) 2202-03-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय-			
मूल	7,209.60		
पूरक	500.00		
पुनर्वि.	(-)1,865.00	5,844.60	5,846.03
			+1.43
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,865.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 2203-796-001-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8971-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-)700.00	0.00	0.00
			0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 700.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 2203-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं-			
मूल	1,385.45		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)328.28	1,057.17	1,054.43
			(-)2.74
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 328.28 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 2210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8940- चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय, सरगुजा-			
मूल	1,750.00		
पुनर्वि.	(-)726.61	1,023.39	1,023.41
			+0.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 726.61 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)			
(28) 2210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8950-चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय, जगदलपुर-			
मूल	2,635.15		
पुनर्वि.	(-)307.18	2,327.97	2,293.35
			(-)34.62
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 307.18 लाख की कमी के कारणों साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(29) 2210-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1473-जिला चिकित्सालय-			
मूल	5,579.03		
पूरक	180.00		
पुनर्वि.	(-)1,749.96	4,009.07	4,054.86
			+45.79
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,749.96 लाख की कमी के कारणों साथ ही अंतिम आधिक्य के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(30) 2210-01-796-200-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6960—राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना— मूल 9,500.00 पुनर्वि. (-)1,388.61	8,111.39	8,111.39	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,388.61 लाख की कमी निधि की विमुक्ति हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(31) 2210-02-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना	513.80	382.56	(-)131.24
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(32) 2210-03-796-110-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6884—राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन— मूल 36,100.00 पुनर्वि. (-)12,560.85	23,539.15	23,539.15	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12,560.85 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(33) 2210-04-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना	2,731.10	1,935.30	(-)795.80
(34) 2210-04-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना	248.80	98.36	(-)150.44
उपरोक्त क्रम संख्या (33) एवं (34) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (33) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं क्रम संख्या (34) के शीर्षान्तर्गत 2012-13 से 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(35) 2210-05-796-105-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5689—चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर की स्थापना— मूल 3,810.30 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)918.66	2,891.64	2,879.71	(-)11.93
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 918.66 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(36) 2210-05-796-105-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8941—चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा— मूल 1,685.10 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,126.81	558.29	559.34	+1.05
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,126.81 लाख का कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(37) 2210-06-796-003-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 2502—परिचारिकाओं का प्रशिक्षण— मूल 418.76 पुनर्वि. (-)319.51	99.25	99.85	+0.60
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से ₹ 319.51 लाख का कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(38) 2210-06-796-003-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण— मूल 550.70 पुनर्वि. (-)159.53	391.17	382.72	(-)8.45
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 159.53 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(39) 2210-06-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5026—छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान— मूल 950.00 पूरक 570.00 पुनर्वि. (-)115.00	1,405.00	1,405.00	0.00
(40) 2210-06-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4244—मलेरिया— मूल 1,825.60 पुनर्वि. (-)1,100.13	725.47	754.90	+29.43
उपरोक्त क्रम संख्या (39) एवं (40) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 115.00 लाख एवं ₹ 1,100.13 लाख की कमी के कारणों के साथ ही क्रम संख्या (39) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (39) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(41) 2211-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 621—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 10,679.05 पुनर्वि. (-)2,773.88	7,905.17	8,514.83	+609.66
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,773.88 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(42) 2215-01-796-191-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6743—जल प्रदाय योजना जगदलपुर	213.26	0.00	(-)213.26
सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 213.26 लाख के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(43) 2215-01-796-191-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8622—जल प्रदाय आवर्धन योजना चिरिमिरी	864.13	706.49	(-)157.64
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(44) 2215-01-796-192-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5706—बड़े बचेली जल प्रदाय योजना	106.00	0.00	(-)106.00
सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 106.00 लाख के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(45) 2215-01-796-192-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5717—मनेन्द्रगढ़ जल प्रदाय आवर्धन योजना— मूल 275.00 पुनर्वि. (-)109.60	165.40	0.00	(-)165.40
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 109.60 लाख की कमी जिलों से निधि हेतु कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(46) 2215-01-796-193-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6876—बलरामपुर जल प्रदाय योजना	100.80	0.00	(-)100.80
सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.80 लाख के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(47) 2215-01-796-193-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8908—नवीन शहरी जल प्रदाय आवर्धन योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 500.00 लाख का प्रत्याहरण योजना को बन्द किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(48) 2216-03-796-105-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6549—इंदिरा आवास योजना— मूल 22,800.00 पुनर्वि. (-)15,731.33	7,068.67	7,068.67	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 15,731.33 लाख की कमी "इंदिरा आवास योजना" को "प्रधान मंत्री आवास योजना" में विलय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(49) 2216-03-796-105-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7807-प्रधान मंत्री आवास योजना-			
मूल	57,238.64		
पुनर्वि.	(-)7,544.97	49,693.67	49,693.67
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 22,837.93 लाख की कमी, भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने, पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 438.37 लाख की अन्य कमी जिलों से निधि हेतु कम मांग प्राप्त होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,731.33 लाख की वृद्धि "इंदिरा आवास योजना" को "प्रधान मंत्री आवास योजना" में विलय किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 7,544.97 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(50) 2217-80-796-192-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7709-सबके लिए आवास योजना-			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,670.21	829.79	829.79
			0.00
(51) 2217-80-796-193-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7610-स्वच्छ भारत अभियान-			
मूल	2,800.00		
पुनर्वि.	(-)721.82	2,078.18	2,078.18
			0.00
(52) 2217-80-796-193-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7709-सबके लिए आवास योजना-			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(-)2,212.24	287.76	287.76
			0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (50) से (52) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,670.21 लाख, ₹ 721.82 लाख एवं ₹ 2,212.24 लाख की कमी केन्द्रांश के समतुल्य राज्यांश के आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(53) 2225-02-796-001-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 3728-आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास-			
मूल	180.00		
पुनर्वि.	(-)180.00	0.00	0.00
			0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 180.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(54) 2225-02-796-102-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5024-आदिवासी विशेष पिछड़े समूह-			
मूल	1,750.00		
पुनर्वि.	(-)1,033.49	716.51	714.94
			(-)1.57

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(55) 2225-02-796-102-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7672-वनबन्धु कल्याण योजना- मूल 562.50 पुनर्वि. (-)143.88	418.62	417.42	(-)1.19
उपरोक्त क्रम संख्या (54) एवं (55) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,033.49 लाख एवं ₹ 143.88 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2012-13 से 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (54) तथा 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (55) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी ।			
(56) 2225-02-796-102-0602-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित- 7626-विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम- मूल 7,686.20 पुनर्वि. (-)3,463.18	4,223.02	4,272.03	+49.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,463.18 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(57) 2225-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9853-आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास- मूल 629.00 पुनर्वि. (-)139.75	75.00	75.00	+31.83
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 139.75 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(58) 2225-02-796-277-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना- मूल 245.00 पुनर्वि. (-)245.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 245.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(59) 2225-02-796-277-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7627-व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनाएं- मूल 824.50 पुनर्वि. (-)375.74	448.76	445.86	(-)2.90
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 375.74 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(60) 2230-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7632-युवा क्षमता विकास योजना- मूल 190.00 पुनर्वि. (-)185.17	4.83	4.83	0.00

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(61) 2230-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8272-गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता- मूल 190.00 पुनर्वि. (-)187.34	2.66	2.67	+0.01
(62) 2230-03-796-003-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं- मूल 2,765.80 पुनर्वि. (-)1,048.03	1,717.77	1,722.79	+5.02
(63) 2230-03-796-003-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8935-लाईवलीहुड कॉलेज- मूल 300.00 पुनर्वि. (-)286.36	13.64	13.64	0.00
(64) 2230-03-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7438-स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन- मूल 248.75 पुनर्वि. (-)112.30	136.45	135.50	(-)0.95
उपरोक्त क्रम संख्या (60) से (64) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 185.17 लाख, ₹ 187.34 लाख, ₹ 1,048.03 लाख, ₹ 286.36 लाख एवं ₹ 112.30 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (62) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(65) 2235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5354-एकीकृत सेवाएं योजना (विदेशी सहायता अंतर्गत योजनाएं)- मूल 1,696.95 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,141.46	555.49	552.72	(-)2.77
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,141.46 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(66) 2235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7423-इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना- मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)3,000.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 3,000.00 लाख के प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(67) 2235-02-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 9044—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल 21,273.69 पुनर्वि. (-)7,598.76	13,674.93	13,665.59	(-)9.35
(68) 2235-02-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 9130—एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पर्यवेक्षण— मूल 512.61 पुनर्वि. (-)260.24	252.37	252.17	(-)0.20
उपरोक्त क्रम संख्या (67) एवं (68) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,598.76 लाख एवं ₹ 260.24 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इन शीर्षों के अन्तर्गत बचत हुई थी।			
(69) 2235-02-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6908—कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को मानदेय— मूल 3,800.00 पुनर्वि. (-)968.13	2,831.87	2,836.86	+4.99
(70) 2235-02-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7680—आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक— मूल 1,721.40 पुनर्वि. (-)511.22	1,210.18	979.63	(-)230.55
(71) 2235-02-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8957—नौनी सुरक्षा योजना— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)2,196.19	803.81	3.81	(-)800.00
उपरोक्त क्रम संख्या (69) से (71) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 968.13 लाख, ₹ 511.22 लाख एवं ₹ 2,196.19 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (70) एवं (71) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2008-09 से 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (70) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(72) 2235-02-796-104-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8662—छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ योजना	2,100.00	840.00	(-)1,260.00
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(73) 2236-02-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 414—आदिवासी क्षेत्रों में विशेष आहार योजना— मूल 17,000.00 पुनर्वि. (-)1,713.37	15,286.63	15,287.22	+0.59

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(74) 2236-02-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7361-सबला योजना-			
मूल	5,880.00		
पूरक	588.00		
पुनर्वि.	(-)165.46	6,302.54	6,300.54
			(-)2.00
(75) 2236-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7747-महतारी जतन योजना-			
मूल	950.00		
पूरक	536.00		
पुनर्वि.	(-)621.21	864.79	864.79
			0.00
(76) 2236-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7765-मुख्यमंत्री अमृत योजना-			
मूल	950.00		
पूरक	372.00		
पुनर्वि.	(-)806.80	515.20	515.20
			0.00
(77) 2236-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना-			
मूल	2,256.40		
पूरक	86.00		
पुनर्वि.	(-)457.70	1,884.70	1,918.45
			+33.75
उपरोक्त क्रम संख्या (73) से (77) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,713.37 लाख, ₹ 165.46 लाख, ₹ 621.21 लाख, ₹ 806.80 लाख एवं ₹ 457.70 लाख की कमी के कारणों के साथ ही क्रम संख्या (77) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (73) एवं (74) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2007-08 से 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (77) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(78) 2401-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7255-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-			
मूल	5,130.00		
पुनर्वि.	(-)2,300.93	2,829.07	2,829.07
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 702.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,598.93 लाख की कमी भारत सरकार से विमुक्त की गई राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में राशि ₹ 2,300.93 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(79) 2401-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7258-ऑइल सीडस एवं ऑइलपॉम पर राष्ट्रीय अभियान-			
मूल	193.80		
पुनर्वि.	(-)101.48	92.32	88.60
			(-)3.72

अनुदान संख्या 41-जारी

समर्पण द्वारा ₹ 190.68 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 89.20 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 101.48 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। वृद्धि के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(80) 2401-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6820-कृषक समग्र विकास योजना- मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)277.44	2,222.56	2,216.46	(-)6.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 277.44 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(81) 2401-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7741-सुखा पीड़ित किसानों को मुफ्त धान-बीज वितरण- मूल 5,700.00 पुनर्वि. (-)2,074.64	3,625.36	3,625.36	0.00
(82) 2401-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8900-जैविक खेती मिशन- मूल 779.22 पुनर्वि. (-)147.05	632.17	632.96	+0.79
उपरोक्त क्रम संख्या (81) से (82) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,074.64 लाख एवं ₹ 147.05 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(83) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)- मूल 6,840.00 पुनर्वि. (-)4,209.68	2,630.32	2,634.32	+4.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,763.74 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 445.94 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,209.68 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(84) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7266-एन.एम.एस.ए. रेन फेड डेवलपमेंट योजना- मूल 795.00 पुनर्वि. (-)563.61	231.39	231.79	+0.40
(85) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8942-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)- मूल 7,600.00 पुनर्वि. (-)1,328.16	6,271.84	6,250.29	(-)21.55

अनुदान संख्या 41-जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (84) से (85) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 563.61 लाख एवं ₹ 1,328.16 लाख की कमी के साथ ही क्रम संख्या (85) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(86) 2401-796-109-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7269-एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन- मूल 1,330.00 पुनर्वि. (-)795.30	534.70	534.70	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 89.20 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 706.10 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 795.30 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। दोनो उभय कमियों के पर्याप्त कारण को सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(87) 2401-796-113-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8961-कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान- मूल 610.00 पुनर्वि. (-)241.26	368.74	368.50	(-)0.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 241.26 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(88) 2401-796-113-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8963-कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना- मूल 380.00 पुनर्वि. (-)232.00	148.00	148.00	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 187.00 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 232.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। दोनो उभय कमियों के पर्याप्त कारण को सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(89) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)- मूल 3,610.00 पुनर्वि. (-)2,430.01	1,179.99	1,147.27	(-)32.72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,430.01 लाख की कमी जिलों द्वारा राशि आहरित नहीं किए जाने एवं भारत सरकार से स्वीकृतियों अप्राप्त रहने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(90) 2401-796-103-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—			
मूल	684.00		
पूरक	323.00		
पुनर्वि.	(-)283.67	723.33	723.33
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 283.67 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(91) 2401-796-119-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7705—एकीकृत बागवानी विकास मिशन—			
पूरक	5,343.96		
पुनर्वि.	(-)2,118.38	3,225.58	3,225.60
			+0.02

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,118.38 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(92) 2402-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7350—एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम—			
मूल	3,800.00		
पुनर्वि.	(-)2,075.04	1,724.96	1,724.96
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,075.04 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(93) 2403-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2549—पशु औषधालय एवं चिकित्सालय—			
मूल	393.09		
पुनर्वि.	(-)102.42	290.67	280.44
			(-)10.23

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.42 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(94) 2405-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)—			
मूल	980.00		
पुनर्वि.	(-)319.24	660.76	551.07
			(-)109.69

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 319.24 लाख की कमी योजना का विलय केंद्र क्षेत्र योजना नील क्रांति में होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(95) 2406-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2536-पर्यावरण वानिकी- मूल 700.00 पुनर्वि. (-)248.17	451.83	561.33	(-)109.50
(96) 2406-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2962-अवनत वनों का विकास- मूल 8,200.00 पूरक (-)541.56	7,658.44	7,832.92	+174.48
उपरोक्त क्रम संख्या (95) से (96) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 248.17 लाख एवं ₹ 541.56 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत/आधिक्य के कारण नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(97) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1004-नदीतट वृक्षारोपण योजना- मूल 550.00 पुनर्वि. (-)346.24	203.76	202.45	(-)1.31
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 346.24 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(98) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1902-तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित- मूल 400.00 पुनर्वि. (-)132.03	267.97	267.69	(-)0.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 132.03 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने तथा जिलों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(99) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2533-हरियाली प्रसार योजना	3,300.00	1,800.60	(-)1,499.40
अत्यधिक राशि की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(100) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4475-सामाजिक वाणिकी- मूल 330.00 पुनर्वि. (-)96.54	233.46	222.60	(-)10.86
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 96.54 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने तथा जिलों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(101) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6724-बांस वनों का पुनरोद्धार- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)716.55	1,283.45	1,237.58	(-)45.87

अनुदान संख्या 41-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 716.55 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने तथा जिलों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(102) 2406-02-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5231-लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	200.00	0.00	(-)200.00
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(103) 2406-02-796-110-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6771-अचानकमार अमरकंटक बायोस्फेयर रिजर्व का विकास	248.30	88.13	(-)160.17
(104) 2406-02-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 3730-प्रोजेक्ट टाईगर	1,360.00	1,063.92	(-)296.08
(105) 2406-04-796-101-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7261-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम	2,677.00	915.00	(-)1,762.00
उपरोक्त क्रम संख्या (103) से (105) के शीर्षान्तर्गत अत्याधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी क्रम संख्या (103) एवं (105) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2009-10 से 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (104) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(106) 2408-01-796-003-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8919-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण- मूल 75.00 पूरक 235.50	310.50	160.45	(-)150.05
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(107) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5456-अन्त्योदय अन्न योजना	1,750.00	1,247.12	(-)502.88
(108) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6839-मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	1,70,300.00	1,01,827.49	(-)68,472.51
(109) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7436-अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत चना वितरण योजना	27,000.00	16,750.00	(-)10,250.00

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(110) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8933-शक्कर वितरण योजना	1,511.00	1,236.61	(-)274.39
(111) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9993-रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान	2,888.00	2,475.49	(-)412.51
उपरोक्त क्रम संख्या (107) से (111) के शीर्षान्तर्गत अत्याधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (108) एवं (111) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(112) 2415-80-796-120-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9182-इन्दिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय को अनुदान-	मूल 694.50 पुनर्वि. (-)222.25	472.25	472.25
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 222.25 लाख की कमी राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(113) 2501-06-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-	मूल 7,600.00 पूरक 988.00 पुनर्वि. (-)1,339.15	7,248.85	7,248.85
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,339.15 लाख की कमी राज्यांश के समतुल्य राशि विमुक्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(114) 2505-60-796-196-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6728-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-	मूल 1,04,500.00 पुनर्वि. (-)16,054.07	88,445.93	88,502.93
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,865.09 लाख की कमी राज्यांश के अनुरूप राशि जारी किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,188.98 लाख की अन्य कमी केंद्र सरकार से स्वीकृति प्रदाय नहीं होने के कारण संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 16,054.07 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(115) 2515-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-	मूल 3,334.04 पुनर्वि. (-)128.81	3,205.23	2,229.50
(+)975.74			

अनुदान संख्या 41-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 128.81 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अत्याधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(116) 2801-80-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7758-उदय योजना अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी को अनुदान-			
मूल	16,532.28		
पुनर्वि.	(-)16,532.00	0.28	(-)0.28

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 16,532.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(117) 2810-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7694-सौर उर्जा हेतु सहायक अनुदान-			
मूल	760.00		
पुनर्वि.	(-)228.00	532.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 228.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(118) 2810-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7695-विद्यमान संयंत्र की क्षमता उन्नयन व संधारण-			
मूल	380.00		
पुनर्वि.	(-)114.00	266.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 114.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(119) 2810-60-796-600-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5415-ग्रामीण उर्जा को सहायक अनुदान-			
मूल	280.00		
पुनर्वि.	(-)168.00	112.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 168.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(120) 2851-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6857-उद्योगों को ब्याज अनुदान-			
मूल	800.00		
पुनर्वि.	(-)258.61	541.39	(-)0.77

(121) 2851-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4748-हस्तशिल्प निगमों को विकास योजना के तहत अनुदान-			
मूल	167.47		
पुनर्वि.	(-)97.89	69.58	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (120) एवं (121) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 258.61 लाख एवं ₹ 97.89 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2009-10 से 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (120) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(122) 2851-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8562-कोण्डागांव मे शिल्प नगर की स्थापना-			
मूल	138.00		
पुनर्वि.	(-)138.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 138.00 लाख के प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2017)। 2009-10 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(123) 2852-80-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5385-नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना-			
मूल	696.82		
पुनर्वि.	(-)448.00	248.82	248.82

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 448.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(124) 3275-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7776-कौशल विकास योजना के लिए अनुदान-			
मूल	1,90.00		
पुनर्वि.	(-)122.93	67.07	67.07

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 122.93 लाख की कमी जिलो से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित नहीं की गई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2210-03-796-197-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-			
मूल	5,179.51		
पुनर्वि.	(-)148.69	5,030.82	5,742.74
(2) 2210-03-796-198-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- (मूलभूत सुविधाएं)-			
मूल	7,659.75		
पुनर्वि.	(-)349.81	7,309.94	7,967.78
(3) 2210-03-796-198-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 620-उप स्वास्थ्य केन्द्र-			
मूल	2,453.75		
पुनर्वि.	(-)40.00	2,413.75	4,453.62

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 148.69 लाख, ₹ 349.81 लाख एवं ₹ 40.00 लाख की कमी के कारणों के साथ ही इन शीर्षान्तर्गत अत्याधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2012-13 से 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (1) एवं (3) के शीर्षों का एवं 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2215-01-796-192-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7314-कांकेर जल प्रदाय योजना	0.10	370.92	+370.82
(5) 2215-01-796-193-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6773-सुरजपुर जल प्रदाय योजना	800.00	1,126.03	+326.03
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(6) 2215-02-796-107-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7610-स्वच्छ भारत अभियान-			
मूल	15,200.00		
पूरक	713.60		
पुनर्वि.	7,470.59	23,384.19	23,384.19
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,188.98 लाख की वृद्धि भारत सरकार से अधिक राशि प्राप्त होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 718.39 लाख की कमी राज्यांश अनुरूप राशि विमुक्त किए जाने के कारण संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में राशि ₹ 7,470.59 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।			
(7) 2217-80-796-192-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8996-राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन	100.00	225.57	+125.57
अत्यधिक राशि की आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2017)।			
(8) 2235-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-1.80)	398.20	1,198.05
			(-)799.85
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1.80 लाख की कमी जिलों द्वारा राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(9) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7267-एन.एम.एस.ए.सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना-			
मूल	384.10		
पूरक	160.00		
पुनर्वि.	173.77	717.87	717.51
			(-)0.36
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 402.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 228.23 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में राशि ₹ 173.77 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2401-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7797-प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना-			
पूरक	1,124.64		
पुनर्वि.	1,974.71	3,099.35	3,099.35
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,280.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 305.29 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,974.71 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			0.00
(11) 2401-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8792-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना-			
मूल	7,600.00		
पुनर्वि.	2,985.30	10,585.30	10,585.30
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,985.30 लाख का आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			0.00
(12) 2405-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7814-नील क्रांति अंतर्गत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम-			
मूल	329.00		
पुनर्वि.	319.24	648.24	532.14
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 319.24 लाख का आवर्धन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का केन्द्र क्षेत्र योजना नील क्रांति के अन्तर्गत विलय होने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			(-)116.10
(13) 2406-01-796-105-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5231-लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान			
को अनुदान	1,500.00	1,700.00	+200.00
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(14) 2501-06-796-196-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8775-प्रशासकीय योजनाएँ (जिला स्तर)-			
मूल	418.00		
पुनर्वि.	227.30	645.30	645.30
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 438.36 लाख की वृद्धि जिलों द्वारा राशि की मांग किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 211.06 लाख की कमी राज्यांश के अनुरूप राशि जारी किए जाने के कारण निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 227.30 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।			0.00

प्रभारित-

(v) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 41—जारी

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय ₹ 2,21,385.84 लाख के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 8,672.86 लाख का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक था, जबकि नवम्बर 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 5,996.76 लाख तथा मार्च 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 43,810.62 लाख का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 57,576.18 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 54,271.98 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-796-202-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 1400-छात्रावास तथा आश्रम भवन का निर्माण— मूल 3,500.00 पुनर्वि. (-)2,351.10	1,148.90	1,148.90	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,351.10 लाख की कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 4202-01-796-202-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)1,200.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,200.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4202-01-796-202-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1400-छात्रावास तथा आश्रम भवन का निर्माण— मूल 7,400.00 पुनर्वि. (-)2,638.31	4,761.69	5,037.27	+275.58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,638.31 लाख की कमी राज्य सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4202-01-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7252-विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्य हेतु ऋण का पुनर्भुगतान— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण जिलों से राशि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 4202-01-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7289-सरगुजा विश्वविद्यालय	200.00	0.00	(-)200.00
(6) 4202-01-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7290-बस्तर विश्वविद्यालय	200.00	0.00	(-)200.00
(7) 4202-01-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7445-सरगुजा विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज	120.00	0.00	(-)120.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 200.00 लाख, ₹ 200.00 लाख एवं ₹ 120.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(8) 4202-02-796-103-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8935-लाईवलीहुड कॉलेज- मूल 309.00 पुनर्वि. (-)248.01	60.99	60.99	0.00
(9) 4202-02-796-103-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं- मूल 250.00 पुनर्वि. (-)233.36	16.64	16.64	0.00
(10) 4202-02-796-103-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7438-स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन- मूल 412.00 पूरक 560.28 पुनर्वि. (-)701.09	271.19	271.19	0.00
(11) 4202-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं- मूल 850.00 पुनर्वि. (-)754.61	95.39	95.39	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (11) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 248.01 लाख, ₹ 233.36 लाख, ₹ 701.09 लाख एवं ₹ 754.61 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत, 2012-13 से 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत तथा 2013-14 से 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (9) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 4210-01-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8940-चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय, सरगुजा- मूल 2,950.00 पुनर्वि. (-)2,950.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 4210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8940-चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय, सरगुजा- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 2,950.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख के प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत तथा 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 4210-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1473-जिला चिकित्सालय- मूल 3,361.00 पुनर्वि. (-)378.80	2,982.20	2,987.11	+4.91
(15) 4210-02-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 650.80 पुनर्वि. (-)368.35	282.45	282.45	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (14) एवं (15) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 378.80 लाख एवं ₹ 368.35 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(16) 4210-03-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8941-चिकित्सा महाविद्यालय, सरगुजा- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 500.00 लाख के प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(17) 4210-03-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5689-चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, जगदलपुर- मूल 485.00 पुनर्वि. (-)200.01	284.99	284.99	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.01 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(18) 4215-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7353-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम- मूल 6,080.00 पुनर्वि. (-)1,407.11	4,672.89	4,875.65	+202.76
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,407.11 लाख की कमी भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 4215-01-796-102-0312-नाबार्ड प्रवर्तित योजना (टी.ए.एस.पी.)- 5403- ग्रामीण नल-जल प्रदाय योजना- मूल 4,512.00 पुनर्वि. (-)149.71	4,362.29	3,353.76	(-)1,008.53

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(20) 4215-01-796-102-0312-नाबार्ड सहायता योजना (टी.ए.एस.पी.)- 7857- सौर उर्जा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम- मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)2.00	4,998.00	4,453.50	(-)544.50
उपरोक्त क्रम संख्या (19) एवं (20) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 149.71 लाख एवं ₹ 2.00 लाख की कमी जिलों से मांग नहीं प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(21) 4215-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2294-निर्देशन- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण लाभार्थियों के कम संख्या होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(22) 4215-01-796-193-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8622-चिरिमिरी जल आवर्धन प्रदाय योजना- मूल 250.00 पुनर्वि. (-)250.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 250.00 लाख का प्रत्याहरण लाभार्थियों के कम संख्या होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(23) 4225-02-796-102-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5480-आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार {अनुच्छेद 275(1)}- मूल 11,064.90 पुनर्वि. (-)3,799.88	7,265.02	7,264.91	(-)0.11
(24) 4225-02-796-102-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5024-आदिवासी विशेष पिछड़े समूह- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)218.03	781.97	781.96	(-)0.01
(25) 4225-02-796-102-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7672-वनबन्धु कल्याण योजना- मूल 500.00 पूरक 1,072.50 पुनर्वि. (-)715.78	856.72	856.72	0.00

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(26) 4225-02-796-102-0602-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित- 7626-विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाएं से स्थानीय विकास कार्यक्रम- मूल 3,795.00 पूरक 5,996.76 पुनर्वि. (-)3,013.79	6,777.97	6,645.36	(-)132.61
उपरोक्त क्रम संख्या (23) से (26) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 3,799.88 लाख, ₹ 218.03 लाख, ₹ 715.78 लाख एवं ₹ 3,013.79 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही क्रम संख्या (26) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 4235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 337-आंगनवाड़ियों का सुधार एवं निर्माण- मूल 2,280.00 पुनर्वि (-)217.00	2,063.00	2,063.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 217.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 4401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7267-एन.एम.एस.ए. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजनाएँ- मूल 300.00 पुनर्वि (-)214.32	85.68	85.68	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 214.32 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(29) 4406-02-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 3730-बाघ परियोजना	140.00	0.00	(-)140.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(30) 4406-02-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4342-भवन और सड़कों का निर्माण	250.00	134.43	(-)115.57
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(31) 4515-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7493-विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना- मूल 2,900.00 पुनर्वि. (-)24.51	2,875.49	2,619.22	(-)256.27
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 24.51 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(32) 4700-03-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2898-बांध एवं संलग्न कार्य-			
मूल	1,420.00		
पुनर्वि.	(-)823.08	596.92	615.01
			(-)18.09

समर्पण द्वारा ₹ 123.08 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख की कमी वृक्षारोपण हेतु मुआवजा दिए जाने के कारण के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 823.08 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(33) 4700-03-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5685-बांध सुरक्षा और सुदृढीकरण-				
मूल	900.00			
पुनर्वि.	(-)645.69	254.31	236.24	(-)18.07

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 145.69 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 645.69 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियां निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(34) 4700-80-796-005-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4416-सर्वेक्षण-				
मूल	200.00			
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(35) 4701-08-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-				
मूल	1,500.00			
पुनर्वि.	(-)1,006.82	493.18	493.18	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6.82 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,006.82 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियां निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई हैं।

(36) 4701-16-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-				
मूल	100.00			
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00	0.00

(37) 4701-17-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-				
मूल	100.00			
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (36) एवं (37) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से प्रत्येक में ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(38) 4701-22-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)18.08	181.92	47.87
			(-)134.05
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 18.08 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई हैं। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(39) 4701-23-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
			0.00
(40) 4701-25-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
			0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (39) एवं (40) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (39) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012-13 से 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (40) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(41) 4701-29-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)121.77	28.23	28.23
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 121.77 लाख की कमी भू-अधिग्रहण हेतु मुआवजा के मामलों का समाधान नहीं किए जाने तथा राज्य सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(42) 4701-33-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-)556.14	143.86	143.87
			+0.01
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 456.14 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 556.14 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियां निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई हैं।			
(43) 4701-34-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2898-बांध एवं संलग्न कार्य-			
मूल	4,360.00		
पुनर्वि.	(-)382.05	3,977.95	3,977.95
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 382.05 लाख की कमी भू-अधिग्रहण हेतु मुआवजा के प्रकरणों का समाधान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(44) 4701-80-796-005-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3363-मध्यम परियोजना का सर्वे- मूल 300.00 पुनर्वि. (-)285.27	14.73	14.73	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 285.27 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई हैं।			
(45) 4702-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7405-मरम्मत/नवीनीकरण/ पुनरोद्धार- मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)2,377.62	122.38	74.59	(-)47.79
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,377.62 लाख की कमी वित्त विभाग से आयोजना व्यय में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(46) 4702-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,500.00 लाख का प्रत्याहरण बजट में नवीण योजना हेतु केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(47) 4702-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4416-सर्वेक्षण- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)779.06	220.94	230.42	+9.48
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 779.06 लाख की कमी सर्वे कार्य हेतु अभिकरण का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(48) 4702-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5059-एनीकट/स्टॉपडेम का निर्माण- मूल 18,500.00 पुनर्वि. (-)7,390.55	11,109.45	11,462.63	+353.18
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,000.00 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,390.55 लाख की अन्य कमी वित्त विभाग से आयोजना व्यय में कमी किए जाने के कारण संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 7,390.55 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम अधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(49) 4702-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7422-औद्योगिक जल आधारभूत विकास- मूल 8,500.00 पुनर्वि. (-)426.94	8,073.06	7,598.80	(-)474.26
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 426.94 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(50) 4801-06-796-190-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7655-एकीकृत विद्युत विकास योजना-			
मूल	513.00		
पुनर्वि.	(-)513.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 513.00 लाख के प्रत्याहरण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(51) 4801-06-796-800-0410-उर्जा विकास निधि- 6758-कृषि पम्पों का उर्जाकरण-			
मूल	4,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,600.00	1,400.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,600.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(52) 4801-06-796-800-0410-उर्जा विकास निधि- 8983-औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक उन्नयन कार्य-			
मूल	203.86		
पुनर्वि.	(-)203.86	0.00	0.00
(53) 4851-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9219-भू अर्जन तथा भूमि विकास क्षतिपूर्ति का भुगतान-			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-)600.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (52) एवं (53) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 203.86 लाख एवं ₹ 600.00 लाख के प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(54) 5054-04-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4871-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण-			
मूल	1,800.00		
पुनर्वि.	(-)1,800.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,800.00 लाख का प्रत्याहरण नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(55) 5054-04-796-337-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-			
मूल	45,000.00		
पुनर्वि.	(-)12,087.62	32,912.38	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12,087.62 लाख की कमी भारत सरकार से राशि कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(56) 5054-04-796-337-0312-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना- मूल 3,500.00 पूरक 2,500.00 पुनर्वि. (-)441.61	5,558.39	5,868.17	+309.78

(57) 5054-04-796-337-0312-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना- मूल 6,650.00 पुनर्वि. (-)303.03	6,346.97	4,894.01	(-)1,452.95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------------

उपरोक्त क्रम संख्या (56) एवं (57) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमश ₹ 441.61 लाख एवं ₹ 303.03 लाख की कमी के साथ ही अत्यधिक अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (57) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2011-12 से 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (56) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(58) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)3,000.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 3,000.00 लाख का प्रत्याहरण नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(59) 6408-02-796-190-0312-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण- मूल 1,553.00 पूरक 844.53	2,397.53	1,486.34	(-)911.19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4215-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5403-पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना- मूल 1,025.00 पुनर्वि. (-)387.75	637.25	1,600.36	+963.11

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 387.75 लाख की कमी जिलों से राशि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्याधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुई थी।

अनुदान संख्या 41—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4702-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3828-लघु सिंचाई योजना— मूल 22,500.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 5,644.28	28,144.28	28,149.39	+5.11

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,300.00 लाख की वृद्धि भू-अधिग्रहण के मुआवजा के भुगतान किए जाने हेतु तथा समर्पण द्वारा ₹ 2,655.72 लाख की कमी वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति देयकों का निदान नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 5,644.28 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुई थी।

(3) 4810-796-102-0410-उर्जा विकास निधि— 7693-सौर-पंप को सहायता अनुदान— मूल 1,400.00 पुनर्वि. 2,600.00	4,000.00	4,000.00	0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,600.00 लाख की वृद्धि के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

प्रभारित

(x) ₹ 15.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया।

(xi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4701-80-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1831-डिक्री धन का भुगतान— मूल 5.00 पुनर्वि. (-)5.00	0.00	0.00	0.00
(1) 4702-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1831-डिक्री धन का भुगतान— मूल 10.00 पुनर्वि. (-)10.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण विनियोग क्रमशः ₹ 5.00 लाख एवं ₹ 10.00 लाख का प्रत्याहरण मुआवजे के प्रकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कों और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत :			
दत्तमत-			
मूल	1,15,62,300		
पूरक	1	58,18,667	(-)57,43,634
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)	1,15,62,301		58,00,995
<i>प्रभारित</i>	<i>92,000</i>	<i>55,535</i>	<i>(-)36,465</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			<i>36,965</i>

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

दत्तमत-

(i) ₹ 57,436.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को ₹ 58,009.95 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण रहा।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5053-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार-			
मूल	2,400.00		
पुनर्वि.	(-)2,002.45	397.55	+6.06
(2) 5054-03-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4149-वृहद् पुलों का निर्माण-			
मूल	26,500.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)8,277.08	18,222.92	+294.15
(3) 5054-03-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3710-राज्यों के राजमार्ग-			
मूल	15,000.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)10,385.08	4,614.92	+18.41
(4) 5054-04-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4871-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण-			
मूल	260.00		
पुनर्वि.	(-)133.02	126.98	+0.01

अनुदान संख्या 42-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 5054-04-796-337-0312-नाबार्ड पोषित योजनाएं- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 6590-नाबार्ड ऋण सहायता के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण-			
मूल	21,400.00		
पुनर्वि.	(-)15,627.29	5,772.71	5,792.07
			+19.36
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,002.45 लाख, ₹ 8,277.08 लाख, ₹ 10,385.08 लाख, ₹ 133.02 लाख एवं ₹ 15,627.29 लाख की कमी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य कार्यान्वित नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी। क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2003-04 से 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-			
मूल	19,000.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)11,374.81	7,625.19	7,695.19
			+70.00
(7) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3539-मुख्य जिला सड़कें-			
मूल	29,353.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)10,062.44	19,290.56	19,445.85
			+155.29
(8) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4416-सर्वेक्षण-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)137.77	62.23	72.56
			+10.33
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 11,374.81 लाख, ₹ 10,062.44 लाख एवं ₹ 137.77 लाख की कमी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य कार्यान्वित नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(9) 5054-05-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7733-एन्यूटी के अन्तर्गत निर्माण-			
मूल	1,500.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)1,500.00	0.00	0.00
			0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,500.00 लाख का प्रत्याहरण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य कार्यान्वित नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 42—समाप्त

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-05-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7818-ई.पी.सी. (इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कन्सट्रक्शन)— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 1,499.99	1,500.00	1,500.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 1,499.99 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

प्रभारित—

(iv) ₹ 364.65 लाख के उपलब्ध विनियोग के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2017 को ₹ 369.65 लाख का किया गया अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण रहा।

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-04-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा— मूल 920.00 पुनर्वि. (-)369.65	550.35	555.35	+5.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 369.65 लाख की कमी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य कार्यान्वित नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	9,55,861		
पूरक	सांकेतिक		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)	9,55,861	2,16,324	(-)7,39,537 7,39,932
<i>प्रभारित</i>	<i>25</i>	<i>00</i>	<i>(-)25</i> <i>25</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			
पूंजीगत :			
दत्तमत	17,500	17,337	(-)163 163
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :
दत्तमत—

(i) ₹ 7,395.37 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को ₹ 7,399.32 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण रहा। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2204—103—2323—निर्देशन एवं प्रशासन—			
मूल	678.61		
पुनर्वि.	(-)255.58	423.03	422.93
			(-)0.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 255.58 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2008—09 से 2015—16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 2204—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
8923—मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 85.94 लाख की कमी, योजनान्तर्गत व्यय नहीं किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 914.06 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,000.00 लाख का प्रत्याहरण उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014—15 एवं 2015—16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 43—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2204-104-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7641-राजीव गांधी खेल अभियान-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-),1,500.00	0.00	0.00
(4) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3459-महिला खेल प्रतियोगिता-			
मूल	135.00		
पुनर्वि.	(-),60.88	74.12	+0.94
(5) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3738-राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज-			
मूल	60.00		
पुनर्वि.	(-),59.44	0.56	0.00
(6) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7296-खेल अकादमी-			
मुल	411.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-),376.21	34.79	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 60.88 लाख, ₹ 59.44 लाख ₹ 376.21 लाख के कमी के प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7473-37 ^{वें} राष्ट्रीय खेल-			
मूल	4,100.00		
पुनर्वि.	(-),4,100.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 4,100.00 लाख के प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एव 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अशंतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2204-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5429-युवक कल्याण गतिविधियाँ-			
मुल	200.00		
पुनर्वि.	81.56	281.56	+1.42

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 85.94 लाख की वृद्धि, युवा कल्याण से संबंधित गतिविधियों के संगठन पर व्यय किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 4.38 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 81.56 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष -			
2202—सामान्य शिक्षा			
4402— शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	65,48,777		
पूरक	77,500	66,26,777	43,97,619
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)22,28,658 22,35,955
प्रभारित	70	00	(-)70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			70
पूंजीगत :			
दत्तमत	1,82,750	60,171	(-)1,22,579
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			1,22,579
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यंत कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 75.00 लाख) एवं नवम्बर 2016 (₹ 700.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 775.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 22,286.58 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 22,359.55 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अर्न्तगत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202—03—001—3443—महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय—			
मूल	581.89		
पुनर्वि.	(-)196.00	385.89	383.20
			(-)2.69
(2) 2202—03—001—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3753—राष्ट्रीय सेवा योजना—			
मूल	675.07		
पुनर्वि.	(-)592.13	82.94	82.94
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 196.00 लाख एवं ₹ 592.13 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011—12 से 2015—16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 44—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-03-001-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8971—राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान— मूल 5,894.96 पुनर्वि. (-)5,836.93	58.03	58.03	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,836.93 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण एवं केन्द्रांश की राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7656—दुर्ग विश्वविद्यालय— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)100.00	400.00	400.00	0.00
(5) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9948—विश्वविद्यालय पेंशन भुगतान योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)160.00	440.00	440.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 160.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(6) 2202-03-103-798—कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय— मूल 36,943.00 पुनर्वि. (-)13,666.06	23,277.74	23,286.80	+9.07
समर्पण द्वारा ₹ 13,666.06 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण एवं मांग अनुसार राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2202-03-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 798—कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय— मूल 8,976.20 पूरक 700.00 पुनर्वि. (-)1,102.42	8,573.78	8,192.42	(-)381.36
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,102.42 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2202-03-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7751—स्वामी विवेकानंद ज्ञानदीप योजना— मूल 735.00 पूरक 75.00 पुनर्वि. (-)306.88	503.12	503.12	0.00
(9) 2202-03-104-3444—महाविद्यालयों को पोषण अनुदान— मूल 4,100.00 पुनर्वि. (-)85.85	4,014.15	4,014.15	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 306.88 लाख एवं ₹ 85.85 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 44—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2202-03-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5672-बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)248.57	351.43	799.38	+447.95

समर्पण द्वारा ₹ 24.57 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 224.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 248.57 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.70 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया। 2015-16 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5205-रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)59.29	140.71	140.71	0.00
(2) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7484-बिलासपुर विश्वविद्यालय— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)150.00	100.00	100.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 59.29 लाख एवं ₹ 150.00 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत एवं 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(3) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

7751-स्वामी विवेकानन्द

ज्ञानदीप योजना—

मूल 1,000.00

पुनर्वि. (-)1,000.00

0.00

0.00

0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,000.00 लाख के प्रत्याहरण के पर्याप्त कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2702—लघु सिंचाई			
4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	7,57,662	6,86,206	(-)71,456
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			67,924
पूंजीगत :			
मूल	51,13,000		
पूरक	सांकेतिक		
	51,13,000	41,67,077	(-)9,45,923
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			9,51,883
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			

(i) ₹ 714.56 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 679.24 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2702-03-101-207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य—			
मूल	3,186.70		
पुनर्वि.	(-)369.98	2,816.72	2,866.64
			+49.92
(2) 2702-03-103-207-अन्य सिंचाई निर्माण कार्य—			
मूल	1,260.29		
पुनर्वि.	(-)217.74	1,042.55	974.43
			(-)68.12
(3) 2702-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5707-कृषि समृद्धि योजना हेतु अनुदान —			
मूल	795.00		
पुनर्वि.	(-)65.55	729.45	731.28
			+1.83

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 369.98 लाख, ₹ 217.74 लाख एवं ₹ 65.55 लाख की कमी सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा वेतन, डी.ए. इत्यादि हेतु अतिरिक्त अनुदान का भुगतान नहीं किए जाने एवं जिलाधिकारी द्वारा ट्यूबवेल की खनन पर प्रतिबंध लगाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के अंतिम आधिक्य एवं क्रम संख्या (2) के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 45—जारी

पूँजीगत :

दत्तमत—

(iii) ₹ 9,459.23 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 9,518.83 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4702-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7405—मरम्मत/पुनर्नवीनीकरण/ पुनरोद्धार— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,748.09	251.91	251.89	(-)0.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,748.09 लाख की कमी केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली से स्वीकृति की प्राप्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत हुई है।			
(2) 4702-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,500.00 लाख का प्रत्याहरण केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली से स्वीकृति की प्राप्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4702-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4416—सर्वेक्षण— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)495.20	104.80	246.17	+141.37
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 495.20 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही के व्यय में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4702-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9284—नलकूप की स्थापना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.12	+0.12
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 500.00 लाख की कमी ट्यूबवेल संबंधित योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4702-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5059—एनीकट/स्टॉपडेम का निर्माण— मूल 15,000.00 पुनर्वि. (-)3,297.68	11,702.32	11,751.91	+49.59
समर्पण द्वारा ₹ 2,297.68 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही के व्यय में कटौती किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की अन्य कमी निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,297.68 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 45—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6070-संगठन स्थापना (भू-जल)- मूल 70.00 पुनर्वि. (-)70.00	0.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 70.00 लाख के प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7422-औद्योगिक जल संरचना निर्माण- मूल 14,200.00 पुनर्वि. (-)2,623.64	11,576.36	11,547.41	(-)28.95
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,623.64 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही के व्यय में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(v) उपरोक्त टिप्पणी (iv) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3803-मेजर एवं माइक्रो माईनर सिंचाई योजना- मूल 16,500.00 पुनर्वि. 781.51	17,281.51	17,119.12	(-)162.39

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,700.00 लाख की वृद्धि, भूमि अधिग्रहण अनुकंपा दायित्व भुगतान नहीं किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,918.49 लाख कमी कार्य की धीमी प्रगति होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 781.51 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(vi) उचंत लेन देन:-

उचंत के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) में दर्शाई गई है।

वर्ष 2016-17 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2016 को नामें + जमा(-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2017 को अंतिम शेष नामें + जमा(-)
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)47.83	0.00	0.00	(-)47.83
(ii) भण्डार	+186.40	0.00	0.00	+186.40
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+42.24	0.00	0.00	+42.24
(iv) कार्य शाला उचन्त	+0.04	0.00	0.00	+0.04
योग	+180.85	0.00	0.00	+180.85

अनुदान संख्या 46—विज्ञान और टेक्नालॉजी

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
5425—अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण			
अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व			
मूल	1,52,500		
पूरक.	2,000	1,54,500	(-)32,287
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			32,287
पूंजीगत	49,000	2,969	(-)46,031
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			46,031
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, नवम्बर 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 20.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3425-60-200-5433—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को अनुदान—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)50.00	250.00	0.00
(2) 3425-60-200-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5632—साईन्स सिटी की स्थापना—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)172.79	327.21	0.00
(3) 3425-60-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5433—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को अनुदान—			
मूल	650.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	550.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 50.00 लाख, ₹ 172.79 लाख एवं ₹ 100.00 लाख की कमी आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत एवं 2009-10 से 2015-16 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 46—समाप्त

पूँजीगत :

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5425-600-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 5632-साईन्स सिटी की स्थापना-			
मूल	290.00		
पुनर्वि.	(-)290.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 290.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने एवं भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है (जुलाई 2017)।

(2) 5425-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6736-केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)170.31	29.69	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 170.31 लाख की कमी लंबित निर्माण कार्यों से संबंधित नए प्रस्ताव पारित नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2203—तकनीकी शिक्षा			
2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	46,49,371		
पूरक	4,99,406	51,48,777	33,94,680
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)17,54,097 17,65,372
<i>प्रभारित</i>	<i>20</i>	<i>00</i>	<i>(-)20</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			<i>20</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	9,77,551		
पूरक	30,600	10,08,151	3,29,957
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)6,78,194 6,78,756
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 994.06 लाख) एवं नवम्बर 2016 (₹ 4,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 4,994.06 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।			
(ii) ₹ 17,540.97 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 17,653.72 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2203-001-1869—तकनीकी शिक्षा संचालनालय—			
मूल	395.70		
पुनर्वि.	(-)123.87	271.83	271.29
			(-)0.55
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 123.87 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत हुई है।			
(2) 2203-001-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
8971—राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान—			
मूल	1,300.00		
पुनर्वि.	(-)1,300.00	0.00	0.00
			0.00

अनुदान संख्या 47—जारी

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,300.00 लाख का प्रत्यहारण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2203-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7745-छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना-			
मूल	8,000.00		
पूरक	4,000.00		
पुनर्वि.	(-)3,316.77	8,683.23	8,683.23
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,316.77 लाख की कमी संबंधित संस्थाओं से टैबलेट की आपूर्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 2203-105-2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं-			
मूल	4,995.25		
पुनर्वि.	(-)1,124.01	3,871.24	3,872.37
			+1.13

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 1124.01 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2203-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं-			
मूल	1,339.61		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)121.32	1,218.29	1,217.10
			(-)1.19

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 121.32 लाख की कमी राशि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2203-112-502-इंजीनियरिंग महाविद्यालय-			
मूल	2,070.40		
पुनर्वि.	(-)577.74	1,492.66	1,489.37
			(-)3.29

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 577.74 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2006-07 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2203-112-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7477-प्रद्यौगिकी संस्थानों में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)330.00	70.00	70.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 330.00 लाख की कमी संबंधित संस्थाओं से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(8) 2203-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 502-इंजीनियरिंग महाविद्यालय-			
मूल	1,099.07		
पुनर्वि.	(-)288.05	811.02	810.70
			(-)0.32

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 288.05 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2006-07 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2203-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7341—आई. आई. आई. टी. की स्थापना— मूल 1,000.00 पूरक 600.00 पुनर्वि. (-)200.00	1,400.00	1,400.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.00 लाख की कमी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2006-07 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 2203-02-101-3795—रोजगार संचालनालय— मूल 228.10 पुनर्वि. (-)100.55	127.55	126.32	(-)1.23
(11) 2203-02-101-9147—रोजगार कार्यालय— मूल 1,069.79 पुनर्वि. (-)282.72	787.07	785.43	(-)1.64
(12) 2230-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7632—युवा क्षमता विकास योजना— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)234.23	15.77	15.77	0.00
(13) 2230-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8272—गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)189.39	60.61	60.61	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (10) से (13) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 100.55 लाख, ₹ 282.72 लाख, ₹ 234.23 लाख एवं ₹ 189.39 लाख की कमी वास्तविकता के आधार पर व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 से 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है। क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(14) 2230-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9147—रोजगार कार्यालय— मूल 230.00 पुनर्वि. (-)107.32	122.68	122.67	(-)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 107.32 लाख की कमी, वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2230-03-003-717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 6,797.64 पुनर्वि. (-)2,239.34	4,558.30	4,590.05	+31.75
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,239.34 लाख की कमी वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 2230-03-003-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7438—स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन— मूल 3,400.00 पुनर्वि. (-)3,400.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 3,400.00 लाख का प्रत्याहरण वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2230-03-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 743.50 पुनर्वि. (-)226.50	517.00	526.33	+9.33
(18) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 1,753.95 पुनर्वि. (-)603.00	1,150.95	1,127.87	(-)23.08
(19) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7683—मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना— मूल 10,000.00 पुनर्वि. (-)2,238.30	7,761.70	7,861.70	+100.00
उपरोक्त क्रम संख्या (17) से (19) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 226.50 लाख, ₹ 603.00 लाख, एवं ₹ 2,238.30 लाख की कमी वास्तविकता के आधार पर व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत 2008-09 से 2015-16 के दौरान एवं क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत 2006-07 से 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है। क्रम संख्या (19) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(20) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7700—प्लास्टिक यांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रीय संस्थान— मूल 242.50 पुनर्वि. (-)122.25	120.25	121.25	+1.00
(21) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8935—लाईवलीहुड कॉलेज— मूल 240.00 पुनर्वि. (-)215.00	25.00	25.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (20) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 122.25 लाख एवं ₹ 215.00 लाख की कमी वास्तविकता के आधार पर व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (20) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत :
दत्तमत—

(iv) ₹ 6,781.94 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 6,787.56 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 47—समाप्त

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-02-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)83.40	116.60	116.60	0.00
(2) 4202-02-103-0311—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)— 8935—लाईवलीहुड कॉलेज— मूल 3,500.00 पुनर्वि. (-)1,568.23	1,931.77	1,921.77	(-)10.00
(3) 4202-02-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 660.00 पुनर्वि. (-)613.10	46.90	46.90	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 83.40 लाख, ₹ 1,568.23 लाख एवं ₹ 613.10 लाख की कमी वास्तविकता के आधार पर व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2006-07 से 2015-16 के दौरान एवं क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 से 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है। क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 4202-02-104-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 1,716.50 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,412.62	303.88	305.60	+1.72
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,412.62 लाख की कमी मशीनों के लिए विनिर्देश अनुरूप नहीं होने एवं भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4202-02-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 140.00 पुनर्वि. (-)51.53	88.47	86.52	(-)1.95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 51.53 लाख की कमी संस्थानों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 4202-02-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 502—इंजीनियरिंग संस्थाएं— मूल 3,051.00 पुनर्वि. (-)3,040.66	10.34	26.18	(-)15.84
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	----------

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से ₹ 3,040.66 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं संस्थानों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
राजस्व			
मूल	3,99,360		
पूरक	2,500	4,02,460	2,81,790
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)1,20,670 80,082

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, नवम्बर 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 25.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,206.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 800.82 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-101-495—आश्रम और शालाएं—			
मूल	748.81		
पुनर्वि.	(-)377.08	371.73	320.18
			(-)51.55

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 63.56 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 213.52 लाख की अन्य कमी, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 377.08 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2202-02-109-1395—छात्रावास—

मूल	2,813.48		
पुनर्वि.	(-)455.86	2,357.62	2,062.14
			(-)295.48

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 455.86 लाख की कमी के कारणों के साथ ही आंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 50—बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2053—जिला प्रशासन			
राजस्व	18,664	24,465	+5,801
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			5,985
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			

(i) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 58,00,654 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) ₹ 58.01 लाख की अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 59.85 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2053—093—2987—बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन—			
मूल	186.64		
पुनर्वि.	(-59.85)	126.79	244.65
			+117.86

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 59.85 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015—16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2075—विविध सामान्य सेवायें			
2250—अन्य सामाजिक सेवायें			
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	1,11,060	95,722	(-)15,338
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			15,087
पूंजीगत	30,000	28,159	(-)1,841
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			341
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			

(i) ₹ 153.38 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 150.87 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2250-800-2003—सिंधु दर्शन / कैलाश मनसरोवर यात्रा—			
मूल	130.00		
पुनर्वि.	(-)102.00	28.00	28.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2250-800-6292—शासकीय मंदिरों का पुनरोद्धार—			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00	0.00	0.00
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से ₹ 50.00 लाख का प्रत्याहरण जिलों से राशि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

पूंजीगत :

(iii) ₹ 18.41 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 3.41 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4250-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5805—मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों पर धर्मशालाओं आदि का निर्माण—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)3.41	296.59	281.59
			(-)15.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3.41 लाख की कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

**अनुदान संख्या 53—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत
नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता**

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
2853—लौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग			
4217—शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय			
राजस्व :			
मूल	2,68,700		
पूरक	64,799	3,33,499	1,41,570
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)1,91,929 1,81,833
पूंजीगत	3,41,940	1,41,940	(-)2,00,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			2,00,000
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अंत्यत कम था, नवम्बर 2016 (₹ 294.77 लाख) एवं मार्च 2017 (₹ 353.22 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 647.99 लाख का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,919.29 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 1,818.33 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रवृत्ति बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अर्न्तगत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217-05-789-192-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8543—भागीरथी नल जल योजना— मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)400.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 400.00 लाख का प्रत्याहरण शहरी निकायों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2217-05-789-193-1103—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7260—नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान— मूल	482.00		
पूरक	294.77		
पुनर्वि.	(-)583.97	192.80	192.80
			0.00

अनुदान संख्या 53—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 583.97 लाख की कमी कोषालय से देयकों के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2217-05-789-193-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8543-भागीरथी नल जल योजना— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)400.00	0.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 400.00 लाख का प्रत्याहरण शहरी निकायों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2853-02-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7611-गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय निकायों के लिए अंतरण— मूल 400.00 पूरक 353.22 पुनर्वि. (-)379.68	373.54	373.54	0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 379.68 लाख का प्रत्याहरण निधि का आहरण करने हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

पूँजीगत :

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4217-60-789-191-1103-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7241-नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 2,000.00 लाख का प्रत्याहरण कोषालय से देयकों की लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
राजस्व	13,27,700	9,58,175	(-)3,69,525
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			3,69,525
पूंजीगत	1,45,000	10,000	(-)1,35,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			1,35,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2415-01-120-9182—इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान—			
मूल	11,500.00		
पुनर्वि.	(-)2,875.00	8,625.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,875.00 लाख की कमी राज्य सरकार से राशि की चतुर्थ किश्त प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2415-01-120-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8902—मेनपाट में आलू

अनुसंधान केन्द्र—

मूल
 200.00 | | |

पुनर्वि.
 (-)150.00 | 50.00 | 0.00 |

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.00 लाख की कमी राज्य सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2415-01-120-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

9182—इंदिरा गांधी कृषि

विश्वविद्यालय—

मूल
 1,577.00 | | |

पुनर्वि.
 (-)670.25 | 906.75 | 0.00 |

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 670.25 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा खर्च के अनुसार राशि मुक्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005-06 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 54—समाप्त

पूँजीगत :

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4415-01-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9182-इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान-			
मूल	1,450.00		
पुनर्वि.	(-),1,350.00	100.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,350.00 लाख की कमी राज्य सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
2236—पोषण			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	94,37,659		
पूरक	2,05,500	96,43,159	64,55,920
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)31,87,239 32,43,953
प्रभारित	10	227	+217
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			10
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	6,24,350		
पूरक	807	625,157	4,86,669
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)1,38,448 1,52,261

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 1,323.00 लाख) एवं नवम्बर 2016 (₹ 732.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 2,055.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 31,872.39 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 32,439.53 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-02-001-9041-महिला एवं बाल कल्याण संचनालय—			
मूल	1,140.25		
पुनर्वि.	(-)518.21	622.04	620.07
			(-)1.97

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 518.21 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

5354-एकीकृत सेवा योजना
(विदेशी सहायता योजनान्तर्गत)—

मूल	1,816.32
पूरक	सांकेतिक
पुनर्वि.	(-)1,150.07

666.25

667.96

+1.71

अनुदान संख्या 55—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,150.07 लाख की कमी एस.एन.आई.पी. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत की गई प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7361-सबला योजना-			
मूल	334.40		
पुनर्वि.	(-)100.29	234.11	0.00
(4) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7423-इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना-			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)3,000.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 100.29 लाख, ₹ 3,000.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7507-राज्य महिला सशक्तीकरण प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य महिला आयोग की स्थापना-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)90.87	9.13	0.00
(6) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 9042-एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम के अन्तर्गत बाल गृह-			
मूल	1,248.81		
पुनर्वि.	(-)523.96	724.85	(-)2.17
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 90.87 लाख एवं ₹ 523.96 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 9044-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना-			
मूल	29,052.54		
पुनर्वि.	(-)10,018.67	19,033.87	+362.60
(8) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 9130-एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पर्यवेक्षण-			
मूल	675.32		
पुनर्वि.	(-)288.99	386.33	+0.05
(9) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 9131-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण-			
मूल	1,167.50		
पुनर्वि.	(-)773.34	394.16	0.00

अनुदान संख्या 55—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 10,018.67 लाख, ₹ 288.99 लाख एवं ₹ 773.34 लाख की कमी के कारणों के साथ ही क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 से 2015-16 एवं क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2003-04 से 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9949—एकीकृत बाल संरक्षण योजना— मूल 6,167.00 पुनर्वि. (-)4,848.14	1,318.86	1,318.16	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,848.14 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(11) 2235-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6908—कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को मानदेय— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)970.96	4,029.04	4,140.48	+111.44
(12) 2235-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7680—आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक का विकास— मूल 2,265.00 पुनर्वि. (-)794.78	1,470.22	1,471.78	+1.56
उपरोक्त क्रम संख्या (11) से (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 970.76 लाख एवं ₹ 794.78 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(13) 2235-02-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7754—स्वाधार योजना— पूरक 174.00 पुनर्वि. (-)144.93	29.07	29.07	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 144.93 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(14) 2235-02-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8626—अनैतिक देह व्यापार एवं यौन शोषण की रोकथाम हेतु कार्यक्रम— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)197.69	2.31	2.31	0.00
(15) 2235-02-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8809—घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (नवा विहान)— मूल 392.51 पुनर्वि. (-)215.39	177.12	186.40	+9.28
उपरोक्त क्रम संख्या (14) एवं (15) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 197.69 लाख एवं ₹ 215.39 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8957-नोनी सुरक्षा योजना- मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)1,900.00	1,100.00	0.00	(-)1,100.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 72.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,828.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,900.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। दोनों कमियों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(17) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8976-कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कार्यक्रम- मूल 130.07 पुनर्वि. (-)110.77	19.30	19.30	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.77 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2236-02-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7361-सबला योजना- मूल 7,320.00 पूरक 732.00 पुनर्वि. (-)299.34	7,752.66	7,754.72	+2.06
(19) 2236-02-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना- मूल 22,450.00 पुनर्वि. (-)2,440.81	20,009.19	20,005.36	(-)3.83
उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 299.34 लाख एवं ₹ 2,240.81 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2007-08 से 2015-16 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(20) 2236-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6904-पोषक तत्वों की निगरानी योजना- मूल 110.00 पुनर्वि. (-)81.93	28.07	29.40	+1.33
प्रावधान से ₹ 81.93 लाख की कमी स्वीकृति अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(21) 2236-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7747-महतारी जतन योजना- मूल 1,250.00 पूरक 705.00 पुनर्वि. (-)795.28	1,159.72	1,159.64	(-)0.08
(22) 2236-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7765-मुख्यमंत्री अमृत योजना- मूल 1,250.00 पूरक 490.00 पुनर्वि. (-)1,139.49	600.51	600.51	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (21) एवं (22) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 795.28 लाख एवं ₹ 1,139.49 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(23) 2236-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8660—मुपत नमक आपूर्ति योजना— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)700.00	0.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा संपूर्ण प्रावधान ₹ 700.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(24) 2236-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 2,290.00 पूरक 113.00 पुनर्वि. (-)748.53	1,654.47	1,665.65	+11.18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 748.53 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2007-08 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(v) उपरोक्त टिप्पणी (iv) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-02-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5645— मुख्यमंत्री कन्यादान योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)14.74	485.26	869.19	+383.93

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 14.74 लाख की कमी जिलों द्वारा राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(2) 2235-02-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5645—मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	0.00	718.92	+718.92
---------------------------------------------------------------------------------	------	--------	---------

बजट में प्रावधान नहीं होने पर भी व्यय हुआ (जुलाई 2017)।

प्रभारित—

(vi) प्रभारित विनियोग पर हुए ₹ 2,17,075.00 लाख के आधिक्य व्यय का नियमतीकरण की आवश्यकता है।

(vii) दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 217.07 लाख के आधिक्य के विरुद्ध 0.10 लाख का समर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण रहा। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(viii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 8.07 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,384.88 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 1,522.61 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 55—समाप्त

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4235-02-102-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 5664-कार्यालय संसाधन केन्द्र के लिए निर्माण कार्य- मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)389.95	2,110.05	2,206.80	+96.75
(2) 4235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 337-आंगनवाड़ियों का सुधार एवं निर्माण- मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)731.00	2,269.00	2,269.00	0.00
(3) 4235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) - 7764-किशोर न्यायिक के तहत इमारत का निर्माण- मूल 388.00 पुनर्वि. (-)142.36	245.64	245.64	0.00
(4) 4235-02-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7754-स्वाधार योजना- मूल 199.50 पुनर्वि. (-)199.50	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 389.95 लाख, ₹ 731.00 लाख एवं ₹ 142.36 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 199.50 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 56—ग्रामोद्योग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	9,08,558		
पूरक	500	9,09,058	7,66,043
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)1,43,015 1,37,812
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	<i>00</i>	<i>(-)10</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			<i>10</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत	30,311	29,561	(-)750
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			149
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:
दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा। जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया (₹ 500.00 लाख) अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,430.15 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 1,378.12 लाख की राशि अभ्यर्पित हुई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2851-103-931-केन्द्रीय कार्यालय—			
मूल	470.65		
पुनर्वि.	(-)83.80	386.85	358.55
			(-)28.30

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 83.80 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2017)। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2851-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

7762-हाथकरघा बुनकर वर्कशेड

हेतु सहायता—

मूल
 60.00 | | |

पुनर्वि.
 (-)60.00 | 0.00 | 0.00 |

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 60.00 लाख का प्रत्याहरण नीति नियमों की स्वीकृति न होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 56—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2851-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8655—माटीकला बोर्ड की स्थापना— मूल 301.90 पुनर्वि. (-)123.54	178.36	178.36	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 123.54 लाख की कमी, आबंटित राशि विमुक्ति हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2851-107-3778—रेशमकीट पालन कार्यान्वयन— मूल 4,482.64 पुनर्वि. (-)1,011.08	3,471.56	3,466.11	(-)5.45
-------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 1,011.08 लाख की कमी में से ₹ 945.07 लाख की कमी वेतन शीर्ष में व्यय होने व जिलों से राशि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 66.01 लाख की अन्य कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2851-107-5146—टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम— मूल 1,428.25 पुनर्वि. (-)73.62	1,354.63	1,359.82	+5.19
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 73.62 लाख की कमी में से ₹ 8.89 लाख की कमी श्रमिक उपलब्ध नहीं होने एवं बीज की खरीद नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 64.73 लाख की अन्य कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4851-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5580—रिवाल्विंग फंड	15.00	9.00	(-)6.00

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 57—जल संसाधन विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

	(सभी दत्तमत)		आधिक्य+ बचत(-)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत	10,000	00	(-)10,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			10,000
टीका एवं टिप्पणियां			
पूंजीगत :			
दत्तमत			

(i) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4701—80—002—1201—विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7786—केंद्रीय जल विज्ञान परियोजना चरण II-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान में 100.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से मांग की प्राप्ति विलंबित होने एवं खर्च के दिशा निर्देशों के अभाव के कारण उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
6245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज			
राजस्व:			
मूल	60,22,361		
पूरक	28,33,851	88,56,212	80,36,820
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)8,19,392 10,37,269
पूंजीगत	2,000	00	(-)2,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			2,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) ₹ 8,193.92 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 10,372.69 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2245-01-800-1467-जिला एवं अन्य सड़कें—			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,000.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,943.57 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण एवं समर्पण द्वारा ₹ 56.43 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 2,000.00 लाख का प्रत्याहरण उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 2245-01-800-2389-निर्माण कार्य—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00
(3) 2245-01-800-3819-लघु सिंचाई (कृषि)—			
मूल	1,100.00		
पुनर्वि.	(-)1,100.00	0.00	0.00
(4) 2245-02-101-747-ओला पीड़ितों को राहत—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00	0.00	0.00
(5) 2245-02-102-2661-पेय जल प्रदाय—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 58—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (5) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 500.00 लाख, ₹ 1,100.00 लाख, ₹ 1,000.00 लाख एवं ₹ 300.00 लाख के प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है। 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत एवं 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 2245-02-106-1467-जिला एवं अन्य सड़कें— मूल 4,400.00 पुनर्वि. (-)2,777.93	1,622.07	1,913.92	+291.85

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,864.98 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 912.95 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,777.93 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2245-02-107-7349-मरम्मत— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------	------	------	------

(8) 2245-02-108-7349-मरम्मत— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------	------	------	------

(9) 2245-02-109-7349-मरम्मत— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------	------	------	------

उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः प्रति ₹ 100.00 लाख के प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2245-02-110-2018-नगद दान— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)399.64	200.06	44.01	(-)156.05
--------------------------------------------------------------------	--------	-------	-----------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 199.64 लाख की अन्य कमी जिलाधिकारी द्वारा निधि का उपयोग नहीं किये जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 399.64 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(11) 2245-02-111-7352-शोकाकुल परिवारों को सहायक अनुदान— मूल 2,300.00 पुनर्वि. (-)193.41	2,106.59	2,098.70	(-)7.89
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा ₹ 755.80 लाख की कमी जिला कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 562.39 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 193.41 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2245-02-112-5607-बाढ़ नियंत्रण— मूल 1,700.00 पुनर्वि. (-)1,536.93	163.07	121.48	(-)41.59
------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	----------

अनुदान संख्या 58—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 1,536.93 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 2245-02-112-7357—बाढ़ आदि में सहायता—			
मूल	110.00		
पुनर्वि.	(-)110.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा ₹ 10.00 लाख की कमी जिला कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 110.00 लाख का प्रत्याहरण उल्लिखित किया गया है। कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 2245-02-113-7357—बाढ़ आदि में सहायता—			
मूल	1,400.00		
पुनर्वि.	(-)244.46	1,155.54	1,154.54
			(-)1.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 325.04 लाख की कमी, जिला कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 80.58 लाख की अन्य कमी, जिला कलेक्टरों को सहायता अनुदान प्रदान किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 244.46 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 2245-02-117-7357—बाढ़ आदि में सहायता—			
मूल	1,100.00		
पुनर्वि.	(-)416.53	683.47	625.40
			(-)58.07

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 416.53 लाख की कमी जिला कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 2245-02-122-989—क्षतिग्रस्त सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों की मरम्मत और उसकी पुनः स्थापना—			
मूल	4,452.00		
पुनर्वि.	(-)4,049.38	402.62	332.34
			(-)70.28

समर्पण द्वारा ₹ 154.35 लाख की कमी, जिला कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,895.03 लाख की अन्य कमी, जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,049.38 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(17) 2245-05-101-7427—राज्य आपदा मोचन निधि—			
मूल	25,300.00		
पुनर्वि.	(-)600.00	24,700.00	24,700.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 600.00 लाख की कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 2245-80-001-0801—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7770—योजना कार्यान्वयन एवं आपदा विश्लेषण— पूरक 112.00 पुनर्वि. (-)94.77	17.23	18.58	+1.35

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 94.77 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(19) 2245-80-800-2018—नगद दान— मूल 1,614.00 पुनर्वि. (-)349.28	1,264.72	1,289.33	+24.61
----------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 349.28 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(20) 2245-80-800-747—ओलापीड़ितों को राहत निधि— मूल 10,000.00 पुनर्वि. (-)831.86	168.14	621.99	+453.85
------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 152.59 लाख की वृद्धि जिलाधीशों को सहायता अनुदान प्रदान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 984.45 लाख की कमी जिलाधिकारियों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 831.86 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2245-01-101-2018—नगद दान— मूल 800.00 पुनर्वि. 21.34	821.34	1,580.71	+759.37

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21.34 लाख का आवर्धन जिलाधिकारियों को सहायता अनुदान प्रदान किये जाने के कारण उल्लिखित किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2245-01-101-7710—फसल क्षति पीड़ितों को राहत— पूरक 100.00 पुनर्वि. 3,434.03	3,534.03	3,554.27	+20.24
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,975.00 लाख की वृद्धि जिलों के सूखाग्रस्त किसानों को सहायता अनुदान दिए जाने एवं समर्पण द्वारा से ₹ 3,540.97 लाख की कमी जिलाधिकारियों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,434.03 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(3) 2245-02-114-7357—बाढ़ पीड़ितों को सहायता अनुदान— मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)10.78	1,089.22	1,196.13	+106.91
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा ₹ 691.30 की लाख की कमी जिला कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 680.52 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 10.78 लाख की कमी उल्लिखित की गयी है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2245-80-800-7408—राज्य आपदा प्रबंधन के तहत कार्य कुशलता वृद्धि— मूल 0.30 पूरक 0.01 पुनर्वि. 2,626.55	2,626.86	2,626.87	+0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,171.24 लाख की वृद्धि नवीन अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना एवं फर्नीचर का क्रय किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 544.69 की लाख की कमी जिला कलेक्टरों एवं होमगार्डों द्वारा राशि का उपयोग नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,626.55 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(5) 2245-80-800-7729—इलेक्ट्रिकल, खनन एवं बाढ़ आपदाएं— मूल 1,680.00 पुनर्वि. 682.37	2,362.37	2,595.91	+233.54
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 682.37 लाख का आवर्धन जिलाधिकारियों को सहायता अनुदान प्रदान किये जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(6) 2245-80-800-96—अग्नि पीड़ितों को राहत— मूल 1,050.00 पुनर्वि. 160.57	1,210.57	1,906.57	+696.00
----------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 438.24 लाख का आवर्धन जिलाधिकारियों को सहायता अनुदान प्रदान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 277.67 की लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 160.57 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(v) अकाल राहत निधि—

यह निधि बाढ़ अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए समेकित निधि से राशि अंतरित कर निर्मित की गई है। निधि में किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज भी इस निधि लेखा में जमा किया जाता है।

1 अप्रैल 2016 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 769.49 लाख (जमा) था। वर्ष के दौरान (-) ₹ 8.05 लाख जमा की गई एवं भारत सरकार की प्रतिभूतियों में वर्ष के दौरान कोई राशि निवेश नहीं की गयी। 31 मार्च 2017 को निधि का अंत शेष ₹ 777.54 लाख (जमा) था।

निधि लेखा का 31 मार्च 2017 को अंतिम शेष निम्नानुसार है :-

विवरण		01 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2017 को अंतशेष
		₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में
8223	अकाल				
	101 निधि लेखा	360.72 (जमा)	0.00	0.00	368.77 (जमा)
	102 निवेश लेखा	408.77 (जमा)	0.00	0.00	408.77 (जमा)
	योग	769.49 (जमा)	0.00	0.00	777.54 (जमा)

निधि के लेन देनों का लेखा राज्य वित्त लेखे वर्ष 2016-17 के आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण क्रम संख्या-21 में सम्मिलित किया गया है।

(vi) राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) :-

आपदा प्रबंधन विधेयक 2005 के खण्ड 48 (1) (क) राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) का गठन करने की स्वीकृति देती है। 'आपदा प्रबंधन विधेयक-2005 के खंड 48 (1) (क) के उपबंधों में भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन विभाग) के पत्र क्रम संख्या 33-5/2015-एन.डी.एम-1 दिनांक 30 जुलाई 2015 के अनुसार 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा को स्वीकार किया गया है चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सूनामी, ओला वृष्टि, भू-स्खलन, हिम स्खलन, बादल फटना तथा कीटों के आक्रमण आदि से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि का उपयोग किया जावेगा।

अनुदान संख्या 58—समाप्त

राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 2015—16 से 2019—20 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की राशि को 14 वें वित्तीय आयोग की अनुशंसानुसार निर्धारित किया जावेगा। राज्य आपदा मोचन निधि की कुल राशि में 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा जबकि 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

वर्ष 2016—17 के लिए कुल प्रावधानित राशि ₹ 25,300.00 लाख में से केन्द्रांश ₹ 18,975.00 लाख एवं राज्यांश ₹ 6,325.00 लाख था।

केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान प्राथमिक अवस्था में लेखा शीर्ष "1601—भारत सरकार से सहायक अनुदान—01—आयोजनेत्तर अनुदान—109—राज्य आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान" के अंतर्गत जमा होता था। भारत सरकार के अंशदान सहित सम्पूर्ण अंशदान लेखा शीर्ष "8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—122—राज्य आपदा मोचन निधि" में अंतरण, अनुदान संख्या 58 के लेखा शीर्ष "2245—दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत—05—राज्य आपदा मोचन निधि—101—आरक्षित निधि में अंतरण" में इस बावत प्रावधान करने के बाद किया गया है। मोचन सहायता पर व्यय आरंभ में इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामें किया जाता है, तथा वर्षके लेखा बंदी से पूर्व समान मात्रा की राशि अंतरित कर "2245—दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत 05—राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरण 901—राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पुर्नप्राप्तियां में समायोजित किया जाता है।

1 अप्रैल 2016 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 36,980.05 लाख (जमा) था। वित्तीय वर्ष 2016—17 के दौरान लेखा शीर्ष "8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—122—राज्य आपदा मोचन निधि" में ₹ 56,651.40 लाख जमा किया गया। लेखा शीर्ष "2245—05—101—7427 को नामें किया गया है। ₹ 24,311.11 का व्यय राष्ट्रीय आपदा निधि में किया गया जिसे इस निधि में नामें किया गया। 31 मार्च 2017 को निधि का अंत शेष ₹ 69,320.34 लाख (जमा) था। वर्ष के दौरान निधि में कोई भी निवेश एवं ब्याज जमा नहीं किया गया।

निधि में हुई अभिवृद्धि का पूंजी निवेश भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियां नीलाम किए गए खजाना बिल एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा प्रमाण पत्र में निवेश करना चाहिए। यदि निधि का निवेश संभव न हो तो, इस पर राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिविकर्षण विनिमय योजना के अन्तर्गत लागू ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज अर्ध वार्षिक आधार पर मुख्य शीर्ष "2049—ब्याज आदयी"—05— आरक्षित निधियों पर ब्याज—105—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज को नामें किया जाता है।

आपदा प्रबंधन में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) के गठन को अधिसूचित किया। जब भी राज्य सरकार एस.डी.आर.एफ. में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) से अतिरिक्त अनुदान द्वारा पूर्ति की जाती है तब ऐसी निधि को अन्तरण एवं लेखांकन प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु एस.डी.आर.एफ.निधि के रूप में माना जाता है।

भारत सरकार द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रकृति आपदा को गम्भीर प्रकृति के रूप में माना है एवं राज्य सरकार द्वारा उसके स्वयं राज्य आपदा मोचन निधि में उपलब्ध शेष से अधिक व्यय की जरूरत है, तो एन.डी.आर.एफ. से तत्काल राहत सहायता हेतु पात्र होगा।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) से राशि ₹ 31,338.50 लाख की राशि विमुक्त की है एवं राज्य शासन का पत्र क्रमांक 235/वित्त/B-/2015 दिनांक 19.05.2016 द्वारा इसके जमा हेतु स्वीकृति जारी की है।

निधि के लेन देनों का लेखा वित्त लेखे वर्ष 2016—17 के आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण क्रम संख्या—21 में दर्शाया गया है।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(vii) ₹ 20.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान अभ्यर्पित किया गया। 2011—12 से 2015—16 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

**अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3451—सचिवालय आर्थिक सेवाएं			
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	7,400	3,100	(-)4,300
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			4,300
पूंजीगत	5,20,000	5,14,838	(-)5,162
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			5,162
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
3451—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7282—जिला योजना का सुदृढीकरण— मूल 74.00 पुनर्वि. (-)43.00	31.00	31.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 43.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

पूंजीगत :

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4515—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7493—विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना— मूल 5,200.00 पुनर्वि. (-)51.62	5,148.38	5,148.38	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 51.62 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 64—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

मुख्य शीर्ष—

- 2014—न्याय प्रशासन
 2055—पुलिस
 2202—सामान्य शिक्षा
 2203—तकनीकी शिक्षा
 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2211—परिवार कल्याण
 2215—जलपूर्ति और सफाई
 2216—आवास
 2217—शहरी विकास
 2225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
 तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
 2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास
 2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
 2236—पोषण
 2401—फसल कृषि—कर्म
 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
 2403—पशु—पालन
 2405—मछली—पालन
 2406—वानिकी और वन्य प्राणी
 2408—खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार
 2415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा
 2425—सहकारिता
 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
 2505—ग्रामीण रोजगार
 2702—लघु सिंचाई
 2801—बिजली
 2810—नवीन तथा अक्षय उर्जा
 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
 2852—उद्योग
 3275—अन्य दूरसंचार सेवायें
 4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4215—जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा
 अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
 4401—फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय
 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4801—उर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय
 4810—नवीन तथा अक्षय उर्जा पर पूंजीगत परिव्यय
 4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
 5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
 6215—जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज
 6401—कृषि कार्य के लिए कर्ज
 6408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज

अनुदान संख्या 64—जारी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	3,05,56,233		
पूरक	45,10,641	3,50,66,874	2,71,23,140
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)79,43,734 60,30,288
प्रभारित	10	00	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			10
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	1,24,90,410		
पूरक	7,55,417	1,32,45,827	83,20,645
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)49,25,182 50,49,734
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 10,550.93 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 3,568.87 लाख) एवं मार्च 2017 (₹ 30,986.61 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 45,106.41 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 79,437.34 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया केवल ₹ 60,302.88 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014-789-103-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना-			
मूल	666.60		
पूरक	12.00		
पुनर्वि.	(-)345.12	333.48	332.71
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 345.12 लाख की कमी वाहनों के क्रय में कम व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			(-)1.31
(2) 2014-789-109-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5172-नये पोलीस स्टेशनों की स्थापना	762.55	599.26	(-)163.29
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-01-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 495—आश्रम और शालाएं— मूल 1,467.12 पुनर्वि. (-)606.51	860.61	847.74	(-)12.87
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 606.51 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से राशि की मांग प्राप्त नहीं होने, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश अनुसार वेतन शीर्ष में आवंटित राशि अप्रयुक्त रहने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(4) 2202-01-789-108-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5904—निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय— मूल 3,100.00 पुनर्वि. (-)949.55	2,150.45	450.45	(-)1,700.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 949.55 लाख की कमी अनुमानित बजट से लाभार्थियों की संख्या कम रहने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2202-01-789-111-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5396—सर्व शिक्षा अभियान— मूल 26,400.00 पूरक 3,600.00 पुनर्वि. (-)6,521.95	23,478.05	23,478.05	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,521.95 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा चलाई गई वार्षिक कार्य योजना अनुसार राशि प्राप्त न होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2202-01-789-112-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 3,046.00 पुनर्वि. (-)677.48	2,368.52	2,363.80	(-)4.72
(7) 2202-01-789-112-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 2,276.00 पुनर्वि. (-)295.64	1,980.36	1,980.36	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 677.48 लाख एवं ₹ 295.64 लाख की कमी अनुमानित बजट से लाभार्थियों की संख्या कम रहने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2202-02-789-109-0803—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8050—छात्रवृत्तियां— मूल 6,200.00 पूरक 15.42 पुनर्वि. (-)2,561.34	3,654.08	3,189.50	(-)464.58
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,561.34 लाख की कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2202-02-789-109-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान— मूल 17,400.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)4,638.81	12,761.39	12,761.39	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,638.81 लाख की कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने तथा समय सीमा में कार्य के प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1395—छात्रावास— मूल 4,489.75 पुनर्वि. (-)987.16	3,502.59	3,487.11	(-)15.48
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 987.16 लाख की कमी कोषालय से निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित हुई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017) का निवल प्रभाव था। 2010-11 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(11) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3673—राज्य छात्रवृत्तियां— मूल 7,420.00 पूरक 1,000.00 पुनर्वि. (-)2,520.82	5,899.18	5,599.18	(-)300.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,520.82 लाख की कमी वेब पोर्टल प्रवेश अनुसार ऑनलाइन भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5551—हाईस्कूल छात्राओं को साइकिल वितरण योजना— मूल 1,200.00 पूरक 1,400.00 पुनर्वि. (-)473.35	2,126.65	2,109.66	(-)16.99
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 473.35 लाख की कमी अनुमानित बजट से लाभार्थियों की संख्या कम रहने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7367—मॉडल स्कूल योजना— पूरक 400.00 पुनर्वि. (-)137.80	262.20	262.20	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 137.80 लाख की कमी स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदस्थापित कर्मचारियों के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(14) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 979—खेल संकूल— मूल 124.90 पुनर्वि. (-)95.21	26.69	29.67	(-)0.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 95.21 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं नवीन संस्थान की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(15) 2202-03-789-001-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8971—राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान— मूल 1,332.00 पुनर्वि. (-)1,332.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,332.00 लाख का प्रत्याहरण केन्द्रांश विमुक्त नहीं किए जाने कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2202-03-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 798—कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय— मूल 3,267.45 पूरक 200.00 पुनर्वि. (-)710.16	2,757.29	2,719.83	(-)37.47
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 710.16 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार भुगतान करने एवं जिलों से राशि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(17) 2210-01-789-110-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6967—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय बिलासपुर— मूल 3,787.10 पुनर्वि. (-)1,144.03	2,643.07	2,659.35	+16.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,144.03 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2210-01-789-200-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6960—राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)446.46	2,553.54	2,553.54	0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 446.46 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(19) 2210-02-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8951—आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय, बिलासपुर	424.90	277.95	(-)146.95

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 2210-03-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1228—ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र एवं औषधालय— मूल 633.05 पुनर्वि. (-)327.40	305.65	312.22	+6.57
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	-------

(21) 2210-03-789-197-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 1,740.50 पुनर्वि. (-)240.04	1,500.46	1,395.65	(-)104.81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-----------

उपरोक्त क्रम संख्या (20) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 327.40 लाख एवं ₹ 240.04 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गये हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (21) के शीर्षान्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (20) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 से 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(22) 2210-03-789-198-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं)— मूल 4,777.14 पुनर्वि. (-)2,450.62	2,326.52	2,457.81	+131.29
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 345.50 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,105.12 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,450.62 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(23) 2210-05-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8952—आयुर्वेदिक महाविद्यालय बिलासपुर	669.40	320.70	(-)348.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	-----------

अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(24) 2210-05-789-105-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6968—चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर— मूल 4,852.20 पुनर्वि. (-)1,061.42	3,790.78	3,764.53	(-)26.25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(25) 2210-06-789-003-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2216- नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण— मूल 282.30 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)97.93	184.37	184.37	0.00
(26) 2211-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 621-उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 2,428.05 पुनर्वि. (-)1,259.57	1,168.48	1,209.79	+41.31
उपरोक्त क्रम संख्या (24) से (26) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,061.42 लाख, ₹ 97.93 लाख एवं ₹ 1,259.57 लाख की कमी के साथ ही क्रम संख्या (24) एवं (26) के शीर्षान्तर्गत बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (24) एवं (26) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(27) 2215-01-789-192-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6860-चम्पा जल आपूर्ति योजना मूल 517.30 पुनर्वि. (-)209.83	517.30	307.47	(-)209.83
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 2215-01-789-193-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8908-नवीन शहरी पेयजल योजना— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)250.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 250.00 लाख का प्रत्याहरण योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित हुई है।			
(29) 2216-03-789-105-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6549-इंदिरा आवास योजना— मूल 7,200.00 पुनर्वि. (-)5,490.48	1,709.52	1,709.52	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,490.48 लाख की कमी इंदिरा आवास योजना के बजाए प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(30) 2216-03-789-105-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7807-प्रधानमंत्री आवास योजना— मूल 18,105.28 पुनर्वि. (-)2,366.43	15,738.85	15,738.85	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,490.48 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 7,856.91 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,366.43 लाख की कमी उल्लिखित की गयी है। वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गये हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(31) 2217-80-789-191-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7610-स्वच्छ भारत अभियान- मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)212.00	887.80	887.80	0.00
(32) 2217-80-789-192-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7610-स्वच्छ भारत अभियान- मूल 1,400.00 पुनर्वि. (-)405.30	994.70	994.70	0.00
(33) 2217-80-789-192-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7709-सबके लिए आवास योजना- मूल 1,300.00 पुनर्वि. (-)832.24	467.76	467.76	0.00
(34) 2217-80-789-193-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7610-स्वच्छ भारत अभियान- मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)800.06	699.94	699.94	0.00
(35) 2217-80-789-193-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7609-सबके लिए आवास योजना- मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)910.34	289.66	289.66	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (31) से (35) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 212.00 लाख, ₹ 405.30 लाख, ₹ 832.24 लाख, ₹ 800.06 लाख एवं ₹ 910.34 लाख की कमी योजना के अंतर्गत भारत सरकार से केन्द्रांश के अनुपात में राज्यांश का आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(36) 2225-01-789-102-0603-अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित - 7626-विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम- मूल 1,990.00 पूरक 266.80 पुनर्वि. (-)1,614.38	642.42	902.14	+259.72
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,614.38 लाख की कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(37) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7627-व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनाएं- मूल 525.00 पुनर्वि. (-)189.33	335.67	309.76	(-)25.91

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 189.33 लाख की कमी जिलों से कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(38) 2230-03-789-003-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 292.60 पुनर्वि. (-)111.34	181.26	180.55	(-)0.71
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 111.34 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

(39) 2235-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 79-दृष्टिबधित, मूकबधिरों के लिए स्कूल और संस्थान	203.11	80.40	(-)122.71
अत्यधिक राशि की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

(40) 2235-02-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5354-एकीकृत सेवायें योजना (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)— मूल 345.20 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)174.31	170.89	170.89	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 174.81 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं होने एवं भारत सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा संचालित एस.एन.आई.पी. परियोजना का निष्पादन हेतु गतिविधियों को पूर्ण करने में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(41) 2235-02-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7423-इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,000.00 लाख के प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(42) 2235-02-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 9044-एकीकृत बाल विकास योजना— मूल 6,850.38 पुनर्वि. (-)2,077.87	4,772.51	4,761.91	(-)10.60
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,077.87 लाख की कमी भारत सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा संचालित एस.एन.आई.पी. परियोजना का निष्पादन हेतु गतिविधियों को पूर्ण करने में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(43) 2235-02-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6908-कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय— मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)90.02	1,009.98	1,006.94	(-)3.04
(44) 2235-02-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7680-आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक— मूल 543.60 पुनर्वि. (-)202.12	341.48	341.48	0.00
(45) 2235-02-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8957-नौनी सुरक्षा योजना— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)565.93	434.07	1.65	(-)432.41
(46) 2236-02-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 2179-अनुसूचित जाति के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम— मूल 5,400.00 पुनर्वि. (-)375.13	5,024.87	5,024.87	0.00
(47) 2236-02-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7361-सबला योजना— मूल 1,800.00 पूरक 180.00 पुनर्वि. (-)163.25	1,816.75	1,816.75	0.00
(48) 2236-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7747-महतारी जतन योजना— मूल 300.00 पूरक 169.00 पुनर्वि. (-)206.67	262.33	261.56	(-)0.77
(49) 2236-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7765-मुख्यमंत्री अमृत योजना— मूल 300.00 पूरक 118.00 पुनर्वि. (-)315.45	102.55	102.56	+0.01

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(50) 2236-02-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 567.60 पूरक 27.00 पुनर्वि. (-)290.49	304.11	303.86	(-)0.25

उपरोक्त क्रम संख्या (43) से (50) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 90.02 लाख, ₹ 202.12 लाख, ₹ 565.93 लाख, ₹ 375.13 लाख, ₹ 163.25 लाख, ₹ 206.67 लाख, ₹ 315.45 लाख एवं ₹ 290.49 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (45) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (46) एवं (47) के शीर्षान्तर्गत 2009-10 से 2015-16 के दौरान निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है। क्रम संख्या (43) एवं (45) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 तथा क्रम संख्या (44) एवं (50) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(51) 2401-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना) 7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान— मूल 1,620.00 पुनर्वि. (-)588.00	1,032.00	1,032.00	0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 325.98 लाख की कमी केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त निधि अनुसार व्यय होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 262.02 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 588.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(52) 2401-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6820—कृषक समग्र विकास योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)90.73	409.27	412.23	+2.96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.73 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(53) 2401-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7741—सूखा ग्रसित किसानों को बीज वितरण— मूल 1,800.00 पुनर्वि. (-)700.36	1,099.64	1,099.64	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 700.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.36 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 700.36 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। दोनों कमियों के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(54) 2401-789-105-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8900—बायो कृषि मिशन— मूल 246.07 पुनर्वि. (-)147.36	98.71	98.71	0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 147.36 लाख की कमी कृषि एवं जैव तकनीकी विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा परामर्श प्रलेखन को जैविक प्रमाणन संस्थान से संबंधन करने के लिए राशि विमुक्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(55) 2401-789-108-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 2,160.00 पुनर्वि. (-)1,435.16	724.84	747.21	+22.37
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,435.16 लाख की कमी राज्य स्तरीय समिति द्वारा कम राशि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(56) 2401-789-108-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7266—सूखाग्रसित क्षेत्रों के लिए विकास योजना— मूल 252.00 पुनर्वि. (-)160.73	91.27	91.27	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 160.73 लाख की कमी केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त निधि अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(57) 2401-789-108-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8942—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— (हरित क्रांति)— मूल 2,400.00 पुनर्वि. (-)686.72	1,713.28	1,693.31	(-)19.96
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 589.62 लाख की कमी केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त निधि अनुसार व्यय होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 97.10 लाख की अन्य कमी, जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017) के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 686.72 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(58) 2401-789-109-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7269—एन.एम.ए.ई.टी.सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— मूल 420.00 पुनर्वि. (-)119.56	300.44	300.44	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 96.02 लाख की कमी केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त निधि अनुसार व्यय होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23.54 लाख की अन्य कमी, जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017) के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 119.56 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(59) 2401-789-119-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 1,140.00 पुनर्वि. (-)767.36	372.64	370.94	(-)1.70

अनुदान संख्या 64-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 758.95 लाख की कमी जिलों द्वारा राशि आहरित नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8.41 लाख की अन्य कमी, जिसके पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017) के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 767.95 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(60) 2401-789-119-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7705-एकीकृत बागबानी विकास योजना-			
मूल	1,736.80		
पुनर्वि.	(-)452.17	1,284.63	1,284.63
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 452.17 लाख की कमी जिलों द्वारा राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(61) 2403-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5620-जन्तु रोग नियंत्रण-			
मूल	160.00		
पुनर्वि.	(-)82.15	74.85	72.56
			2.29
(62) 2403-789-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7621-नेशनल लाइव स्टॉक मिशन-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)110.21	139.79	139.79
			0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (61) एवं (62) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण क्रमशः ₹ 85.15 लाख एवं ₹ 110.21 लाख की कमी केन्द्रांश जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(63) 2406-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2962-अवनत वनों का विकास-			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)504.31	2,495.69	2,314.75
			(-)180.94
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 504.31 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(64) 2406-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2533-हरियाली प्रसार योजना	2,280.00	803.07	(-)1,476.93
(65) 2406-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6724-बम्बू वनों का पुनः उत्थान-			
मूल	1,050.00		
पुनर्वि.	(-)26.29	1,023.71	956.44
			(-)67.27
(66) 2406-04-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7261-राष्ट्रीय वानिकी योजना	1,801.00	602.33	(-)1,198.67
(67) 2408-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5456-अन्त्योदय अन्न योजना	550.00	393.83	(-)156.17

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(68) 2408-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6839-मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	45,900.00	30,977.96	(-)14,922.04
(69) 2408-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9993-रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान	912.00	781.74	(-)130.26

उपरोक्त क्रम संख्या (64) से (69) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (64) एवं (65) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं क्रम संख्या (67) से (69) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(70) 2415-80-789-120-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9182-इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय अनुदान— मूल 723.00 पुनर्वि. (-)93.75	629.25	629.25	0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 93.75 लाख की कमी कोषालय से राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(71) 2505-60-789-196-0703-केन्द्र प्रवर्तितयोजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना— मूल 33,000.00 पुनर्वि. (-)5,551.53	27,448.47	27,466.47	+18.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,551.53 लाख की कमी केन्द्र सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(72) 2801-80-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7758-यू.डी.ए.वाए. के तहत छत्तीसगढ़ राज्य बिजली आपूर्ति को अनुदान— मूल 5,220.72 पुनर्वि. (-)5,220.72	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 5,220.70 लाख का प्रत्याहरण पिछले वर्ष में इस शीर्षान्तर्गत जारी राशि के आधार पर ऋणपत्रक वितरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-02-789-109-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5904-किताबों की आपूर्ति— मूल 1,070.00 पुनर्वि. (-)220.63	849.37	2,549.37	+1,700.00

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 220.63 लाख की कमी अनुमानित बजट से लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2210-03-789-198-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 620-युवा भविष्य विकास योजना— मूल 490.65 पुनर्वि. (-)329.42	820.07	915.15	+95.08

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 345.50 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 16.08 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 329.42 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(3) 2215-01-789-193-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8625-कुरा जल आपूर्ति योजना	100.00	308.75	+208.75
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---------

अत्यधिक राशि का आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(4) 2215-02-789-0103-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7610-स्वच्छ भारत अभियान— मूल. 4,800.00 पूरक 6,202.24 पुनर्वि. 5,324.67	16,326.91	16,326.91	0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 5,551.53 लाख की वृद्धि केन्द्र सरकार से अधिक राशि प्राप्त होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 226.56 लाख की कमी, केन्द्रांश के समतुल्य राज्यांश की राशि जारी किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 5,324.67 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(5) 2217-80-789-191-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8996-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	220.00	329.07	+109.07
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(6) 2225-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7269- अनुसूचित जातियों के लिए प्रवर्तित योजना— मूल 606.75 पुनर्वि. (-)110.80	495.95	845.10	+349.15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.80 लाख की कमी राशि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(7) 2235-02-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)3.53	396.47	586.08	+189.61
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3.53 लाख की कमी भारत सरकार से राशि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2235-02-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	0.00	242.81	+124.81

बिना किसी बजट प्रावधान के ₹ 242.81 लाख के व्यय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(9) 2401-789-110-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना— मूल 354.72 पुनर्वि. 645.71	1,000.43	1,000.43	0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 720.00 लाख का वृद्धि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के निष्पादन हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 74.29 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 645.71 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(10) 2401-789-110-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8792-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना— मूल 2,400.00 पुनर्वि. 804.36	3,204.36	3,204.36	0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 812.02 लाख का वृद्धि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7.66 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 804.36 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया। 2015-16 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 (₹ 2,774.60 लाख) एवं मार्च 2017 (₹ 4,779.56 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 7,554.17 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 49,251.82 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 50,497.34 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण रहा। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-789-202-0703-केन्द्र प्रवर्तितयोजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 1400-छात्रावास तथा आश्रम भवन का निर्माण— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 150.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4202-02-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1400—छात्रावास तथा आश्रम भवन का निर्माण— मूल 865.00 पुनर्वि. (-)123.83	741.17	760.97	+19.80
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 123.83 लाख की कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(3) 4202-02-789-203-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5086—स्कूल भवनों का निर्माण— पूरक 318.00 पुनर्वि. (-)120.89	197.11	208.60	+11.49
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 120.89 लाख की कमी कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(4) 4202-02-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 275.00 पुनर्वि. (-)256.45	18.55	18.55	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 256.45 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 4210-01-789-110-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6967—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय बिलासपुर— मूल 525.00 पुनर्वि. (-)525.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 525.00 लाख के प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4210-01-789-110-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 6967—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय बिलासपुर— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)203.22	96.78	96.95	+0.17
समर्पण द्वारा ₹ 203.22 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 4210-02-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4143—मूलभूत सेवाओं के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण— मूल 207.00 पुनर्वि. (-)185.53	21.47	21.48	+0.01
समर्पण द्वारा ₹ 185.53 लाख की कमी दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित हुई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4210-03-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8951—आयुर्वेदिक महाविद्यालय बिलासपुर	100.00	0.00	(-)100.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(9) 4210-03-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8952—आयुर्वेदिक महाविद्यालय बिलासपुर	120.00	20.00	(-)100.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 4215-01-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7353—राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना— मूल 1,920.00 पुनर्वि. (-)298.74	1,621.26	1,670.41	+49.15
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 298.74 लाख की कमी केन्द्र सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण राज्यांश जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित हुई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(11) 4215-01-789-102-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5403—पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)1,575.04	1,424.96	1,422.57	(-)2.39
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 103.05 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,471.99 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,575.04 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। दोनों कमियों के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 4215-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5403—पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 550.00 पुनर्वि. (-)174.78	375.52	395.94	+20.72

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 4225-01-789-102-0603—अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित— 7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)406.60	1,093.40	1,301.60	+208.20
(14) 4225-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5507—गिरौधपुरी में जैतखम्भ का निर्माण— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (12) से (14) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 174.78 लाख तथा ₹ 406.60 लाख एवं सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 150.00 लाख का प्रत्याहरण राशि की मांग प्राप्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 एवं क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(15) 4235-02-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 337—आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण— मूल 720.00 पुनर्वि. (-)152.00	568.00	568.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 152.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 4250-789-203-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 976—आई.टी.आई. कार्यालय भवनों का निर्माण— मूल 813.00 पुनर्वि. (-)203.24	609.76	609.77	+0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 203.34 लाख की कमी दायित्वों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(17) 4700-01-789-800-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)239.27	1,760.73	1,760.73	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 239.27 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 4700-11-789-800-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2884—नहर तथा उससे सम्बंधित कार्य— मूल 423.00 पुनर्वि. (-)400.08	22.92	22.92	0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 400.08 लाख की कमी प्रशासन से नवीन परियोजना के कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(19) 4702-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3828-लघु सिंचाई योजना— मूल 4,000.00 पुनर्वि. (-)638.56	3,361.44	3,361.50	+0.06

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 638.56 लाख की कमी वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति हेतु देयकों का समायोजन नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 4702-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5059-एनिकट/स्टॉप डेम का निर्माण— मूल 7,000.00 पुनर्वि. (-)5,966.05	1,033.95	1,033.81	(-)0.14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,966.05 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही से संबंधित योजनागत व्यय में कमी किए जाने एवं निविदा प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(21) 4702-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7422-औद्योगिक जल संरचना निर्माण— मूल 10,700.00 पुनर्वि. (-)8,162.84	2,537.16	2,537.16	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,400.00 लाख की कमी भूमि अधिग्रहण के दावों की अदायगी नहीं किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 6,762.84 लाख की अन्य कमी वित्त विभाग द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही से संबंधित योजनागत व्यय कमी में किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 8,162.84 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(22) 4801-06-789-190-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7652-दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना— मूल 8,281.60 पुनर्वि. (-)5,110.00	3,171.60	3,171.60	0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,110.00 लाख की कमी पूर्व वर्ष में राज्य सरकार से शेष राशि प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(23) 4801-06-789-190-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7655-एकीकृत विद्युत विकास योजना— मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)1,100.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,100.00 लाख की कमी पूर्व वर्ष में राज्य सरकार से शेष राशि प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(24) 4801-06-789-800-0410-उर्जा विकास निधि— 6758-कृषि पम्पों का उर्जाकरण— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,800.00	200.00	200.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,800.00 लाख की कमी कृषि पम्पों हेतु विद्युतीकरण कार्यान्वित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(25) 5054-03-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4149-वृहद पुलो का निर्माण— मूल 4,700.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)2,199.75	2,500.25	2,556.84	+56.59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,199.75 लाख की कमी कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति में विलम्ब के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2009-10 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(26) 5054-04-789-337-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 4855-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना— मूल 12,000.00 पुनर्वि. (-)2,889.58	9,110.42	9,110.42	0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,889.58 लाख की कमी भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(27) 5054-04-789-337-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6590-नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण— मूल 6,400.00 पुनर्वि. (-)4,908.25	1,491.75	1,527.44	+35.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,908.25 लाख की कमी कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति में विलम्ब के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम अधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(28) 5054-04-789-337-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना— मूल 7,500.00 पुनर्वि. (-)3,551.12	3,948.88	3,538.25	(-)410.63
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-----------

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(29) 5054-04-789-337-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8650—मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना— मूल 2,100.00 पुनर्वि. (-)1,512.40	587.60	497.04	(-)90.56

उपरोक्त क्रम संख्या (28) एवं (29) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 3,551.12 लाख एवं ₹ 1,512.40 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (28) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं क्रम संख्या (29) के शीर्षान्तर्गत 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(30) 5054-04-789-337-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9002—अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण— मूल 24,121.00 पुनर्वि. (-)8,651.53	15,469.47	15,666.12	(-)196.65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 8,651.53 लाख की कमी कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति में विलम्ब के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(31) 5054-05-789-337-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7733—अनुदान के तहत सड़क निर्माण— मूल 1,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,000.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(32) 6408-02-789-190-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)— 8545—नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण— मूल 490.0 पूरक. 779.64	1,269.64	982.32	(-)287.32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4215-01-789-102-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7858—सौर ऊर्जा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 96.20	96.20	96.20	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 103.05 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 6.85 लाख की अन्य कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 96.20 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। वृद्धि एवं कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 64—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4700-02-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2898-नहर तथा उससे सम्बंधित निर्माण कार्य— मूल 3,000.00 पुनर्वि. 1,007.59	4,007.59	4,008.29	+0.70
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,400.00 लाख की वृद्धि निविदा कार्य एवं लम्बित कार्य के भुगतान एवं समर्पण द्वारा ₹ 392.41 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,007.59 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(3) 4700-08-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2884-नहर एवं उससे संबंधित निर्माण कार्य— मूल 600.00 पुनर्वि. 185.12	785.12	784.44	(-)0.68
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 675.00 लाख की वृद्धि भूमि अधिग्रहण हेतु पैकेज के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 489.88 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी गति के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 185.12 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।			
(4) 4810-789-102-0410-उर्जा विकास निधि— 7693-सोलर पम्प हेतु सहायक अनुदान— मूल 400.00 पुनर्वि. 1,800.00	2,200.00	2,200.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,800.00 लाख का आवर्धन सोलर पम्पों को स्थापित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 5054-05-789-337-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7818-अभियांत्रिकी खरीद एवं निर्माण— पूरक सांकेतिक 0.00	0.00	1,000.00	+1,000.00
अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 65—विमानन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवायें			
5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)	3,04,657	2,86,697	(-)17,960 17,909
<i>प्रभारित</i> वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)	10	00	(-)10 10
पूंजीगत:			
दत्तमत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)	4,60,000	1,08,280	(-)3,51,720 3,51,720
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 179.60 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को ₹ 179.09 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
2052—091—4043—विमानन संचालनालय—			
मूल	2,546.57		
पूरक	500.00		
पुनर्वि.	(-)179.09	2,867.48	(-)0.51

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 179.09 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2004—05 से 2015—16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया। 2011—12 से 2015—16 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 65—समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5053-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4727- हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार-			
मूल	4,600.00		
पुनर्वि.	(-)3,517.20	1,082.80	1,082.80
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,517.20 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा ₹ 2,800.00 लाख की क्षतिपूर्ति का समायोजन किए जाने एवं वित्त विभाग द्वारा शेष राशि ₹ 2,200.00 लाख में से केवल ₹ 1,083.00 लाख की स्वीकृति की गई है।

अनुदान संख्या 66—पिछड़े वर्ग कल्याण

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	27,55,984		
पूरक	2,12,195	29,68,179	25,45,953
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)4,22,226 3,89,339
पूंजीगत			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)	1,99,300	54,140	(-)1,45,160 1,45,160

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 (₹ 803.60 लाख) एवं नवम्बर 2016 (₹ 1,318.35 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 2,121.95 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 4,222.26 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 3,893.39 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-02-106-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5904—निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय— मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)49.09	250.91	0.00
			(-)250.91
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 49.09 लाख की कमी अनुमानित बजट से लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2202-02-109-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 8050—छात्रवृत्तियां— मूल	1,900.00		
पूरक	1,223.35		
पुनर्वि.	(-)400.01	2723.34	2923.34
			+200.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 400.01 लाख की कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 66—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1395—छात्रावास— मूल 312.95 पुनर्वि. (-)47.77	265.18	231.00	(-)34.18

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 47.77 लाख की कमी जिलों से राशि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(4) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2949—छात्राओं को गणवेश— मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)97.47	1,002.53	1,002.53	0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 97.47 लाख की कमी अनुमानित बजट से लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3673—राज्य छात्रवृत्तियां— मूल 22,300.00 पुनर्वि. (-)2,417.40	19,882.60	19,882.60	0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,417.40 लाख की कमी वेब पोर्टल द्वारा आनलाइन भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5551—हाईस्कूल छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण— मूल 600.00 पूरक 798.60 पुनर्वि. (-)732.56	666.04	439.96	(-)226.08
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 732.56 लाख की कमी अनुमानित बजट से लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7363—युवा वाहक विकास योजना— मूल 106.00 पुनर्वि. (-)29.56	77.00	64.02	(-)12.98
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 29.56 लाख की कमी कम राशि की मांग किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

पूजीगत:

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-202-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 1395—छात्रावास— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 66—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4225-04-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7605-अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास योजना-			
पूरक	1,339.00		
पुनर्वि.	(-)1,051.10	287.90	0.00

समर्पण द्वारा ₹ 1,051.10 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4225-04-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9410-हज कमेटी को सहायता अनुदान-			
पूरक	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा संपूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2202—सामान्य शिक्षा			
2203—तकनीकी शिक्षा			
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205—कला एवं संस्कृति			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211—परिवार कल्याण			
2216—आवास			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
2401—फसल कृषि—कर्म			
2403—पशुपालन			
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4403—पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
4405—मीन उद्योग पर पूंजी परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	66,24,903		
पूरक	8,745	66,33,648	42,65,677
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)23,67,971 14,76,175
<i>प्रभारित</i>	<i>4,500</i>	<i>00</i>	<i>(-)4,500</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			<i>4,500</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	61,90,614		
पूरक	2,46,512	64,37,126	39,24,428
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)25,12,698 26,30,225

अनुदान संख्या 67—जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया (₹ 87.45 लाख) का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 23,679.71 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 14,761.75 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059-01-051-2449—न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों की मरम्मत)	200.00	0.00	200.00
सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख के अत्यधिक अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2059-01-053-6220—लोक निर्माण विभाग— मूल 214.00 पुनर्वि. (-)147.42	66.58	76.35	+9.77
(3) 2059-01-053-1481—जिला प्रशासन— मूल 447.00 पुनर्वि. (-)171.66	275.34	275.34	0.00
(4) 2059-01-053-1533—जेल प्रशासन— मूल 214.00 पुनर्वि. (-)129.50	84.50	84.50	0.00
(5) 2059-01-053-2449—न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों की मरम्मत)— मूल 1,243.00 पुनर्वि. (-)666.14	576.86	576.87	+0.01
(6) 2059-01-053-2631—पुलिस प्रशासन— मूल 177.00 पुनर्वि. (-)96.53	80.47	75.48	(-)4.99
(7) 2059-01-053-3125—भू राजस्व— मूल 664.00 पुनर्वि. (-)487.27	176.73	173.72	(-)3.01
(8) 2059-01-053-3383—इमारतों की विशेष मरम्मत— मूल 1,862.00 पुनर्वि. (-)922.57	939.43	1,023.05	+83.62
(9) 2059-01-053-3387—मरम्मत विश्राम गृह— मूल 841.00 पुनर्वि. (-)371.50	450.00	469.47	(-)0.03
(10) 2059-01-053-4144—अस्पतालों और डिस्पेंसरी का निर्माण— मूल 1,193.00 पुनर्वि. (-)583.51	609.49	614.52	+5.03

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2059-01-053-4608—टिकट और पंजीकरण— मूल 144.00 पुनर्वि. (-)135.72	8.28	8.28	0.00
(12) 2059-01-053-6220—लोक निर्माण विभाग— मूल 548.00 पूरक (-)236.03	311.97	295.30	(-)16.67
(13) 2059-01-053-6520—विधानसभा के सम्माननीय सदस्यों को सामग्री की आपूर्ति— मूल 3,160.00 पुनर्वि. (-)617.70	2,542.30	2,548.10	+5.80
(14) 2059-60-053-3645—सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों की इमारतें— मूल 979.00 पुनर्वि. 361.99	617.01	614.94	(-)2.07
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (14) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से क्रमशः ₹ 147.42 लाख, ₹ 171.66 लाख, ₹ 129.50 लाख, ₹ 666.14 लाख, ₹ 96.53 लाख, ₹ 487.27 लाख, ₹ 922.57 लाख, ₹ 371.50 लाख, ₹ 583.51 लाख, ₹ 135.72 लाख, ₹ 236.03 लाख, ₹ 617.70 लाख एवं ₹ 361.99 लाख की कमी विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में विलम्ब किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत अधिक्य / बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (5), (8), (10) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान एवं क्रम संख्या (9) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(15) 2059-60-053-3647—शासकीय माध्यमिक स्कूलों की मरम्मत— मूल 1,242.45 पुनर्वि. (-)592.76	649.24	649.25	+0.01
(16) 2059-60-053-4143—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण— मूल 555.00 पुनर्वि. (-)260.93	294.07	273.80	(-)20.27
(17) 2059-60-053-5056—सामुदायिक स्वास्थ्य भवनों का निर्माण— मूल 265.00 पुनर्वि. (-)137.59	127.41	129.12	+1.71
(18) 2059-60-053-7421—विश्राम गृह की व्यवस्था पर खर्च— मूल 410.00 पुनर्वि. (-)219.91	190.09	188.81	(-)1.28
(19) 2059-60-053-7425—नये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण — मूल 350.00 पुनर्वि. (-)187.65	162.35	200.55	+38.20
(20) 2059-60-053-794—कला और संस्कृति भवनों का रखरखाव मूल 340.00 पुनर्वि. (-)227.62	112.38	113.85	+1.47

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(21) 2059-60-053-8167-आई टी आई भवनों का रखरखाव - मूल 219.00 पुनर्वि. (-)152.87	66.13	66.34	+0.21
उपरोक्त क्रम संख्या (15) से (21) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 592.76 लाख, ₹ 260.93 लाख, ₹ 137.59 लाख, ₹ 219.91 लाख, ₹ 187.65 लाख, ₹ 227.62 लाख एवं ₹ 152.87 लाख की कमी विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में विलम्ब किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत बचत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 से 2015-16 एवं क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(22) 2059-80-001-2418-क्रियान्यवन	22,453.50	17,334.19	(-)5,119.31
(23) 2059-80-001-3300-सर्कल स्थापना	1,174.25	894.60	(-)279.65
उपरोक्त क्रम संख्या (22) एवं (23) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(24) 2059-80-001-3566-मुख्यालय स्थापना- मूल 2,477.50 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)12.32	2,465.18	1,561.65	(-)903.53
प्रावधान से ₹ 422.00 लाख की वृद्धि, लम्बित देयकों के भुगतान एवं मुख्य अभियंता के नये कार्यालय हेतु फर्नीचर का क्रय करने के कारण एवं प्रावधान से ₹ 434.32 लाख की कमी विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में विलम्ब होने के निवल प्रभाव से ₹ 12.32 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 2059-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2418-क्रियान्यवन- मूल 10,838.59 पुनर्वि. (-)40.00	10,798.59	7,853.63	(-)2,944.96
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 40.00 लाख की कमी, लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(26) 2059-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3300-सक्रिल स्थापना - मूल 658.70 पुनर्वि. 40.00	698.70	396.69	(-)302.01
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख का आवर्धन लम्बित देयकों का भुगतान किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(27) 2059-80-052-9269-नवीनीकरण और मशीनों के प्रतिस्थापन- मूल 950.00 पुनर्वि. (-)412.39	537.61	537.78	+0.17
(28) 2059-80-799-1051-स्टॉक- मूल 552.00 पुनर्वि. (-)462.19	89.81	99.82	+10.01
(29) 2216-05-053-2450-न्याय प्रशासन- मूल 240.00 पुनर्वि. (-)109.47	130.53	133.33	+2.80

अनुदान संख्या 67-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(30) 2216-05-053-4095-विशेष रखरखाव-			
मूल	2,337.00		
पुनर्वि.	(-1,031.58)	1,305.42	1,27.31
(31) 2216-05-053-4489-सामान्य रखरखाव-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-188.36)	1,811.64	1,788.38
(32) 2216-80-001-2300-निर्देशन और प्रशासन-			
(मांग संख्या 67-2059 लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना प्रभारों का समानुपातिक भाग)-			
मूल	4,797.43		
पुनर्वि.	(-4,797.43)	0.00	949.91
(33) 2216-80-052-692-औजार एवं संयंत्र प्रभार (मांग संख्या 67-2059 लोक निर्माण कार्य से अंतरित औजार एवं संयंत्र का समानुपातिक भाग)-			
मूल	533.05		
पुनर्वि.	(-533.05)	0.00	2.84

उपरोक्त क्रम संख्या (27) से (31) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 412.39 लाख, ₹ 462.19 लाख, ₹ 109.47 लाख, ₹ 1,031.58 लाख एवं ₹ 188.36 लाख की कमी विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (28), (30) एवं (31) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी क्रम संख्या (27), (28), (30) एवं (31) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्नांतर्गत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059-01-051-3692-राज्य विधानसभा-			
मूल	115.00		
पुनर्वि.	(-1.71)	113.29	192.10
(2) 2059-60-053-7755-विजिट ऑफ वी वी आई पी-			
मूल	75.00		
पुनर्वि.	230.63	305.63	239.39

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1.71 लाख की कमी विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 399.37 लाख की कमी विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में विलम्ब किए जाने एवं पुनर्विनियोजन ₹ 630.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 230.63 लाख का आवर्धन हुआ है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 67—जारी

(v) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में ₹ 206.25 लाख को "2059—लोक निर्माण कार्य उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए हैं। उचंत के अन्तर्गत लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे की टीप (v) में दिए गए हैं।

वर्ष 2016—17 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2016 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2017 को नामे+ जमा(-)
(₹ लाख में)				
2059—लोक निर्माण कार्य—				
(i) क्रय	(-) 2,282.95	0.00	0.00	(-)2,282.95
(ii) भण्डार	+1,658.28	+99.81	(-)27.30	+1,658.28
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 7,571.95	+106.44	(-)50.77	+7,523.62
योग	+ 6,847.28	+206.25	(-)82.07	+ 6,971.46

प्रभारित—

(vi) ₹ 45.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया। 2015—16 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059—60—800—1835—डिक्री धन का भुगतान— मूल 35.05 पुनर्वि. (-)35.00	0.00	0.00	0.00
(2) 2016—80—800—1836—डिक्री धन का भुगतान (भारित)— मूल 10.00 पुनर्वि. (-)10.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 35.00 लाख एवं ₹ 10.00 लाख का प्रत्याहरण विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

पूँजीगत

दत्तमत—

(viii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा जुलाई 2016 (₹ 1,517.01 लाख) एवं नवम्बर 2016 (₹ 948.11 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 2,465.12 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ix) ₹ 25,126.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को ₹ 26,302.25 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 67—जारी

(x) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 5558—जिला उपभोक्ता फोरम भवनों का निर्माण— मूल 200.00 पूरक 200.00 पुनर्वि. (-)400.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा संपूर्ण प्रावधान ₹ 400.00 लाख के प्रत्याहरण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1481—जिला प्रशासन— मूल 90.00 पूरक 10.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
(3) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2449—न्याय प्रशासन न्यायालय भवनों का निर्माण— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं अन्य विभाग से संबंधित कार्य होने के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान बचत हुई थी।			
(4) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2450—न्याय प्रशासन— मूल 1181.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)264.13	916.87	919.53	+2.66
(5) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2716—प्रशासन अकादमी— मूल 560.00 पुनर्वि. (-)546.80	13.20	13.20	0.00
(6) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3643—राज्यपाल भवन— मूल 410.00 पूरक 10.00 पुनर्वि. (-)410.00	10.00	0.00	(-)10.00
उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 264.13 लाख, ₹ 546.80 लाख एवं ₹ 410.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2008-09 से 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है। उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी। क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(7) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3692—लोक निर्माण कार्य भवन— पूरक 115.00 पुनर्वि. (-)115.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 67-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3755-एन. सी. सी.- मूल 280.00 पुनर्वि. (-)126.06	153.94	153.94	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 115.00 लाख का प्रत्याहरण एवं ₹ 126.06 लाख की कमी, कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(9) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3855-लोक निर्माण विभाग-भवन- मूल 3,197.00 पूरक (-)575.24	2,621.76	2,621.75	(-)0.01
(10) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4606-स्टैम्प एवं पंजीकरण- मूल 263.00 पूरक (-)230.96	32.04	32.05	0.01
उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 575.24 लाख एवं ₹ 230.96 लाख की कमी, कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(11) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5558-उपभोक्ता फोरम भवनों का निर्माण- पूरक 169.00 पुनर्वि. (-)169.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 169.00 लाख का प्रत्याहरण कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(12) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5600-परिवहन कार्यालय भवनों का निर्माण - मूल 657.00 पुनर्वि. (-)573.83	83.17	88.37	+5.20
(13) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5651-होम गार्ड क्षेत्र में आवासीय भवन का निर्माण- मूल 361.00 पुनर्वि. (-)352.95	8.05	8.05	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 573.83 लाख एवं ₹ 352.95 लाख की कमी कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(14) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6220-लोक निर्माण विभाग- पूरक 214.00 पुनर्वि. (-)214.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 214.00 लाख का प्रत्याहरण कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7466-प्रशिक्षण केन्द्र-			
मूल	110.00		
पुनर्वि.	(-)75.00	35.00	0.00
			(-) 35.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 75.00 लाख की कमी कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(16) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8040-जेल भवनों का निर्माण			
मूल	3,389.00		
पुनर्वि.	(-)2,804.60	584.40	946.14
			+361.74
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,804.60 लाख की कमी कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं कार्य का कुछ अंश पी.एच.ई. को स्थानांतरित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक राशि के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2008-09 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(17) 4059-80-001-2418-क्रियान्वयन (सूचना एवं तकनीक)-			
मूल	233.00		
पुनर्वि.	(-)232.52	0.48	68.10
			+67.62
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 232.52 लाख की कमी कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(18) 4202-01-202-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र-			
पूरक	764.00		
पुनर्वि.	(-)764.00	0.00	0.00
			0.00
(19) 4202-01-202-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7673-ब्लॉक स्तर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान-			
पूरक	653.00		
पुनर्वि.	(-)653.00	0.00	0.00
			0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 764.00 लाख एवं ₹ 653.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(20) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3490-माध्यमिक स्कूल भवनों का निर्माण-			
मूल	11,940.50		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)2,661.17	9,279.33	9,423.87
			+144.54
(21) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5086-कॉलेज भवनों का निर्माण-			
मूल	4,500.50		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)1,883.09	2,616.91	2,663.86
			+46.95

उपरोक्त क्रम संख्या (20) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,661.17 लाख एवं ₹ 1,883.09 लाख की कमी कार्य की स्वीकृति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (20) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(22) 4202-02-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8071—पॉलीटेक्निक भवनों का निर्माण— मूल 5,677.00 पुनर्वि. (-)3,627.45	2,049.55	2,093.53	+43.98
(23) 4202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5226—मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि— मूल 1,495.00 पूरक (-)345.28	1,149.72	1,215.48	+65.76
उपरोक्त क्रम संख्या (22) एवं (23) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से क्रमशः ₹ 3,627.45 लाख एवं ₹ 345.28 लाख की कमी कार्य संबंधित विभाग को स्थानांतरित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (22) के शीर्षान्तर्गत 2012-13 से 2015-16 एवं क्रम संख्या (23) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(24) 4202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8984—युवा छात्रावास— पूरक 908.00 पुनर्वि. (-)908.00	0.00	0.00	
समर्पण द्वारा संपूर्ण प्रावधान ₹ 908.00 लाख का प्रत्याहरण कार्य संबंधित विभाग को स्थानांतरित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 4210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य) — 4144—अस्पताल एवं डिस्पेन्सरी भवनों का निर्माण— मूल 371.00 पूरक (-)261.64	109.36	112.11	+2.75
(26) 4216-03-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4136—प्रमुख कार्य आयुर्वेदिक भवनों का निर्माण— मूल 285.50 पूरक (-)262.56	22.94	170.83	+147.89
उपरोक्त क्रम संख्या (25) एवं (26) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 261.64 लाख एवं ₹ 262.56 लाख की कमी कार्य संबंधित विभाग को स्थानांतरित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (26) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (25) के शीर्षान्तर्गत 2009-10 से 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(27) 4210-03-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—लोक स्वास्थ्य हेतु नर्सिंग का मूलभूत पाठ्यक्रम— मूल 1,015.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,015.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा संपूर्ण प्रावधान ₹ 1,015.00 लाख का प्रत्याहरण कार्य संबंधित विभाग को स्थानांतरित किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 4210-03-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4220—शैक्षिक मेडिकल कॉलेज— मूल 9,222.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)2,740.64	6,481.36	6,517.37	+36.01

अनुदान संख्या 67—जारी

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,740.64 लाख की कमी कार्य संबंधित विभाग को स्थानांतरित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(29) 4216-01-106-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6222-न्याय प्रशासन (स्टाफ क्वार्टर का निर्माण)- मूल 992.48 पुनर्वि. (-)427.86	564.62	575.71	+11.09

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 427.86 लाख की कमी कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(30) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3125-भू राजस्व- मूल 578.00 पुनर्वि. (-)549.26	28.74	28.74	0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	------

(31) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5640-उच्च न्यायालय परिसर में आवासीय भवनों का निर्माण- मूल 200.00 पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)206.77	93.23	93.23	0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	------

उपरोक्त क्रम संख्या (30) एवं (31) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 549.26 लाख एवं ₹ 206.77 लाख की कमी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्य किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (30) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(32) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5918-सामान्य प्रशासन विभाग- मूल 160.00 पुनर्वि. (-)119.62	40.38	36.92	(-)3.46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	---------

(33) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6222-न्याय प्रशासन (स्टाफ क्वार्टर का निर्माण)- मूल 589.00 पुनर्वि. (-)584.29	4.71	0.00	(-)4.71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	---------

उपरोक्त क्रम संख्या (32) एवं (33) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 119.62 लाख एवं ₹ 584.29 लाख की कमी कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (30) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(34) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6333-भू राजस्व कार्यालय भवन- मूल 110.00 पुनर्वि. (-)110.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान ₹ 110.00 लाख का प्रत्याहरण कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(35) 4235-02-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7446-एकीकृत परिसर माना कैम्प सामाजिक कल्याण संस्थानों की शेड योजना- मूल 458.00 पुनर्वि. (-)378.42	79.58	79.60	+0.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 378.42 लाख की कमी कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(36) 4250-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8935-आजिविका कॉलेज- मूल 268.00 पुनर्वि. (-)268.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 268.00 लाख का प्रत्याहरण कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(37) 4250-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 976- आई टी आई भवनों का निर्माण- मूल 4,194.96 पुनर्वि. (-)1,378.88	2,816.08	2,873.03	+56.95
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,378.88 लाख की कमी कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(38) 4403-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5620-पशु रोग नियंत्रण- मूल 103.00 पुनर्वि. (-)103.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 103.00 लाख का प्रत्याहरण कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(39) 4403-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6781-पशुपालन- मूल 553.70 पुनर्वि. (-)388.10	165.60	165.60	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 388.10 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(40) 4405-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6781-मतस्य पालन- मूल 250.00 पुनर्वि. (-)250.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 250.00 लाख का प्रत्याहरण कार्य संबंधित विभाग को स्थानांतरित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(x) उपरोक्त टिप्पणी (ix) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्नांतर्गत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6333-भू-राजस्व कार्यालय भवन- मूल 1,421.00 पुनर्वि. 999.64	2,420.64	1,931.23	(-)489.41

अनुदान संख्या 67—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.36 लाख की कमी, कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि, लम्बित दायित्वों का भुगतान किये जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 999.64 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

2450-न्याय प्रशासन-

मूल	721.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	483.96	1,204.96	1,219.01 +14.05

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 16.04 लाख की कमी, कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की वृद्धि, लम्बित दायित्वों का भुगतान किये जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 483.96 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(3) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

5918-सामान्य प्रशासनिक विभाग-

मूल	600.00		
पूरक	30.00		
पुनर्वि.	167.55	797.55	797.55 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 289.45 लाख की कमी, कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 457.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 167.55 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(4) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

6333-भू-राजस्व कार्यालय भवन-

मूल	1,954.00		
पुनर्वि.	(-)30.18	1,923.82	2,480.60 +556.78

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 30.18 लाख की कमी कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(5) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

7274-लोक अभियोजन-

मूल	34.00		
पुनर्वि.	72.62	106.62	108.69 +2.07

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि, भूमि की खरीद द्वारा एवं समर्पण द्वारा ₹ 27.38 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 72.62 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(6) 4202-02-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

515-इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी कालेजों एवं संस्थानों के लिए भवनों का निर्माण-

मूल	260.00		
पुनर्वि.	141.22	401.22	415.10 +13.88

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 185.00 लाख की वृद्धि, लम्बित दायित्वों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 43.78 लाख की कमी, कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं कार्य अन्य विभाग को स्थानांतरित किए जाने के कारण के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 141.22 लाख का आवर्धन हुआ है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 68—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत	23,96,535	20,33,071	(-)3,63,464
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			3,72,593
टीका एवं टिप्पणियां			
पूंजीगत :			

(i) ₹ 3,634.64 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 3,725.93 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-796-051-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3855—लोक निर्माण भवन— मूल 590.00 पुनर्वि. (-)547.28	42.72	42.72	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 275.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 272.28 लाख की अन्य कमी अधिकांश कार्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 547.28 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4202-01-796-203-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5086—कॉलेज भवन का निर्माण— मूल 3,200.00 पुनर्वि. (-)201.04	2,998.96	3,048.75	+49.79
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 201.04 लाख की कमी अधिकांश कार्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(3) 4202-02-796-104-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8071—पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण— मूल 2,157.00 पुनर्वि. (-)686.09	1,470.91	1,470.91	0.00

अनुदान संख्या 68—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 675.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11.09 लाख की अन्य कमी अधिकांश कार्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 686.09 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4202-03-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5226-मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि-			
मूल	511.00		
पूरक	(-)511.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 511.00 लाख का प्रत्याहरण अधिकांश कार्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4210-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4143-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण-			
मूल	187.00		
पुनर्वि	(-)123.36	63.64	+24.79
(6) 4210-02-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5056-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्माण-			
मूल	228.00		
पुनर्वि	(-)169.27	58.73	+1.76
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 123.36 लाख एवं ₹ 169.27 लाख की कमी अधिकांश कार्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 से 2015-16 एवं क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 से 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 4210-02-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5057-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्माण-			
मूल	190.00		
पुनर्वि	(-)190.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा संपूर्ण प्रावधान ₹ 190.00 लाख का प्रत्याहरण अधिकांश कार्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(8) 4210-03-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4220-शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय-			
मूल	5,800.00		
पुनर्वि.	(-)543.02	5,256.98	+0.01
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 540.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3.02 लाख की अन्य कमी अधिकांश कार्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के संयुक्त प्रभाव के प्रावधान में ₹ 543.02 लाख की कमी के कारण उल्लिखित की गई है।			
(9) 4216-01-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2631-पुलिस प्रशासन-			
मूल	2,450.00		
पुनर्वि.	(-)670.05	1,779.95	0.00

अनुदान संख्या 68-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 670.05 लाख की कमी अधिकांश कार्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 4216-01-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5918-सामान्य प्रशासन विभाग- पूरक 700.00 पुनर्वि. (-)678.77	21.23	21.23	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 565.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 113.77 लाख की अन्य कमी अधिकांश कार्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के संयुक्त प्रभाव के प्रावधान में ₹ 678.77 लाख की कमी कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 4059-01-796-106-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6333-भू-राजस्व कार्यालय- भवन- पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
(12) 4250-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8935-लाइवलीहुड कालेज- मूल 185.00 पुनर्वि. (-)185.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा संपूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 185.00 लाख का प्रत्याहरण अधिकांश कार्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-796-051-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6333-भू-राजस्व कार्यालय- भवन- मूल 1,940.00 पुनर्वि. 171.45	2,111.45	2,111.46	+0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की वृद्धि दायित्वों के भुगतान किए जानें एवं समर्पण द्वारा ₹ 328.55 लाख की कमी अधिकांश कार्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 171.45 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(2) 4059-01-796-051-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7402-खनिज प्रशासन- मूल 65.00 पुनर्वि. 259.78	324.78	324.79	(-)0.01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 275.00 लाख की वृद्धि दायित्वों के भुगतान किए जानें एवं समर्पण द्वारा ₹ 15.22 लाख की कमी अधिकांश कार्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 259.78 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 68—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 395-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत अस्पताल भवन का निर्माण-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	193.76	293.76	304.22
			+10.46
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 200.00 लाख का आवर्धन दायित्वों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 6.24 लाख की कमी अधिकांश कार्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 193.76 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(4) 4210-03-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	290.60	390.60	390.59
			(-)0.01
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 340.00 लाख की वृद्धि दायित्वों के भुगतान किए जानें एवं समर्पण द्वारा ₹ 49.40 लाख की कमी अधिकांश कार्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 290.60 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।			
(5) 4250-796-203-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 976-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें कार्यालय भवनों का निर्माण-			
मूल	120.00		
पुनर्वि.	(-)92.23	27.77	241.71
			+213.94
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 92.23 लाख की कमी अधिकांश कार्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक राशि की अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(6) 4250-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 976-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें कार्यालय भवनों का निर्माण-			
मूल	3,429.00		
पुनर्वि.	(-)426.01	3,855.01	3,650.78
			(-)204.23
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 600.00 लाख की वृद्धि दायित्वों के भुगतान किए जानें एवं समर्पण द्वारा ₹ 173.99 लाख की कमी अधिकांश कार्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 426.01 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 69—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
राजस्व			
मूल	81,98,300		
पूरक	32,70,000	1,14,68,300	72,93,754
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)41,74,546 41,53,547

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 32,700.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 41,745.46 लाख की उपलब्ध अंतिम बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 41,535.47 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217-05-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7681-वाटर ए.टी.एम. की स्थापना-			
मूल	840.00		
पुनर्वि.	(-)840.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 840.00 लाख का प्रत्याहरण तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2217-05-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1785- गन्दी बस्तियों में पेय जल एवं लैबोरेटरी उपलब्धता हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान	152.00	0.00	(-)152.00
सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 152.00 लाख अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2017)।			
(3) 2217-05-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7681-वाटर ए.टी.एम. की स्थापना-			
मूल	616.00		
पुनर्वि.	(-)616.00	0.00	0.00
(4) 2217-05-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7681-वाटर ए.टी.एम. की स्थापना-			
मूल	791.00		
पुनर्वि.	(-)791.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 616.00 लाख, ₹ 791.00 लाख का प्रत्याहरण तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 69—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6741—नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन— मूल 1,295.00 पुनर्वि. (-)1,210.55	84.45	84.45	0.00
(6) 2217-80-191-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6808—लघु एवं मध्यम शहरी क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचा विकास योजना— मूल 10,700.00 पुनर्वि. (-)7,700.00	3,000.00	3,000.00	0.00
(7) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7685—स्मार्ट सिटी— मूल 5,000.00 पूरक 32,700.00 पुनर्वि. (-)18,250.00	19,450.00	19,450.00	0.00
(8) 2217-80-191-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 15,000.00 पुनर्वि. (-)2,973.47	12,026.53	12,026.53	0.00
(9) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 6,000.00 पुनर्वि. (-)3,454.35	2,545.65	2,545.65	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,210.55 लाख, ₹ 7,700.00 लाख, ₹ 18,250.00 लाख, ₹ 2,973.47 लाख एवं ₹ 3,454.35 लाख की कमी योजना में केन्द्रांश के अतिरिक्त राज्यांश भी आहरित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(10) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	412.00	202.01	(-)209.99
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 7,500.00 पुनर्वि. (-)2,627.00	4,873.00	4,873.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,627.00 लाख की कमी योजना में केन्द्रांश के अनुपात में राज्यांश आहरित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7709— सबके लिए आवास योजना— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)4,044.63	955.37	955.37	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,044.63 लाख की कमी योजना में केन्द्रांश के अनुपात में राज्यांश आहरित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। ।			

अनुदान संख्या 69—समाप्त

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217-05-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1785-स्लम क्षेत्रों में पानी और प्रयोगशाला की उपलब्धता के लिए स्थानीय निकायों को अनुदान	152.00	304.00	+152.00
अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(2) 2217-80-191-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7706-अमृत मिशन-			
मूल	15,000.00		
पुनर्वि.	424.41	15,424.41	0.00
(3) 2217-80-191-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 8996-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-			
मूल	2,001.00		
पुनर्वि.	571.12	2,572.12	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 424.41 लाख एवं ₹ 571.12 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अतिरिक्त राशि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 71—सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3275—अन्य दूरसंचार सेवायें			
5275—अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय			
राजस्व :			
मूल	10,10,550		
पूरक	60,000	10,70,550	5,82,046
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)4,88,504 4,88,504

पूंजीगत:

मूल	50,000		
पूरक	23,600	73,600	71,800
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)1,800 1,800

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) वास्तविक व्यय मूल व्यय से कम रहा जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 600.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3275—800—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6924—सामान्य सेवा केन्द्रीय परियोजना—			
मूल	610.00		
पुनर्वि.	(-)610.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 610.00 लाख का प्रत्याहरण राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015—16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 3275—800—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7270—ई—जिला परियोजना—			
मूल	1,550.00		
पुनर्वि.	(-)1,125.00	425.00	425.00
(3) 3275—800—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7276—स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना—			
मूल	631.00		
पुनर्वि.	(-)277.50	353.50	353.50

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,125.00 लाख एवं ₹ 277.50 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा बजट के माध्यम से केन्द्रांश जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2014—15 एवं 2015—16 एवं क्रम संख्या के (3) के शीर्षान्तर्गत 2015—16 दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 71—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 3275-800-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7278—राज्य में केपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम— मूल 168.00 पुनर्वि. (-)168.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा संपूर्ण प्रावधान ₹ 168.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से केन्द्रांश जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई है।			
(5) 3275-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6894—डिजीटल शासन की स्थापना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)79.00	121.00	121.00	0.00
(6) 3275-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7612—समेकित संग्रहण परियोजना— गवर्नेस— मूल 1,350.00 पुनर्वि. (-)662.25	687.75	687.75	0.00
(7) 3275-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7648—सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए आई.टी.टॉवर की स्थापना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
(8) 3275-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7752— कोर इनक्यूबेटर सह एक्सीलिरैटर योजना— मूल 370.00 पुनर्वि. (-)277.00	93.00	93.00	0.00
(9) 3275-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7772—उद्यमी पूंजीगत निधि— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
(10) 3275-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7776—कौशल विकास योजना हेतु अनुदान— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)161.75	88.25	88.25	0.00
(11) 3275-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8954—वाई फाई शहर योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (5), (6), (8) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 79.00 लाख, ₹ 662.25 लाख, ₹ 277.00 लाख एवं ₹ 161.75 लाख की कमी तथा क्रम संख्या (7), (9) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा संपूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 100.00 लाख, ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2013-14 से 2015-16 एवं क्रम संख्या के (7) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 71—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8955-राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में केंद्रीय योजना में निवेश-			
मूल	1,600.00		
पुनर्वि.	(-),1,500.00	100.00	100.00
			0.00

समर्पण द्वारा ₹ 859.50 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 640.50 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,500.00 लाख की कमी, राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7773-अधोरचना हेतु केंद्रीय मॉनीटरिंग यूनिट-			
मूल	100.00		
पुनर्वि	490.50	590.50	590.50
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 490.50 लाख का आवर्धन अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(2) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7775- नागरिक संबंधों के लिए केंद्रीय योजना-			
मूल	100.00		
पुनर्वि	71.00	171.00	171.00
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 79.00 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 71.00 लाख का आवर्धन राशि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

पूँजीगत

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7752-कोर इनक्यूबेटर सह एक्सीलिरेटर योजना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि	(-),18.00	482.00	482.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 18.00 लाख की कमी राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 75—जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—		
4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		
पूंजीगत:		
मूल	39,96,100	(-)66,741
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)		66,739
टीका एवं टिप्पणियां		
पूंजीगत :		

(i) ₹ 667.41 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 667.39 लाख की राशि अभ्यर्पित हुई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700-02-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 8,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)521.60	7,478.40	7,399.08	(-)79.32

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की कमी, निविदा प्रक्रिया की धीमी गति के कारण एवं समर्पण द्वारा ₹ 21.60 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 521.60 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4700-04-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 2,400.00 पुनर्वि. (-)200.09	2,199.91	2,279.22	+79.31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की कमी, निविदा प्रक्रिया की धीमी गति के कारण एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.09 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 200.09 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(3) 4700-04-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 250.00 पुनर्वि. (-)250.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 250.00 लाख का प्रत्याहरण नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 75—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4700-05-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)457.94	2,542.06	2,542.06	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.00 लाख की कमी, निविदा प्रक्रिया की धीमी गति के कारण एवं समर्पण द्वारा ₹ 57.94 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 457.94 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4702-101-0312—नाबार्ड पोषित योजनाएं(सामान्य)— 5189—लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)348.88	4,651.12	4,674.44	+23.32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 348.88 लाख की कमी वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700-07-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)496.85	2,496.85	2,496.85	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की वृद्धि निर्माण कार्य भुगतान के दायित्वों के कारण एवं समर्पण द्वारा ₹ 3.15 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 496.85 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(2) 4701-06-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)99.43	899.43	899.43	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि कार्य की प्रगति अनुसार भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.57 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 99.43 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4702-101-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 9469—नाबार्ड से ऋण सहायता अन्तर्गत— मूल 3,900.00 पुनर्वि. (-)599.04	4,499.04	4,475.72	(-)23.72
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,150.00 लाख की वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के कारण एवं समर्पण द्वारा ₹ 550.96 लाख की कमी, वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति का भुगतान के प्रकरण प्राप्त नहीं होने एवं कार्य की प्रगति अनुसार भुगतान किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 599.04 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 76—लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत	1,10,00,000	70,60,495	(-)39,39,505
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			39,38,694

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

(i) ₹ 39,395.05 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 39,386.94 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-03-337-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7433-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट-फेज-II मूल 25,000.00 पुनर्वि. (-)16,712.09	8,287.91	8,288.18	+0.27
(2) 5054-03-337-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7433-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट-फेज-II मूल 50,000.00 पुनर्वि. (-)2,656.37	47,343.63	46,380.85	(-)962.78
(3) 5054-03-337-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7433-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट-फेज-II मूल 35,000.00 पुनर्वि. (-)20,018.48	14,981.52	15,935.92	+954.40

क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 16,712.09 लाख, ₹ 2,656.37 लाख एवं ₹ 20,018.48 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित हुई है। क्रम संख्या (2) में अंतिम बचत एवं क्रम संख्या (3) में अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 79—चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ हजार में)		
मुख्य शीर्ष—			
2071—पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	54,81,521		
पूरक	790	54,82,311	40,26,403
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)14,55,908 9,35,558
प्रभारित	420	00	(-)420
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			110
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	9,25,800		
पूरक	4,52,500	13,78,300	11,06,933
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)2,71,367 2,51,343
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 7.90 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।			
(ii) ₹ 14,559.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 9,355.58 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2071-01-800-5499-सेवा निवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा—			
मूल	350.00		
पुनर्वि.	(-)0.24	349.76	0.00
(2) 2210-01-110-1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय—			
मूल	7,297.90		
पुनर्वि.	(-)1,156.53	6,141.37	6,144.50
(3) 2210-01-110-7719-सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर—			
मूल	1,948.50		
पुनर्वि.	(-)1,115.35	833.15	818.65
			(-)14.50

अनुदान संख्या 79—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 0.24 लाख, ₹ 1,156.53 लाख एवं ₹ 1,115.35 लाख की कमी के साथ ही क्रम संख्या (1) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2008-09 से 2015-16 एवं क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2006-07 से 2015-16 के दौरान निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2210-01-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7637—राज्य कैंसर संस्थान— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,000.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(5) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6997—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय, रायपुर— मूल 3,332.05 पुनर्वि. (-)199.85	3,132.20	3,177.67	+45.67
(6) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8938—चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव से सम्बद्ध चिकित्सालय— मूल 2,254.00 पुनर्वि. (-)491.33	1,762.67	1760.98	(-)1.69
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 199.85 लाख एवं ₹ 491.33 लाख की कमी के साथ ही क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 2013-14 से 2015-16 के दौरान बचत हुई थी।			
(7) 2210-02-101-4194—शासकीय आयुर्वेदिक फार्मसी एण्ड डिपो	522.79	378.00	(-)144.79
(8) 2210-02-101-4286—संचालक आयुर्वेद एवं प्रशासन— मुल 330.95 पूरक. सांकेतिक	330.95	227.30	(-)103.65
(9) 2210-02-101-460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय	1,100.45	754.78	(-)345.67
(10) 2210-02-101-461—आयुर्वेदिक प्रशासन का सुदृढीकरण— मुल 895.31 पूरक. सांकेतिक	895.31	503.56	(-)391.75
(11) 2210-02-101-7511—आयुर्वेदिक चिकित्सालय महाविद्यालय	556.04	381.42	(-)174.62
(12) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना	609.00	494.39	(-)114.61
(13) 2210-04-101-460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय	9,227.50	6,961.25	(-)2,266.25
(14) 2210-04-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7240—आयुर्वेदिक ग्राम	500.00	391.47	(-)108.53

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2210-04-102-4810—होम्योपैथिक औषधालय (मूलभूत सेवायें)	365.35	234.14	(-)131.21
(16) 2210-05-101-469—आयुर्वेदिक महाविद्यालय	1,734.02	1,111.20	(-)622.82
उपरोक्त क्रम संख्या (7), (9), (11), (12), (13), (14), (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक अंतिम बचत एवं उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (10) के शीर्षान्तर्गत अंतिम अत्यधिक बचत राशि के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत 2012-13 से 2015-16 के दौरान बचत हुई थी। क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत 2008-09 से 2015-16 एवं क्रम संख्या (13) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 से 2015-16 के दौरान निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(17) 2210-05-105-1352—चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर— मूल 6,081.25 पुनर्वि. (-)1,429.04	4,652.21	4,611.67	(-)40.54
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,429.04 लाखकी कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1352—चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर— मूल 2,376.40 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,088.71	1,287.69	1,292.75	(-)5.06
(19) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1915—दंत महाविद्यालय— मूल 2,296.70 पुनर्वि. (-)692.70	1,604.00	1,599.12	(-)4.88
उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,088.71 लाख एवं ₹ 692.70 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी। क्रम संख्या (19) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 से 2015-16 के दौरान निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(20) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6996—चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़— मूल 2,356.20 पुनर्वि. (-)191.75	2,164.45	2,145.30	(-)19.15
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 191.75 लाख की कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2007-08 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(21) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8939—चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगाँव— मूल 2,873.90 पुनर्वि. (-)816.09	2,057.81	2,054.28	(-)3.53
(22) 2210-06-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण— मूल 358.30 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)99.87	258.43	257.28	(-)1.15

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(23) 2210-06-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण— मूल 1,290.00 पूरक 2.40 पुनर्वि. (-)584.19	708.21	706.20	(-)2.01

उपरोक्त क्रम संख्या (21) से (23) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 816.09 लाख, ₹ 99.87 लाख एवं ₹ 584.19 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (21) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 से 2015-16 एवं क्रम संख्या (23) के शीर्षान्तर्गत 2009-10 से 2015-16 के दौरान निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(24) 2210-06-112-7279—चिकित्सा महाविद्यालय— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)190.00	210.00	210.00	0.00
---------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

(25) 2210-06-112-7674—चिकित्सा विश्वविद्यालय में फार्मशी महाविद्यालय— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)100.00	100.00	100.00	0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

उपरोक्त क्रम संख्या (24) एवं (25) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 190.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2210-02-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7503—चिकित्सा संस्थानों का उन्नयन	0.00	82.40	+82.40

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) ₹ 2,713.67 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 2,513.43 लाख का अभ्यर्पण किया गया। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4210-01-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 1353—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय रायपुर— पूरम 525.00 पुनर्वि. (-)420.00	105.00	105.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 420.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4210-01-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8938—चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगाँव— मूल 295.00 पुनर्वि. (-)295.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 295.00 लाख के प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(3) 4210-03-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4136—आयुर्वेद भवन निर्माण	400.00	200.00	(-)200.00
अत्यधिक राशि की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(4) 4210-03-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8897—सिकल सेल इन्स्टीट्यूट की स्थापना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)412.00	88.00	88.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 112.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 412.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। दोनों कमियों के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(5) 4210-03-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8939—चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगाँव— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)175.01	424.99	424.99	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 175.01 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(6) 4210-04-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7674—चिकित्सा विश्वविद्यालय में फार्मेशी महाविद्यालय— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4210-03-105-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8939—चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगाँव— मूल 500.00 पूरक 4,000.00 पुनर्वि. 1,302.67	5,802.67	5,802.67	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,950.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,647.33 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,302.67 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 79—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4210-04-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7279-सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय, रायपुर-			
मूल	800.00		
पुनर्वि.	400.00	1,200.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 400.00 लाख के आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 80—त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236—पोषण			
2403—पशु—पालन			
2405—मछली पालन			
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
2853—अलौह खनन तथा घातुकर्म उद्योग			
3604—स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समानुदेशन			
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

मूल	3,51,78,098			
पूरक	31,53,259	3,83,31,357	3,56,26,754	(-)27,04,603
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				26,10,313

पूंजीगत:

मूल	36,20,000			
पूरक	99,195	37,19,195	14,19,186	(-)23,00,009
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				22,99,264

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 27,046.03 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 26,103.13 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-197-8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल	58,064.00		
पूरक	15,686.00		
पुनर्वि.	(-)6,526.26	67,223.74	67,157.79
(2) 2202-01-197-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल	35,500.00		
पूरक	7,363.00		
पुनर्वि.	(-)5,081.52	37,781.48	37,791.13
			+9.65

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-02-196-8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 24,800.00 पुनर्वि. (-)3,702.66	21,097.34	21,064.68	(-)32.66
(4) 2202-02-196-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 18,500.00 पूरक 546.00 पुनर्वि. (-)3,380.14	15,665.86	15,695.80	+29.94
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 6,526.26 लाख, ₹ 5,081.52 लाख, ₹ 3,702.66 लाख एवं ₹ 3,380.14 लाख की कमी सी.ई.ओ., जिला पंचायत द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इस शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 से 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है। क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2235-60-198-4858—इन्दिरा सहारा योजना	7,770.00	7,583.11	(-)186.89
(6) 2235-60-198-9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	28,900.00	28,668.01	(-)231.99
(7) 2235-60-198-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	880.00	766.40	(-)113.60
(8) 2235-60-198-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	7,442.00	7,180.31	(-)261.69
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (8) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत 2012-13 से 2015-16 एवं क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(9) 2405-101-0701—केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 225.00 पुनर्वि. (-)69.97	155.03	58.11	(-)96.92
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 69.97 लाख की कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(10) 2515-196-5847—जिला पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान— मूल 570.00 पुनर्वि. (-)270.00	300.00	300.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 270.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2515-196-1101-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7788-जिला पंचायत विकास निधि-			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	2,400.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(12) 2515-198-8209-पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधायें-			
मूल	6,400.00		
पुनर्वि.	(-)251.43	6,148.57	(-)0.04
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 251.43 लाख की कमी कोषालय से राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2515-198-8210-पंचायत कर्मचारियों का प्रशिक्षण-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(14) 2515-198-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)- 7687-मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना-			
मूल	353.00		
पुनर्वि.	(-)240.19	112.81	+5.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 240.19 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2515-198-1101-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7790-श्रद्धांजलि योजना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)299.93	200.07	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 299.93 लाख की कमी निर्धारित दर पर राशि का व्यय नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(16) 2515-198-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)- 8555-छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण-			
मूल	1,200.00		
पुनर्वि.	(-)991.95	208.05	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 991.95 लाख की कमी राजस्व शीर्षान्तर्गत राशि अधिक रहने पर भी तृतीय अनुपूरक बजट के पूंजीगत शीर्ष में कुछ राशि आबंटित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(17) 2853-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6299-ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण-			
मूल	13,585.00		
पूरक	7,890.39		
पुनर्वि.	(-)4,495.61	16,979.78	(-)7.97

अनुदान संख्या 80—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,495.61 लाख की कमी वित्त विभाग से राशि आहरित करने हेतु स्वीकृति निर्धारित समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 3604-197-0480-पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि- 4610-स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध- मूल 6,000.00 पुनर्वि. (-)279.25	5,720.75	5,720.75	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 279.25 लाख की कमी कोषालय से राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-60-198-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 7336-इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	1,836.00	1,934.31	+98.31

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2405-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7814-नील क्रांति के तहत मछली विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम- पूरक 47.20 पुनर्वि. 116.63	163.83	107.80	(-)56.04
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	----------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 116.63 लाख का आवर्धन केंद्र प्रवर्तित योजना का केंद्र प्रवर्तित योजना नील क्रांति में सम्मिलित किये जाने के कारण उल्लिखित हुई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

पूंजीगत :

(iv) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 991.95 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(v) ₹ 23.00 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2017 को ₹ 22.99 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4515-198-1101-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 8555-छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण- मूल 5,200.00 पूरक 991.95 पुनर्वि. (-)156.38	6,035.57	6,028.12	(-)7.45

अनुदान संख्या 80—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4515—198—1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 8986—मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना— मूल 28,500.00 पुनर्वि. (-)22,836.26	5,663.74	5,663.74	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 156.38 लाख एवं ₹ 2,836.26 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा कोषालय से राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 81—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2853—अलोह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4217—शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय			
6217—शहरी विकास के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	1,59,10,305		
पूरक	21,65,540	1,80,75,845	1,74,59,960
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)6,15,885 8,63,993
<i>प्रभारित</i>	<i>6,90,000</i>	<i>2,96,188</i>	<i>(-)3,93,812</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			<i>00</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत			
मूल	29,74,700		
पूरक	10,00,000	39,74,700	28,81,044
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)10,93,656 10,93,655
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) ₹ 6,158.85 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को किया गया ₹ 8,639.93 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण रहा। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-192-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल	4,252.00		
पूरक	825.00		
पुनर्वि.	(-)477.92	4,599.08	4,146.16
(2) 2202-01-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल	4,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,097.12	2,902.88	3,424.20
			+521.32

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-02-192-8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 2,850.00 पूरक 64.00 पुनर्वि. (-)453.56	2,460.44	2,194.13	(-)266.31
(4) 2202-02-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 2,100.00 पूरक 90.00 पुनर्वि. (-)743.35	1,446.65	1,701.94	+255.29
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 477.92 लाख, ₹ 1,097.12 लाख, ₹ 453.56 लाख एवं ₹ 743.35 लाख की कमी जिला पंचायतों द्वारा मांग के अनुसार निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 से 2015-16 के दौरान निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है। क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2217-05-191-1101—वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान (सामान्य)— 7260—नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान— मूल 2,147.00 पूरक 400.00 पुनर्वि. (-)1,688.20	858.80	858.80	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,688.20 लाख की कमी कोषालय से देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(6) 2217-05-191-1101—वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान (सामान्य)— 8934—शहरी क्षेत्र में महिला शौचालय का निर्माण— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 300.00 लाख का प्रत्याहरण स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कार्य हेतु राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2217-05-191-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8543—भागीरथी नल जल योजना— मूल 950.00 पुनर्वि. (-)950.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 950.00 लाख का प्रत्याहरण योजना प्रभारी द्वारा राशि आहरण हेतु प्रस्ताव नहीं दिए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(8) 2217-05-192-1101—वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत अनुदान (सामान्य)— 7260— नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान— मूल 772.25 पूरक 612.00 पुनर्वि. (-)1,075.35	308.90	308.90	0.00

अनुदान संख्या 81-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,075.35 लाख की कमी कोषालय से देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2217-05-192-1101-वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत अनुदान (सामान्य)- 8934-शहरी क्षेत्र में महिला शौचालय का निर्माण-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कार्य हेतु राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2217-05-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)250.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 250.00 लाख का प्रत्याहरण योजना प्रभारी द्वारा राशि आहरण हेतु प्रस्ताव नहीं दिए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2217-05-193-1101-वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत अनुदान (सामान्य)- 7260- नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान-			
मूल	695.40		
पूरक	559.23		
पुनर्वि.	(-)976.47	278.16	278.16
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 976.47 लाख की कमी कोषालय से देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2217-05-193-1101-वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत अनुदान (सामान्य)- 8934-शहरी क्षेत्र में महिला शौचालय का निर्माण-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कार्य हेतु राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2217-05-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)250.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 250.00 लाख का प्रत्याहरण योजना प्रभारी द्वारा राशि आहरण हेतु प्रस्ताव नहीं दिए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2235-60-191-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,870.00	2,541.07	(-)328.93
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2235-60-191-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7589—नगरीय निकाय क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बायो—मीट्रिक पद्धति से भुगतान अनुदान	500.00	0.00	(-)500.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(16) 2235-60-192-9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,500.00	1,401.23	(-)98.77
(17) 2235-60-193-9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,812.00	1,645.95	(-)166.05

उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।
2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(18) 3604-191-8018—प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान—			
मूल	55,506.00		
पूरक	5,792.62		
पुनर्वि.	(-)2,000.62	59,298.00	59,298.00
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 2,000.62 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3604-191-4035—विभिन्न अधिनियमों के अधीन स्थानीय निकायों को समर्पित शुल्क, अर्थ दण्ड तथा अन्य प्राप्तियां	1,000.00	4,938.12	+3,938.12
अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(2) 3604-193-8018—प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान—			
मूल	15,989.00		
पूरक	83.71		
पुनर्वि.	2,000.00	18,072.71	18,072.71
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,000.00 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

प्रभारित

(iv) ₹ 3,938.12 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
3604-193-4035—विभिन्न अधिनियमों के अधीन स्थानीय निकायों को समर्पित शुल्क, अर्थ दण्ड तथा अन्य प्राप्तियां	4,690.00	751.88	(-)3,938.12
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 81—समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 10,936.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को ₹ 10,936.55 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4217-60-191-1101-वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत अनुदान (सामान्य)- 7241-नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास-			
मूल	15,020.00		
पूरक	6,000.00		
पुनर्वि.	(-)6,780.58	14,239.42	14,239.45
			0.00
(2) 4217-60-192-1101-वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत अनुदान (सामान्य)- 7241-नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास-			
मूल	5,077.00		
पूरक	3,400.00		
पुनर्वि.	(-)3,755.97	4,721.03	4,721.03
			0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 6,780.58 लाख एवं ₹ 3,755.97 लाख की कमी कोषालय से देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 6217-60-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
			0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण कोषालय से देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 6217-60-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
			0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 82—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती
राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जलपूर्ति तथा सफाई			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236—पोषण			
2403—पशु-पालन			
2405—मछली-पालन			
2515—अन्य ग्रामीण विकास योजनाएँ			
2853—अलोह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग			
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व			
दत्तमत—			
मूल	1,58,10,369		
पूरक	32,16,448	1,90,26,817	1,48,45,392
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)41,81,425 35,29,615
पूंजीगत	23,56,000	5,15,242	(-)18,40,758 18,15,738
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 (₹ 248.00 लाख) एवं नवम्बर 2016 (₹ 28,120.90 लाख) एवं मार्च 2017 (₹ 3,795.58 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 32,164.48 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 41,814.25 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 35,296.15 लाख राशि की अभ्यर्पित की गयी। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए-			
मूल	20,000.00		
पुनर्वि.	(-)4,713.98	15,286.02	10,591.97
			(-)4,694.05

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,713.98 लाख की कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 82—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-796-197-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 13,000.00 पूरक 515.50 पुनर्वि. (-)2,009.63	11,505.87	12,289.96	+784.09
(3) 2202-01-796-197-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 8,000.00 पूरक 579.40 पुनर्वि. (-)894.66	7,684.74	8,017.27	+332.53
(4) 2202-01-796-197-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2949—बालिकाओं का गणवेश— मूल 4,200.00 पुनर्वि. (-)657.90	3,542.10	3,549.32	+7.22
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,009.63 लाख, ₹ 894.66 लाख एवं ₹ 657.90 लाख की कमी पजीयन में कमी के कारण व्यय किए जाने एवं विद्यालयों में कम उपस्थिति के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी। क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2009-10 एवं 2015-16 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2202-01-796-197-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 55,889.00 पूरक 23,916.00 पुनर्वि. (-)19,204.62	60,600.38	65,923.73	+5,323.36
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 15,547.98 लाख की कमी जिला पंचायतों द्वारा राशि का उपयोग नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,656.69 लाख की अन्य कमी पंचायत शिक्षकों के एरियर भुगतान हेतु राशि अपर्याप्त रहने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 19,204.62 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(6) 2202-02-796-197-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 39,000.00 पूरक 3,110.00 पुनर्वि. (-)2,529.71	39,580.29	31,526.97	(-)8,053.32
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,529.71 लाख की कमी जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृति राशि अप्रयुक्त रहने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2235-60-796-198-1002—अतिरिक्त केन्द्र सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	460.00	347.60	(-)112.40

अनुदान संख्या 82—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2235-60-796-198-1002-अतिरिक्त केन्द्र सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	5,040.00	4,792.66	(-)247.34
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2236-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8891-फुलवारी योजना- पूरक 3,000.00 पुनर्वि. (-)2,098.47	901.53	901.53	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,098.47 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2515-796-198-0102-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जनजाति उप योजना)- 7687-मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना- मूल 268.28 पुनर्वि. (-)182.55	85.73	89.53	+3.80
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 182.55 लाख की कमी जिला पंचायतों द्वारा कोषालय से राशि आहरित नहीं किए जाने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(11) 2515-796-198-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7790-श्रद्धांजलि योजना- मूल 380.00 पुनर्वि. (-)228.01	151.99	151.98	0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 228.01 लाख की कमी निर्धारित दर से व्यय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(12) 2853-02-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6299-ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण- मूल 4,600.00 पूरक 3,718.02 पुनर्वि. (-)2,686.45	5,631.57	5,712.88	+81.31
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,686.45 लाख की कमी वित्त विभाग से देय तिथि पर राशि आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-60-796-198-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7336-इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	1,430.00	1,477.75	+47.75
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			

अनुदान संख्या 82—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2405-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7814-नील क्रांति के तहत मछली विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम-			
मूल	77.56		
पुनर्वि.	53.34	130.90	109.22
			(-)21.68

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 53.34 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना कार्यक्रम को नील क्रांति में सम्मिलित किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) ₹ 18,407.58 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को ₹ 18,157.38 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4515-796-198-1102-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उप योजना)- 8986-मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना-			
मूल	21,660.00		
पुनर्वि.	(-)18,157.38	3,502.62	3,252.43
			(-)250.19

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 18,157.38 लाख की कमी स्वीकृति निधि के विरुद्ध कोषालय से राशि आहरित नहीं किए जाने एवं वित्त विभाग द्वारा राशि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।

अनुदान संख्या 83—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4217—शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	4,17,140		
पूरक	53,654	4,70,794	(-)94,073
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			79,230
पूंजीगत	6,29,000	6,29,000	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम रहा, नवम्बर 2016 (₹ 526.00 लाख) एवं मार्च 2017 (₹ 10.54 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 536.54 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 940.73 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल ₹ 792.30 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217-05-796-191-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना - 8543-भागीरथी नल जल योजना-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	0.00	0.00
(2) 2217-05-796-192-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8543-भागीरथी नल जल योजना-			
मूल	160.00		
पुनर्वि.	(-)160.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 300.00 लाख एवं ₹ 160.00 लाख का प्रत्याहरण शहरी निकायों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2217-05-796-193-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7643-मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना-			
मूल	120.00		
पुनर्वि.	(-)72.92	47.08	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 72.95 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 83—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2217-05-796-193-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8543-भागीरथी नल जल योजना-			
मूल	214.00		
पुनर्वि.	(-)214.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 214.00 लाख का प्रत्याहरण शहरी निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2235-60-796-191-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	228.00	158.37	(-)69.63
(6) 2235-60-796-193-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	250.00	180.17	(-)69.83

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-60-796-191-1002-7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	50.40	100.48	+50.08

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-जारी

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 16 पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+)/कमी(-)
	(₹ हजार में)		
03. पुलिस— पूंजीगत— दत्तमत	00	27,836	+27,836
08. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन— पूंजीगत— दत्तमत	4,32,000	00	(-)4,32,000
10. वन— राजस्व— दत्तमत	2,28,800	1,60,492	(-)68,308
12. ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय— राजस्व— दत्तमत	75,500	66,500	(-)9,000
पूंजीगत— दत्तमत	16,50,000	14,97,900	(-)1,52,100
17. सहकारिता— पूंजीगत— दत्तमत	00	7,614	+7,614
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी— राजस्व— दत्तमत	1,87,000	49,247	(-)1,37,753
23. जल संसाधन विभाग— राजस्व— दत्तमत	22,01,724	1,860	(-)21,99,864
पूंजीगत— दत्तमत	200	2,520	+2,320
24. लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल पूंजीगत— दत्तमत	15,00,000	10,75,713	(-)4,24,287
25. खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय— पूंजीगत— दत्तमत	54,16,048	47,53,251	(-)6,62,797
28. राज्य विधान मंडल— राजस्व— दत्तमत	00	9	+9

परिशिष्ट—समाप्त

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+)/कमी(-)
		(₹ हजार में)	
29. न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन— राजस्व— दत्तमत	00	2,24,000	+2,24,000
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोग— राजस्व— दत्तमत	52,900	48,400	(-)4,500
पूँजीगत— दत्तमत	5,40,450	5,40,263	(-)187
56. ग्रामोद्योग— पूँजीगत— दत्तमत	1,500	1,118	(-)382
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय— राजस्व— दत्तमत	31,81,161	24,31,111	(-)7,50,050
पूँजीगत— दत्तमत	2,000	00	(-)2,000
64. अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना— राजस्व— दत्तमत	17,600	16,100	(-)1,500
पूँजीगत— दत्तमत	2,40,600	2,40,263	(-)337
67. लोक निर्माण कार्य—भवन— राजस्व— दत्तमत	23,81,800	17,82,947	(-)5,98,853
पूँजीगत— दत्तमत	12,03,679	00	(-)12,03,679
80. त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता— राजस्व— दत्तमत	6,00,000	5,72,075	(-)27,925
योग— राजस्व— दत्तमत	89,26,485	53,80,576	+35,45,909
पूँजीगत— दत्तमत	1,09,86,477	81,18,642	+28,67,835
महायोग— राजस्व	89,26,485	53,80,576	+35,45,909
पूँजीगत	1,09,86,477	81,18,642	+28,67,835

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक
2017
www.cag.gov.in

agchattisgarh@cag.gov.in